

57वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2015–2016



दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक
शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
वी.एन.आई.टी गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,
नागपुर - 440 033

**57वीं
वार्षिक रिपोर्ट
एवं लेखा
2015–2016**



**दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा
एवं विकास बोर्ड**

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
वी.एन.आई.टी गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,
नागपुर - 440 033

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत)

31 मार्च, 2016 को बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी

भारत सरकार के प्रतिनिधि

श्री वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री वाई. एस. के. शेषुकुमार, संयुक्त सचिव (ईई) एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्री विष्णु कुमार शर्मा, संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), राजस्थान सरकार, श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान

श्री सिद्धार्थ देव वर्मन, प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार), मणिपुर सरकार, मणिपुर सचिवालय, मणिपुर

श्री डी. सी. बख्शी, उप श्रम आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, गुजरात राज्य, गांधी नगर, गुजरात
श्रीमती रीता भदोरिया, उप श्रम आयुक्त, नोएडा, उत्तर प्रदेश

श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि

श्री आर. चन्द्रशेखरन, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, केरला

श्री कृष्ण चन्द्र पात्रा, हिन्द मजदूर सभा, कटक

श्री हृन्मय जे. पाण्ड्या, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्रीमती बी.वी. विजयालक्ष्मी, सचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हैदराबाद

श्री ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, आयटक, कोलकाता

नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि

श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, भोपाल

श्री बीरेन्द्र प्रसाद, उपाध्यक्ष, इस्सोकाम, गुड़गाँव

डॉ. यू. डी. चौबे, महानिदेशक, कौंसिल ऑफ इंडिया एम्प्लायर (सी.आई.ई.), स्टैंडिंग कॉन्फरेंस ऑफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज (स्कोप)

श्री बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स

श्री सुरेश देवरा, समिति सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड, ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन

श्री सोमेश दास गुप्ता, अध्यक्ष, कार्पोरेट अफेयर्स

भौक्षिक संस्थानां के प्रतिनिधि

श्री मपन्ना गंगिगेरी, गुलबर्गा, कर्नाटका

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रतिनिधि

प्रोफेसर पी. सी. व्यास, भूतपूर्व कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

पदेन सदस्य सचिव

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

31 मार्च, 2016 को शासी निकाय के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)

उपाध्यक्ष

श्री जी. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती बी.वी. विजयालक्ष्मी, सचिव, आयटक

श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती

सदस्य

श्री विष्णु कुमार भार्मा, संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), राजस्थान सरकार, श्रम विभाग, जयपुर

श्री एस. के. देव वर्मन, प्रधान सचिव, मणिपुर सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग

श्री आर. चन्द्रशेखरन, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, केरला

श्री एच. जे. पाण्ड्या, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)

श्री बी. वी. विजयालक्ष्मी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस

श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, भोपाल

श्री बीरेन्द्र प्रसाद, उपाध्यक्ष, आईसोचेम (ISSOCHAM)

श्री बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन

पदेन सदस्य सचिव

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

31 मार्च, 2016 को वित्त समिति के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)

सदस्य

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री जी. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री के. सी. पात्रा, हिन्द मजदूर सभा (हि.म.स.), कटक

श्री बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

31 मार्च, 2016 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की प्रबंध समिति के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)

उपाध्यक्ष

श्री ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, एटक, कोलकाता

सदस्य

श्री जगमोहन सिंह राजू, महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री जी. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुरेश देवरा, समिति सदस्य, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ऑरगनाइजेशन

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)

श्री कृष्ण चन्द्र पात्रा, हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)

डॉ. एस. राजगोपाल रेड्डी, सचिव, प्रौढ़ शिक्षा, आंध्र प्रदेश उत्पादकता परिशद

श्री रवि रमन, प्रौढ़ शिक्षा

डॉ. एम. एम. रहमान, अनुसंधान

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

पदेन सदस्य सचिव

श्री जे. पी. फोगाट, प्रभारी उप निदेशक (प्रशिक्षण), भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई

उद्देश्य

- श्रमिकों के सभी वर्गों में, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, देशभक्ति, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता, सौहार्द, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, धर्म-निरपेक्षता तथा भारतीय होने के स्वाभिमान की भावना को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों के सभी वर्गों को, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उनकी अभिज्ञ सहभागिता के लिए उनके उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार तैयार करना;
- श्रमिकों में उनके सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और नागरिकों के रूप में, उद्योग में श्रमिक के रूप में, अपने श्रम संघ के सदस्य एवं पदधारी के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक समझबूझ का विकास करना;
- समय-समय पर देश की चुनौतियों का सामना करने हेतु सभी पहलुओं में श्रमिकों की क्षमता का विकास करना;
- अधिक प्रबुद्ध सदस्यों तथा बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से शक्तिशाली, एकीकृत एवं अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना तथा श्रमिक संघ आंदोलन में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों को संगठन के कर्मचारियों के रूप में अधिकार देना तथा सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में श्रमिकों में अपनत्व की भावना का विकास करना;
- रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने एवं सतत् उन्नयन के साधनों तक पहुँचने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

- अनुक्रमणिका -

क्रमांक (1)	विषय सूची (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	प्रस्तावना	8
2.	बोर्ड	14
3.	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान	19
4.	क्षेत्रीय, इकाई और ग्रामीण स्तरों पर कार्यक्रम	29
5.	सहायता अनुदान	41
6.	प्रकाशन एवं शैक्षिक सामग्री	43
7.	अन्य गतिविधियाँ	44
8.	बोर्ड के चुनिंदा कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ	49
9.	प्रभाव एक झलक	71
10.	सांख्यिकीय सारणियाँ	80
11.	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र	101
12.	अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट का जवाब	103
13.	तुलन पत्र	117
14.	आय एवं व्यय लेखा	118
15.	अनुसूची 1-25	119-147
16.	प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	148
17.	सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	149
18.	सामान्य भविष्य निधि आय एवं व्यय लेखा	150
19.	सामान्य भविष्य निधि तुलन पत्र	151
20.	बचत खाते एवं जमा खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण	152
21.	गृह निर्माण अग्रिम राशि में जमा का विवरण	153
22.	जमा चन्दा का विवरण	154
23.	स्वयंकोष निर्माण जमा विवरण	155
24.	सामान्य भविष्य निधि निवेश विवरण (अनुसूची सहित)..	158
25.	सी टी पी लेखा जमा का विवरण	159
26.	संयुक्त लेखा जमा का विवरण	160
27.	नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	161

अध्याय-1

प्रस्तावना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजकों ने महसूस किया कि हमारे जैसे प्रजातांत्रिक समाज के लिए श्रमिक संघों तथा देश के शीघ्र विकास हेतु उनकी गतिविधियों में श्रमिकों की सक्रिय एवं समझदार भागीदारी की आवश्यकता है। श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त, मुक्त, जिम्मेवार तथा प्रजातांत्रिक श्रमिक संघ आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमाणकारी भूमिका निभाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस संदर्भ में आयोजकों ने विचार किया था कि राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य में प्रमाणकारी रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु श्रमिकों तथा उनके श्रमिक संघों को तैयार करने में श्रमिक शिक्षा मदद कर सकेगी। इन परिस्थितियों ने सन् 1957 में श्रमिक शिक्षा योजना को सूत्रबद्ध करने में विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए सरकार को बाध्य किया। इस तरह भारत सरकार ने फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से श्रमिक शिक्षा योजना का प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय टीम को नियुक्त किया। मार्च, 1957 में विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई, 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में विशेषज्ञों की टीम की सिफारिशों का समर्थन किया गया। भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिक शिक्षा योजना को लागू करने हेतु एक अर्ध-स्वायत्त बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियमXXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत एक त्रिपक्षीय सोसाइटी के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।

संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। बोर्ड, देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों तथा 09 उप क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क द्वारा अपने कार्यकलापों का संचालन करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै एवं भोपाल में स्थित छः आँचलिक निदेशालय अपने-अपने अँचल के क्षेत्रीय निदेशालयों की प्रशिक्षण गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं।

बोर्ड राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई जैसे तीन स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सन् 1970 में स्थापित बोर्ड के भीर्शस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सशक्त और अधिक जवाबदार श्रमिक संघों का विकास करना, श्रमिक संघ प्रशासन में प्रजातांत्रिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक समाज में अपनी जगह बनाने के लिए श्रमिकों को सन्नद्ध करना, सामूहिक हित के आधार पर श्रमिकों में "राष्ट्रहित प्रथम" की

भावना का निर्माण, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बोर्ड को सक्षम बनाना ही भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य है।

संस्थान एक सूचना केन्द्र है और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह बोर्ड के क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय निदेशालयों के लिए ज्ञान का भण्डार भी है। संस्थान में श्रमिकों के लिए शिक्षा प्रणाली साधनों को विकसित करने एवं परिष्कार करने के लिए अनुसंधान विंग भी है। यह बोर्ड के पदाधिकारियों के लिए गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

बोर्ड तथा शासी निकाय

भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। श्री के. लक्ष्मा रेड्डी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के प्रशासकीय प्रधान बोर्ड के निदेशक हैं। वर्ष के दौरान श्रीमती नम्रता तिवारी बोर्ड की निदेशक थीं।

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठनों, केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्यों में से चयनित शासी निकाय द्वारा बोर्ड की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशालय के स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करने, कार्यक्रमों के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने तथा सामान्यतः क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ भी त्रिपक्षीय प्रकार की हैं।

प्रशिक्षण

बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय वर्ग के लिए भी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2015-2016 के दौरान संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए आयोजित 12880 कार्यक्रमों में 4,67,755 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड की सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों तथा श्रमिक संघों द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

मूल्यांकन

बोर्ड की स्थापना से ही समय-समय पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड आंतरिक रूप से अपने कार्यक्रमों का

मूल्यांकन श्रमिकों के साथ-साथ कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा करता है और तदनुसार अपने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन भी करता है।

वर्ष 2015-2016 के दौरान दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव से असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में **552 स्वावलंबन समूहों** की स्थापना की गई। इन स्वावलंबन समूहों के कारण समूह के सदस्यों को स्व-रोजगार हेतु मदद मिली।

ध्यानाकर्षित क्षेत्र

ग्रामीण, असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के बहुसंख्यक श्रमिकों को देखते हुए बोर्ड ने सामान्यतः ग्रामीण, असंगठित श्रमिकों तथा विशेषतः जनजातीय श्रमिकों, बाल श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों को शिक्षित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के चार क्षेत्रीय निदेशालय हैं जो गुवाहाटी, इम्फाल, तिनसुकिया एवं सिलिगुड़ी में स्थित हैं।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ एच.आई.वी./एड्स, मानव अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव आदि जैसे विषयों पर भी चाय बागान श्रमिकों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के बीच जागरूकता विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

बोर्ड द्वारा गुवाहाटी में स्थापित आँचलिक निदेशालय सिर्फ उत्तर-पूर्व क्षेत्र की श्रमिक शिक्षा गतिविधियों का अनुवीक्षण करता है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र की श्रमिक शिक्षा गतिविधियों के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को 2.01 करोड़ रुपये की विशेष पैकेज की मंजूरी भी दी है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 15681 श्रमिकों के लिए 436 कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 3252 संघ कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित 111 विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

महिला श्रमिकों का प्रशिक्षण

महिला श्रमिकों के सशक्तीकरण पर भारत सरकार के जोर के अनुकूल बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला श्रमिकों की अधिक भागीदारी के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। वर्ष 2015-2016 के दौरान बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल **367274** महिला श्रमिकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण गतिविधियों के आधार पर निष्पादन

पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की गतिविधियों का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2014-2015		2015-2016	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	राष्ट्रीय स्तर				
1	श्रमिक संघों के लिए पाठ्यक्रम	35	599	32	759
2	क्षेत्रीय निदेशकों/शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	-	-	1	17
3	उप निदेशक/ऑ.नि./क्षे.नि. तथा प्रभारी क्षे.नि. के लिए सम्मेलन	-	-	-	-
4	बोर्ड के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम	1	23	3	93
5	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम	-	-	-	-
6	जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकर्ताओं के लिए	1	15	1	18
7	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय श्रमिक संघों के लिए	-	-	-	-
	संगठित क्षेत्र				
	राष्ट्रीय स्तर				
8	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम (05 दिवसीय)	15	450	28	839
	क्षेत्रीय स्तर				
9	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	6	185	3	83
10	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	37	1015	17	387
11	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (5 दिवसीय)	4	64	1	20
12	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	4	81	-	-
13	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	278	6898	202	4944

14	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	354	6703	554	10979
15	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम (3 दिवसीय)	10	292	35	1056
16	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	606	15015	597	14876
17	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पाने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	-	-	-	-
18	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	-	-	-	-
19	विशेष स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (5 दिवसीय)	-	-	-	-
20	एचआईवी/एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	-	-	-	-
21	आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद (1 दिवसीय/ 5 दिवसीय)	11	350	11	322
	इकाई स्तर				
22	अंशकालीन/पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं	86	2306	71	1726
23	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	264	6755	201	4950
24	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं (6 माह)	3	51	-	-
25	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4 दिवसीय)	4	156	-	-
26	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	53	1860	26	884
27	संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1 दिवसीय)	173	4813	158	4737
	असंगठित क्षेत्र				
28	असंगठित क्षेत्र/ दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	290	11311	622	24301
29	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4 दिवसीय)	65	2487	136	5492
30	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	141	5384	133	5045
31	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	145	8154	347	19073
32	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	35	1045	54	1617
33	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	2	60	1	30
34	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	16	639	7	276

35	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	496	19256	1207	45447
36	महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	428	16477	870	33044
37	बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	89	3373	383	14421
38	बाल श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	64	2413	13	499
39	अ.जा.उप योजना/अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	3649	136496	4231	156786
40	श्रम कल्याण एवं विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	368	14285	703	26384
41	पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	37	1310	71	2527
42	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायती राज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	24	711	28	766
43	निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	355	13752	37	1421
44	रिक्शा चालकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	3	115	-	-
	ग्रामीण क्षेत्र				
45	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	829	32264	1185	44593
46	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	115	4519	164	6458
47	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	134	7571	251	13910
48	मनरेगा के ग्राम स्तरीय कार्यक्रम (2 दिवसीय)	-	-	-	-
49	मनरेगा के गाँव स्तरीय कार्यक्रम	345	13505	487	18435
50	मनरेगा के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम	88	8625	3	300
51	मनरेगा के जिला स्तरीय कार्यक्रम	4	80	-	-
52	सहायता अनुदान कार्यक्रम	77	3134	6	240
	कुल	9744	354597	12880	467755

*** ** ** ** **

अध्याय-II

बोर्ड

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठनों, केन्द्र व राज्य सरकारों तथा श्रमिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं।

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी ने दिनांक 13.08.2014 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। बोर्ड ने दिनांक 17.04.2013 को पुनःगठन किया है।

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिशिबो) पुनः अपने मूल विभाग में अर्थात् बीएसएनएल में प्रत्यावर्तित हो गई तथा उनके स्थान पर श्री जे. पी. फोगाट, उप निदेशक (प्रशिक्षण) ने दिनांक 15.03.2016 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार दिनांक 16.03.2016 को प्रभारी निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्य निम्नवत थे:

अध्यक्ष

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी

अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रिशिबो)

सदस्य

श्री जी. वेणुगोपाल रेड्डी

संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता

संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री वाई.एस.के. भोशुकुमार

संयुक्त सचिव (ईई) एवं महानिदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

श्री विष्णु कुमार भार्मा

संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), राजस्थान सरकार, श्रम विभाग

श्री डी. सी. बख्शी

उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय

श्रीमती रीता भदोरिया

उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य

श्री एस. के. देव वर्मन

आयुक्त (श्रम एवं रोजगार), मणिपुर सरकार

श्री हन्मय जे. पाण्डया

उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री आर. चन्द्रशेखरन

अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, केरला भाखा

श्री कृष्ण चन्द्र पात्रा

हिन्द मजदूर सभा

श्री कृष्ण प्रताप सिंह

सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्रीमती बी.वी. विजयालक्ष्मी

सचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)

श्री ए. एल. गुप्ता

उपाध्यक्ष, ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (आयटक)

श्री जितेन्द्र गुप्ता

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, भोपाल

श्री बीरेन्द्र प्रसाद

उपाध्यक्ष, इस्सोकाम

डॉ. यू. डी. चौबे	महानिदेशक, कौंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लायर्स (सी.आई.ई.),
श्री बी.पी. पंत	कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय कर्मचारी संगठन, कौंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लायर्स (सी.आई.ई.)
श्री सुरेश देवरा	महाराष्ट्र राज्य बोर्ड, ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन
श्री सोमेश दास गुप्ता	अध्यक्ष, कार्पोरेट अफेयर्स एवं प्रशासन डीपीएससीएल एवं आईपीसीएल

सदस्यता में परिवर्तन

बोर्ड ने दिनांक 17.04.2013 को सदस्यों का पुनर्गठन किया है।

बोर्ड की बैठक

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) की अध्यक्षता में 03 सितम्बर, 2015 को बेंगलुरु में बोर्ड की 71वीं वार्षिक साधारण बैठक एवं 30 मार्च, 2016 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में 72वीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की गई।

वर्ष 2014-15 की 56वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित विवरण को अनुमोदित किया गया।

शासी निकाय की बैठकें

वर्ष 2015-2016 के दौरान शासी निकाय की निम्नलिखित 03 बैठकें आयोजित की गईं:

1. 03 सितम्बर, 2015 को बेंगलुरु में 167वीं शासी निकाय की बैठक।
2. 18 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में 168वीं शासी निकाय की बैठक।
3. 30 मार्च, 2016 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में 169वीं शासी निकाय की बैठक।

महत्वपूर्ण निर्णय

शासी निकाय ने अपनी 03 बैठकों में निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया:

- दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) में स्थानान्तरण नीति अनुमोदित की गई।
- वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक लेखा अनुमोदित किया गया।

- वर्ष 2013–14 की बोर्ड की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित विवरण को अनुमोदित किया गया।
- असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए डेस्कटॉप कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग एवं सूचना-तकनीकी संबंधी मूलभूत जानकारी हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- नवीन शिक्षा कार्यक्रम एवं व्यय का संशोधित पैटर्न अनुमोदित किया गया।
- वर्ष 2014–15 की 56वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित विवरण को अनुमोदित किया गया।
- भा.श्र.शि.सं., मुंबई की तरह देश के 05 भौगोलिक क्षेत्रों जैसे नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली, पटना/कोलकाता एवं गुवाहाटी में श्रमिकों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने हेतु शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्राप्त।
- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का "दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड" के रूप में पुनः नामकरण करने का अनुमोदन प्राप्त।

क्षेत्रीय सलाहकार समिति

श्रमिक शिक्षा योजना को निरंतर आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय निदेशालय को सहायता करने के लिए दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिबो) द्वारा गठित क्षेत्रीय सलाहकार समिति ने क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा की और मार्गदर्शन प्रदान किया।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित क्षेत्रीय निदेशालयों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया:

क्र. सं.	अध्यक्ष का नाम	अवधि	क्षेत्रीय निदेशालय का नाम
1	श्री जे. एन. चौबे , उपाध्यक्ष, एबीकेएमएस (भा.म.सं.), परबेलिया कोलियरी (हट्टाला), पुरुलिया – 723 121 मो. 9932350247, 9434797198	28.10.2015 से 27.10.2017	आसनसोल
2	श्री अशोक कुमार चौधरी , उपाध्यक्ष, भा.म.सं., बिहार पटना, शिमलया, आमला टोला, आरके मोहल्ला, कटिहार, बिहार –854 105 मो. 9431016951 ई-मेल: ashoke.bms@gmail.com	28.10.2015 से 27.10.2017	मुजफ्फरपुर

3	डॉ. मृणाल कांति बर्मन, महा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि., रिसर्च एण्ड डेवलेपमेण्ट सेंटर फॉर आयरन एण्ड स्टील, 'आई.एस.ओ.9001 द्वारा प्रमाणित' इस्पात भवन, पो.आ. – दोरांदा, राँची – 834 002 कार्या. दूरभाष – 0651 – 2411106, आवास दूरभाष– 0651 – 2444088 ई-मेल: Mkbarman@sail_rdcis.com	28.10.2015 से 27.10.2017	राँची
4	डॉ. दधनाथ, एफ-7, महापालिका क्वार्टरस्, पिशाच मोचन मन मंदिर, वाराणसी (उ.प्र.) – 23, मो. – 9415624111, 9415820113	28.03.2016 से 27.03.2018	इलाहाबाद
5	श्री एन. के. मनोज, प्रबंध निदेशक, केरला एग्री मशीनरी कॉरपोरेशन (कामको), अथानी – 683 585	19.02.2016 से 18.02.2018	कोच्ची
6	श्री पो. भाशिधरन, राज्य सचिव, भा.म.सं. केरला प्रदेश, पट्टनियिल (एच), गुरुवायूरप्पन कॉलेज, पो.ऑ. कोषिकोड – 673 014	18.02.2016 से 17.02.2018	कोषिकोड
7	श्री आर. एस. मुरलीधरन, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.), केसावर कुदिल, नं. 5, रंगासई स्ट्रीट, पेरम्बूर, चेन्नै – 600 011	23.07.2015 से 22.07.2017	मदुरै
8	श्री एस.आर.के. प्रताप, भा.म.सं., 38-39-72/1, साठे भवन, बापूजी नगर, 104 एरिया, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, पोस्ट- विशाखपट्टणम – 530 007 मो. 9440320201, दूरभाष: 0891 – 2539656 ई-मेल : bmsap2014@gmail.com ई-मेल : shramjivi@gmail.com	29.10.2015 से 28.10.2017	विशाखपट्टणम

9	श्री अमर आर. वझलवार, कार्यकारी समिति सदस्य, फास्सी, 'केशव भवन', वझलवार कॉलोनी, धरमपेट, नागपुर – 440 010 ई-मेल : amarvazalwar@hotmail.com / amar.vazalwar@gmail.com दूरभाष (आ.) – 0712 – 2526649, कार्यालय – 0712 – 2536608 / 2527842 मो.– 9422504134	28.12.2015 से 27.12.2017	नागपुर
10	श्री आर. जी. पाण्डे, अपर श्रम आयुक्त, म.प्र. सरकार, श्रम आयुक्त का कार्यालय, 518, नया मोती बंगलो, के.एम. जी. रोड, इन्दौर – 452 007 मो.– 9424411229 कार्या. 0731 – 2543752, आवास दूरभाष– 0731 – 2710087	23.07.2015 से 22.07.2017	भोपाल

वित्त समिति की बैठक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए बोर्ड की वार्षिक लेखा को अनुमोदित करने के लिए 26 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में बोर्ड की वित्त उप समिति की 59वीं बैठक आयोजित की गई। वित्त उप समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का वार्षिक लेखा अनुमोदित किया गया और उसे लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड की वर्ष 2015–2016 की वार्षिक लेखा को अनुमोदित करने के लिए 21 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में वित्त उप समिति की 60वीं बैठक आयोजित की गई और उपर्युक्त को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया।

वित्त एवं लेखा

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बोर्ड द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु योजना में रुपये 16.24 करोड़ तथा गैर- योजना में रुपये 53.97 करोड़ सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। बोर्ड ने गैर-योजना के अंतर्गत रुपये 53.97 करोड़ तथा योजना के अंतर्गत रुपये 15.47 करोड़ उपयोग में लाया। इस प्रकार वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक योजना के अंतर्गत रुपये 0.77 करोड़ अनुदान राशि व्यय नहीं हो पाई।

*** * * *

अध्याय-III

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भाश्रशिसं), मुंबई की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (केश्रशिबो) द्वारा वर्ष 1970 में की गई। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते क्षेत्र (फील्ड) में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों एवं अन्य संघों के प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रमों तथा परिसंवादों, बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों हेतु गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अभिविन्यास कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय द्वारा गठित प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन के अंतर्गत संस्थान की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। वर्तमान में प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

अध्यक्ष

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

उपाध्यक्ष

श्री ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेण्टर (आयटक), कोलकाता

सदस्य

श्री वाई. एस. के. शेषकुमार संयुक्त सचिव (एई) एवं महानिदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

श्री राजीव अरोरा संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुरेश देवरा समिति सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड, ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन

श्री कृष्ण प्रताप सिंह सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री कृष्ण चन्द्र पात्रा हिन्द मजदूर सभा, (हि.म.स.)

श्री एस. दुरईराज राष्ट्रीय सचिव, भा.म.सं., चेन्नै

श्री रवि रमन प्रौढ़ शिक्षा

डॉ. एम. एम. रहमान अनुसंधान

श्रीमती नम्रता तिवारी निदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)

पदेन सदस्य सचिव

श्री जे. पी. फोगाट उप निदेशक (प्रशिक्षण), भा.श्र.शि.सं., मुंबई

संस्थानने रिपोर्टाधीन वर्ष 2015-16 के दौरान केन्द्रीय श्रमिकशिक्षा बोर्ड के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों, राष्ट्रीय परिसंघों एवं प्रबंधन कार्यकर्ताओं के लिए 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि, प्रतिभागियों की संख्या, वर्गीकरण इ. का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संगठन का नाम	विषय	अवधि	लिंगवार विवरण		कुल
				पुरुष	महिला	
1.	इंडियन रेलवेमेन के राष्ट्रीय परिसंघ (एनएफ आईआर) के कार्यकर्ता	संगठनात्मक विकास में श्रमिक संघों एवं महिलाओं की भूमिका	20/04/15 से 24/04/15	18	—	18
2.	केश्रिबो के 'ग' श्रेणी के कर्मचारीगण	कार्यालय प्रक्रियाओं और पद्धति - क्षमता निर्माण	05/05/15 से 07/05/15	26	05	31
3.	एटक के कार्यकर्ता	महिला श्रमिकों के लिए राज्य/केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं	11/05/15 से 15/05/15	02	31	33
4.	केश्रिबो के एमटीएस	क्षमता निर्माण	11/06/15 से 12/06/15	30	—	30
5.	टी.यू.सी.सी. के कार्यकर्ता	सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक जोखिम	15/06/15 से 19/06/15	15	—	15
6.	केश्रिबो के 'ग' श्रेणी के कर्मचारीगण	कार्यालय प्रक्रिया एवं नियम	22/06/15 से 24/06/15	27	05	32
7.	भारतीय डाक कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता (भा.म.सं.) तृतीय श्रेणी	श्रमिक संघ का प्रभावी नेतृत्व	06/07/15 से 10/07/15	22	—	22
8.	यूटीयूसी के कार्यकर्ता	वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में श्रमिक संघ की भूमिका	13/07/15 से 17/07/15	11	—	11
9.	एनएलओ के कार्यकर्ता	श्रमिकों के लिए समाजिक सुरक्षा उपाय	20/07/15 से 24/07/15	20	—	20
10.	आईसीएल के कार्यकर्ता	नेतृत्व विकास	03/08/15 से 07/08/15	22	—	22
11.	आयटक के कार्यकर्ता	लिंग अनुपात एवं श्रमिक संघों की भूमिका	10/08/15 से 14/08/15	31	03	34
12.	इंटक के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ का प्रभावी नेतृत्व	17/08/15 से 21/08/15	22	03	25
13.	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	राष्ट्रीय विकास में श्रमिक संघ की भूमिका	01/09/15 से 04/09/15	30	—	30
14.	केश्रिबो के क्षेनि/शिअ	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं	09/09/15 से 11/09/15	12	05	17

15.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	बदलते आर्थिक परिदृश्य में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	14/09/15 से 16/09/15	16	02	18
16.	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	संगठित क्षेत्र में श्रमिक संघ का प्रभावी नेतृत्व	21/09/15 से 24/09/15	28	03	31
17.	इंटक के कार्यकर्ता	संगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय	05/10/15 से 09/10/15	11	—	11
18.	आयटक के कार्यकर्ता	बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	12/10/15 से 16/10/15	26	01	27
19.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	संगठनात्मक विकास में श्रमिकों एवं श्रम संघों की भूमिका	26/10/15 से 30/10/15	23	01	24
20.	सत्यशोधक कामगार संघटन (सीएफटीयूआई) के कार्यकर्ता	बदलते आर्थिक परिदृश्य में श्रमिक संघ की भूमिका	05/11/15 से 06/11/15	23	—	23
21.	भारतीय राष्ट्रीय खदान श्रमिक फेडरेशन के कार्यकर्ता (इंटक)	नेतृत्व विकास	23/11/15 से 27/11/15	31	—	31
22.	बीकेएसएम के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ का प्रभावी नेतृत्व	01/12/15 से 04/12/15	20	—	20
23.	बीकेएसएम के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ का प्रभावी नेतृत्व	01/12/15 से 04/12/15	15	—	15
24.	एआईयूटीयूसी के कार्यकर्ता	बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	07/12/15 से 11/12/15	20	06	26
25.	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	राष्ट्रीय विकास में श्रमिक संघ की भूमिका	14/12/15 से 18/12/15	24	—	24
26.	कास्टट्राइब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटन के कार्यकर्ता	बदलते परिदृश्य में समय की मांग – अनुकूलनशीलता	28/12/15 से 30/12/15	20	04	24
27.	भारतीय राष्ट्रीय खदान श्रमिक फेडरेशन (इंटक) के कार्यकर्ता	ठेका श्रमिकों के लिए विकास कार्यक्रम	04/01/16 से 08/01/16	26	—	26
28.	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान	04/01/16 से 08/01/16	20	01	21
29.	आईसीएल के कार्यकर्ता	नेतृत्व विकास	18/01/16 से 22/01/16	16	04	20
30.	आईसीएल के कार्यकर्ता	नेतृत्व विकास	18/01/16 से 22/01/16	19	06	25
31.	आयटक के कार्यकर्ता	श्रमिक संघों के कार्यों का विस्तार	27/01/16 से 28/01/16	24	12	36

32.	इंटक के कार्यकर्ता	नेतृत्व विकास	01/02/16 से 05/02/16	17	06	23
33.	आयटक के कार्यकर्ता	श्रम कानून सुधार एवं श्रम पर प्रभाव	15/02/16 से 19/02/16	34	—	34
34.	जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकर्ता	राष्ट्रीय विकास में श्रमिक संघ की भूमिका	22/02/16 से 26/02/16	18	—	18
35.	भारतीय राष्ट्रीय खदान श्रमिक फेडरेशन के कार्यकर्ता (इंटक)	कोयला उद्योग में महिला श्रमिकों का सशक्तीकरण	29/02/16 से 04/03/16	22	—	22
36.	इंटक के कार्यकर्ता	श्रमिक संघों/इंटक के पदाधिकारियों के लिए कार्यों का विस्तार/ सामाजिक जिम्मेवारियाँ	07/03/16 से 11/03/16	26	—	26
37.	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	युवा श्रमिकों से श्रमिक संघों को चुनौतियाँ	14/03/16 से 18/03/16	19	03	22
कुल			37 कार्यक्रम	786	101	887

संगठनवार विवरण

संस्थान हमेशा ही श्रम संघों तथा नेताओं की माँग और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखता है। देशभर में भा.श्र.शि.सं. के कार्यक्रमों की भारी माँग है। अधिकांश केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया है।

प्रतिभागियों का संगठनवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संगठन का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	लिंगवार विवरण		
			पुरुष	महिला	कुल
1	आयटक	05	117	47	164
2	इंटक	07	155	09	164
3	हिन्द मजदूर सभा	02	39	03	42
4	भारतीय मजदूर सभा	06	143	07	150
5	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटीयूसी)	01	11	—	11
6	बी.के.एस.एम.	02	35	—	35
7	इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर (आईसीएल)	03	57	10	67
8	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी / कर्मचारी	04	95	15	110
9	राष्ट्रीय श्रमिक संघटन (एन.एल.ओ.)	01	20	—	20
10	भारतीय रेल	01	18	—	18
11	राज्य परिवहन महामंडल (अनु.जा./अनु.ज.जा.)	01	20	04	24
12	जम्मू एवं कश्मीर	01	18	—	18
13	सत्यशोधक कामगार संघटन – सीएफटीयूआई	01	23	—	23
14	टी.यू.सी.सी.	01	15	—	15
15	ए.आई.यू.टी.यू.सी.	01	20	06	26
	कुल	37	786	101	887

पदनाम के अनुसार विवरण

उपर्युक्त कार्यक्रमों में न केवल केन्द्रीय श्रमिक संघों/परिसंघों के सदस्य भाग लेते हैं बल्कि उनके पदाधिकारी तथा कार्यकारी समिति सदस्य भी भाग लेना चाहते हैं। उसी तरह, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन प्रतिनिधि ने भी भाग लिया।

पदनाम के अनुसार प्रतिभागियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पदनाम	लिंगवार विवरण		
		पुरुष	महिला	कुल
1.	अध्यक्ष	48	1	49
2.	उपाध्यक्ष	29	3	32
3.	महासचिव	53	-	53
4.	सचिव	71	6	77
5.	आयोजन सचिव	30	2	32
6.	कोषाध्यक्ष	19	2	21
7.	संयुक्त सचिव	12	2	14
8.	कार्यकारी समिति सदस्य	89	32	121
9.	सदस्य	172	30	202
10.	प्रतिभागी	117	15	132
11.	जिला/शाखा/कार्यालय सचिव	37	2	39
12.	जिला/शाखा उप सभापति	22	3	25
13.	सहायक/उप सचिव	20	2	22
14.	जिला उपाध्यक्ष	29	1	30
15.	राष्ट्रीय/राज्य संयोजक/समन्वयक	22	-	22
16.	जिला सचिव	10	-	10
17.	कानूनी सलाहकार	04	-	04
18.	मीडिया प्रभारी	02	-	02
	कुल	786	101	887

प्रतिभागियों का राज्यवार विवरण

वर्ष 2015–16 में संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 26 राज्यों से आए 37 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	लिंगवार विवरण		
		पुरुष	महिला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	16	02	18
2	आसाम	05	0	05
3	बिहार	07	0	07
4	छत्तीसगढ़	07	0	07
5	गोवा	02	01	03
6	गुजरात	23	04	27
7	हरियाणा	17	02	19
8	हिमाचल प्रदेश	06	03	09
9	इम्फाल	0	01	01
10	जम्मू एवं कश्मीर	17	02	19
11	झारखण्ड	35	02	37
12	कर्नाटक	27	04	31
13	केरल	08	0	08
14	मध्य प्रदेश (एम.पी.)	37	10	47
15	महाराष्ट्र	298	33	331
16	मणिपुर	01	01	02
17	मेघालय	0	02	02
18	नई दिल्ली	55	07	62
19	उड़ीसा	18	02	20
20	पंजाब	15	04	19
21	राजस्थान	21	05	26
22	तमिलनाडु	46	04	50
23	तेलंगाना	28	02	30
24	उत्तराखण्ड	03	02	05
25	उत्तर प्रदेश	49	03	52
26	पश्चिम बंगाल	46	04	50
कुल योग		787	100	887

श्रेणीवार विवरण

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश के अधिकाधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यथोचित ध्यान दिया गया। श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	श्रेणी	प्रतिभागियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
1.	अनुसूचित जाति	120	23	143
2.	अनुसूचित जनजाति	64	16	80
3.	अन्य पिछड़ी जाति	602	62	664
कुल योग		786	101	887

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय की सांख्यिकीय रूपरेखा

भा.श्र.शि.सं. पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र पूरे वर्ष श्रम कानूनों से संबंधित विषयों को प्रयोगकर्ताओं की शैक्षिक एवं सूचनापरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रहण विकास, प्रोसेसिंग, संग्रहण, सूचना को डिस्प्ले करने की गतिविधियों में लगा रहता है।

क्र.सं	पुस्तकालय गतिविधि	अप्रैल, 2015-मार्च, 2016
1.	पुस्तकालय प्रयोगकर्ताओं की संख्या	942
2.	जारी दस्तावेज एवं संदर्भित पुस्तकें	6383
3.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस डी आई) प्रयोगकर्ताओं के लिए सेवा	155 (260 विषयों पर)
4.	फोटो गैलरी में दर्शक	995
5.	पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या	15068
6.	वर्ष के दौरान समाहित की गई पुस्तकें	..
7.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस डी आई) सेवा के दौरान पुस्तकालय आबंटित विषय/ समूह चर्चा	615 (209 विषयों पर)
8.	अध्ययन सामग्री संदर्भ -विषय	201 (37 प्रशिक्षण कार्यक्रम)
9.	मासिक प्रकाशन - आपके तथ्य	12 मुद्दे
10.	वर्तमान में जागरूकता सेवाएं (सी ए एस)	24
11.	श्रमिक संघ के नेताओं का डिजिटलीकरण	146
12.	पी.एच.डी. थिसिस की कुल सं.	38

दृश्य-श्रव्य साधन

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य-श्रव्य साधनों का विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया।

क्र.सं	दृश्य-श्रव्य साधन	संख्या
1.	कम्प्यूटर / लैपटॉप / एलसीडी / ल्यूमेन्स विज्यूअलॉइजर	306
2.	ओ.एच.पी.	51
3.	वीडीयो सी.डी. भाो	45
4.	ल्यूमेन्स विज्यूअलॉइजर	02

फोटो गैलरी

वर्ष 2015-16 के दौरान पूरे भारत से 995 सदस्यों ने फोटो गैलरी में भेंट दी।

श्रम शिक्षा सेवा

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान से अनुसंधान अधिकारी का पद मुख्यालय में स्थानान्तरित किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्लेषण एवं प्रभाव

रिपोर्टाधीन वर्ष 2015-16 के दौरान, संस्थान ने 37 कार्यक्रम आयोजित करके 887 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। जिसमें कुल 887 में से, 786 पुरुष तथा 101 महिला प्रतिभागी थीं। संस्थान ने वर्तमान प्रयोग में आने वाले 30 विभिन्न विशयों पर कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतिभागियों ने सभी विषयाधारित कार्यक्रमों की प्रशंसा की।

वर्षभर में 16 विभिन्न संगठनों जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों, बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों के पदाधिकारी जम्मू एवं कश्मीर एवं सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों, उपक्रमों के पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर बल

रिपोर्टाधीन वर्ष 2015-16 के दौरान, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

प्रबंधन समिति की बैठके

17 अगस्त, 2015 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की 38वीं प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। (अंत में कार्यवृत्त की प्रति संलग्न)

महत्वपूर्ण विशेषताएं

- श्रम सचिव, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, के.श्र.शि.बो. की उपस्थिति में श्री बंडारु दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार ने 17 अगस्त, 2015 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान में अपनी भेंट दी तथा भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की।
- फोटोगैलरी के डिजिटल प्रक्रिया में श्रमिक संघ नेताओं के उनके जीवनवृत्त सहित 100 से अधिक फोटोग्राफ तैयार करके सुरक्षित रखे गये हैं।
- 12 विभिन्न विषयों पर "आपके तथ्य (फैक्ट्स फार यू) नामक ई-मैगजीन का प्रकाशन किया गया, जिसे ई-मेल द्वारा 50 क्षेत्रीय निदेशालयों को परिचालित किया गया।"

संकाय समर्थन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई में 02 प्रशिक्षण अधिकारी श्रमिक संघ/प्रबंधन/सरकारी संगठनों आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों से विशेषज्ञ सेवाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन एवं आयोजन किया।

*** **

अध्याय- IV

क्षेत्रीय, इकाई एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम

संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का प्रशिक्षण

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) ने पूरे देश में व्याप्त अपने 50 क्षेत्रीय एवं 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर पर संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखा :

1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	45 दिवसीय
2.	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1 सप्ताह
3.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	3 सप्ताह
4.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम	1/2/3 दिवसीय
5.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद	2 दिवसीय
6.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	1/2/3 दिवसीय
7.	श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम	2/4 दिवसीय
8.	अंशकालीन इकाई स्तर कक्षाएं (प्रति दिन एक घंटा)	45 दिवसीय
9.	अंशकालीन इकाई स्तर कक्षाएं (प्रति दिन एक घंटा)	1 माह
10.	सप्ताहांत इकाई स्तर कक्षाएं	3 माह
11.	पूर्ण कालीन इकाई स्तर कक्षाएं	3 सप्ताह
12.	आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद	1 दिवसीय / 5 दिवसीय (अंशकालीन)
13.	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	6 माह (अंशकालीन)
14.	संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद	1 दिवसीय

गत वर्ष की भाँति, नए और उपेक्षित उद्योगों के श्रमिकों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय निदेशालयों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि सक्रिय श्रमिकों एवं श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

चयनित श्रमिकों को क्षेत्रीय निदेशालयों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे अपने संगठन में वापस जाकर उद्यम स्तर पर साधारण श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलापों को आयोजित करते हैं। प्रशिक्षकों की कार्यक्षमता, प्रभावात्मकता, शिक्षण कौशल, रुचि एवं प्रेरणा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।

वर्ष 2015–2016 के दौरान डेढ़ माह के 03 पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों में 83 प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए। उनमें से 58 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 25 निजी क्षेत्र के थे।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का संघवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

1.	इंटक	18
2.	एटक	12
3.	भारतीय मजदूर संघ	08
4.	हिन्द मजदूर संघ	06
5.	सी.ई.टी.यू.	03
6.	यू.टी.यू.सी.	03
7.	अखिल भारतीय परिसंघ	15
8.	अन्य	18
	कुल	83

यह देखा गया है कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए श्रमिक संघों ने योग्य व्यक्तियों को नामित करने लगा है। इन पाठ्यक्रमों के लिए श्रमिक संघों में पदाधिकारी की हैसियत से दायित्व निभाने वाले व्यक्ति नामित किए गए थे। उनका विवरण निम्न प्रकार है:

1.	अध्यक्ष	02
2.	उपाध्यक्ष	04
3.	सचिव	08
4.	कोषाध्यक्ष	02
5.	कार्यकारी सदस्य	24
6.	प्रतिनिधि	26
7.	अन्य	17
	कुल	83

शैक्षणिक भ्रमण

डेढ़ माह के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों में श्रमिक संघों, औद्योगिक संबंधों, उत्पादकता तकनीकों, सुरक्षा, कार्य वातावरण आदि से संबंधित प्राथमिक

जानकारी प्राप्त करने में श्रमिकों को मदद करना है। नियोक्ताओं ने अध्ययन भ्रमणों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को अपने-अपने संबंधित संगठनों के नियमों के अनुसार पूर्ण यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान **07** शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया गया।

स्थानीय भ्रमण

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा प्रधान श्रम संघों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं श्रम विभाग के कार्यालयों में आयोजित स्थानीय भ्रमणों ने उनके क्रियाकलापों को समझने तथा व्यावहारिक महत्व वाले विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने में मदद किया। वर्ष के दौरान प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए कुल **14** स्थानीय भ्रमण आयोजित किए गए थे।

प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

इकाई स्तर की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में इकाई स्तर की कक्षाएँ आयोजित करने में लगे प्रशिक्षकों को अद्यतन ज्ञान प्रदान करने तथा शिक्षण प्रणाली की अद्यतन प्रवृत्तियों के संदर्भ में श्रमिकों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने में उनकी निपुणता बढ़ाने की भी दृष्टि से क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान **20** प्रशिक्षकों के लिए **01** पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम

श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए **21** दिवसीय व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम बोर्ड के लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है जिसकी श्रम संघों द्वारा सराहना की गई। नेतृत्व, संप्रेषण तथा समझौता में प्रवीणता हासिल करने की दृष्टि से श्रमिक संघ अपने सक्रिय श्रमिकों को इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु नामित करते हैं। वर्ष के दौरान **387** प्रतिभागियों के लिए **17** पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम

श्रमिक संघों एवं प्रबंधनों के प्रतिनिधियों को एक आम मंच पर लाने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा प्रबंधन में भागीदारी, उत्पादकता, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्य-संस्कृति, द्विदलीय समितियों में सहभागिता पर चर्चा करने हेतु एक/दो/तीन दिवसीय अल्पावधि के संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

संगठनों से प्राप्त फीडबैक से पता चला कि इन कार्यक्रमों ने प्रबंधकों एवं श्रमिक संघों को कार्यस्थल पर आपसी समझबूझ, सामूहिकता की भावना एक सामूहिक गतिशीलता बढ़ाने

में सहायता प्रदान की है। इन कार्यक्रमों के लिए माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधनों तथा श्रमिक संघों के **19826 प्रतिनिधियों** के लिए **798** संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चलाए गए।

आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद

श्रमिक संघ के पदाधिकारियों तथा अन्य श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर गहन और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर 01, 02 एवं 05 दिवसीय विषयाधारित अथवा आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान **5266** श्रमिकों ने इस प्रकार के **213** कार्यक्रमों में भाग लिया।

स्वयंकोष निर्माण के लिए कार्यक्रम

बोर्ड, नाम मात्र शुल्क लेकर क्षेत्रीय स्तर पर 1/2/3 दिवसीय स्वयंकोष निर्माण के कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान **10979** श्रमिकों के लिए **554** कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

श्रमिकों और उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम

9वीं पंचवर्षीय योजना में दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिशिबो) द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्रमिकों और उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर दो/चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने, प्रेरणा विकसित करने, व्यक्तित्व का निर्माण करने, पारिवारिक स्तर ऊँचा उठाने, पड़ोसियों से अच्छे आपसी संबंध बनाए रखे, पर्यावरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करने टीम कार्य, मानवीय संबंधों, उत्पादकता बोध, कार्य के प्रति लगाव, अनुशासन, आपसी विश्वास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि की भावनाओं को विकसित करने की दृष्टि से आरंभ किया गया। आरंभ से ही यह कार्यक्रम लोकप्रिय बन गया है।

वर्ष **2015–2016** के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित इस तरह के **295** कार्यक्रमों में **11421** श्रमिकों के जीवनसाथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। **295** कार्यक्रमों में से **11421** प्रतिभागियों को, जिसमें संगठित क्षेत्र के लिए आयोजित **26** कार्यक्रमों में **884** श्रमिकों एवं जीवनसाथियों को प्रशिक्षित किया गया जबकि असंगठित क्षेत्र के लिए आयोजित **269** कार्यक्रमों में **10537** श्रमिकों के जीवनसाथियों को प्रशिक्षित किया गया।

संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद

बोर्ड द्वारा बहुत पहले प्रशिक्षित श्रमिक भारत सरकार की नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति आरंभ करने के बाद हुए नवीनतम विकासों के बारे में अनभिज्ञ हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में बदलते परिदृश्य की दृष्टि में इकाई स्तर की कक्षाओं में बहुत पहले प्रशिक्षित श्रमिकों को अपनी कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम क्षेत्र के नीवनतम विकासों की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।

अतः बोर्ड ने इकाई स्तर की कक्षाओं में 1992 से पूर्व प्रशिक्षित हुए श्रमिकों के लिए वर्ष 1997 से संयंत्र स्तर पर एक दिवसीय विशेष परिसंवादों को प्रारंभ किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस प्रकार के **158** कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें **4737** श्रमिक प्रशिक्षित हुए।

इकाई स्तर की कक्षाएँ

प्रशिक्षित प्रशिक्षक अपने संबंधित उद्यमों में कार्यरत श्रमिकों के लिए इकाई स्तर की कक्षाएँ आयोजित करते हैं। बोर्ड श्रमिक संघवाद, श्रम अर्थशास्त्र, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण इ. विषयों पर एक माह की इकाई स्तर की कक्षाओं को आयोजित करना जारी रखा है। ये कक्षाएं वर्ष 1991-92 में आरंभ की गई हैं। बोर्ड द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सप्ताहांत इकाई स्तर की कक्षाओं को भी जारी रखा गया है। वर्ष के दौरान इकाई स्तर की कक्षाओं के **71** सत्रों में **1726** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

भौक्षणिक भ्रमण और स्थानीय भ्रमण

संबंधित प्रबंधनों के सहयोग से इकाई स्तर की कक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए कक्षा में पढ़ाने के अलावा भौक्षणिक भ्रमण तथा स्थानीय भ्रमण भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान इकाई स्तर की कक्षाओं में **29** अध्ययन दौरे आयोजित किए गए। नियोक्ताओं ने उनके संगठन के नियमानुसार श्रमिकों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता दिया। वर्ष के दौरान श्रमिक प्रशिक्षकों ने **57** स्थानीय भ्रमण कर लिया था।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विषय पर कार्यक्रम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने "प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी" विषय की संकल्पना को प्रसारित करने के लिए दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिशिबो) को एक उपयुक्त माध्यम मान लिया है और तदनुसार श्रम मंत्रालय ने वर्ष **2015-2016** के दौरान बोर्ड को संयंत्र स्तर पर **35** कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।

बोर्ड ने ऐसी संस्थाओं की पहचान करके, जहाँ प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी योजना प्रचलन में है, वहाँ पर इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस प्रकार श्रमिक एवं प्रबंधन के **1056** प्रतिनिधियों को बोर्ड ने संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित किया है।

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का प्रशिक्षण

असंगठित क्षेत्र एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक साधारणतया अनेक श्रम कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उनके अधिकारों तथा हकों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं और उनका शोषण होता है। चूँकि ये श्रमिक छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों में पाये जाते हैं, इसलिए उनके संगठन यदि कार्यरत हों तो भी सामूहिक समझौता करने के लिए कमजोर होते हैं। दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिबो) इन श्रमिकों को कार्यक्षेत्र में उनकी समस्याओं, संरक्षित श्रम कानूनों आदि के प्रति उनमें जागरूकता विकसित करने एवं इनके समाधान ढूँढने में उन्हें सन्निध करने की दृष्टि से वर्ष 1979 से चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। परंतु बोर्ड की भूमिका मुख्यतया शैक्षणिक व प्रेरणात्मक है।

शिविर के प्रतिभागी हथकरघा, बिजलीकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, हस्तकला उद्योग, रेशम उद्योग, नारियल की जटा, बीड़ी उद्योग, काँच उद्योग, पीतल उद्योग तथा स्लेट उद्योग आदि से संबंध रखते हैं। बोर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय कार्यक्रमों के बदले दो दिवसीय कार्यक्रमों का भी आयोजन करता आ रहा है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सकें।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए बोर्ड ने दो/चार दिवसीय अवधि के **1481** कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें **56205** श्रमिकों ने भाग लिए। लक्ष्य समूह की कार्यात्मक आवश्यकता को पहचानने के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय निदेशालयों एवं अर्ध शहरी स्थानों पर संचालित किए गए थे।

इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण सारणी-V में दिया गया है।

दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

बोर्ड, समाज के दुर्बल वर्ग के श्रमिकों जैसे-सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, अनियत श्रमिकों, नगर विशयक एवं सफाई श्रमिकों, निर्माणकार्य श्रमिकों, घरेलू नौकरों, विकलांग श्रमिकों, रिक्शा चालकों और अन्य प्रकार के श्रमिकों को उनके अधिकार और दायित्व, संगठन का महत्व, फुजूलखर्च से बचाव, पारिवारिक बजट, कल्याणकारी कानून, छोटे परिवार की अवधारणा अपनाने, सामाजिक बुराइयों का विरोध करने आदि के साथ उन्नति के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक करने की दृष्टि से चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन करता है।

वर्ष 2015–2016 के दौरान बोर्ड ने 13543 श्रमिकों के लिए 348 चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रत्येक कार्यक्रम के पहले शिक्षा अधिकारियों द्वारा लक्ष्य समूह की कार्यात्मक आवश्यकताओं का सामान्य सर्वेक्षण तथा निर्धारण किया गया है। शिक्षण को अधिकाधिक रोचक व सार्थक बनाने हेतु अनौपचारिक एवं विस्तार पद्धति का प्रयोग किया गया।

इन शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ. जा.	अ.ज. जा.	अन्य	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	अन्य	कुल	
1	महिला श्रमिक	213	-	-	-	-	2713	924	4614	8251	8251
2	बाल श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	युवा श्रमिक	14	39	-	79	118	68	79	286	433	551
4	विकलांग श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नगर विशयक एवं सफाई श्रमिक	7	32	4	22	58	71	40	101	212	270
6	निर्माण कार्य श्रमिक	10	29	3	25	57	54	43	199	296	353
7	सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक	8					134	33	153	320	320
8	रिक्शा चालक	-									
9	पत्थर खदान श्रमिक	2					13	40	27	80	80
10	अन्य	94	41	136	290	467	1061	988	1202	3251	3718
	कुल	348	141	143	416	700	4114	2147	6582	12843	13543

श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम

बोर्ड, वर्ष 2003-04 से ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के संदर्भ में श्रमिकों में जागरूकता लाने हेतु इन कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है।

वर्ष 2015-2016 के दौरान बोर्ड ने ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र के 703 श्रमिकों के लिए 26384 श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया।

विशेष कार्यक्रम

असंगठित श्रमिकों, महिला श्रमिकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों एवं बाल श्रमिकों के अभिभावकों/बाल श्रमिकों के लिए भी दो दिवसीय विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015-2016 के दौरान बोर्ड ने 6748 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 251894 श्रमिकों ने भाग लिया।

पत्थर खदान श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 में बोर्ड को निर्देशित करते हुए निर्णय दिया कि बोर्ड, फरीदाबाद जिले में पत्थर खदान तथा पत्थर पीसने का काम करने वाले श्रमिकों को उनके अधिकार एवं हक के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर शिविर आयोजित करना है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार बोर्ड वर्ष 1984 से फरीदाबाद जिले में इन श्रमिकों के लिए दो दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन करता आ रहा है। ये शिविर खदानों में काम कर रहे श्रमिक संघों के सहयोग से श्रमिकों के अनुकूल स्थानों/कार्यस्थलों पर आयोजित किये जाते हैं।

इन शिविरों में बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, समान वेतन अधिनियम, 1976, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, खदान अधिनियम, 1952, फैक्टरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 जैसे विभिन्न कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को दिए गए हक, अधिकार, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान दो दिवसीय अवधि के 06 शिविरों में 236 श्रमिकों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	स्थान	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या		कुल
			पुरुष	महिला	
1	धुर्वा का डेरा, फरीदाबाद	22 एवं 23 मई, 2015	6	34	40
2	मेहत्रु का डेरा, फरीदाबाद	22 एवं 23 जून, 2015	15	25	40
3	बंधुवा मुक्ति पुनर्वास केन्द्र, फरीदाबाद	15 एवं 16 सितम्बर, 2015	12	28	40
4	खोरी लक्कापुर, फरीदाबाद	12 एवं 13 दिसम्बर, 2015	11	26	37
5	मेहत्रु का डेरा, फरीदाबाद	04 एवं 05 फरवरी, 2016	9	31	40
6	जैन का डेरा, फरीदाबाद	06 एवं 07 फरवरी, 2016	11	28	39
कुल			64	172	236

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम

वर्ष 2007-08 के दौरान बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनमें सभी प्रकार के कौशल का विकास करने हेतु तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा उनके अपने संगठन का विकास करने तथा सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रायोगिक आधार पर दस दिवसीय अवधि के व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम नामक एक नए कार्यक्रम का आरंभ किया।

अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा श्रमिक संघ संगठनों के परामर्श से प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस तरह के 01 कार्यक्रम का आयोजन 30 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किया गया।

प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2007-2008 के दौरान बोर्ड ने 05 वर्ष पहले प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए उनके प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद ज्ञान स्तर को बढ़ाने तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करने संबंधी पुनःप्रशिक्षण नामक एक दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस तरह के 347 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके 19073 असंगठित श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

पंचायतीराज संस्थानों के लिए विशेष कार्यक्रम

पंचायतीराज संस्थान ने ग्रामीण संरचना विकास तथा गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी चुने हुए पंचायतीराज सदस्यों को सौंपी है जिसके लिए पंचायतीराज सदस्यों में ज्ञान तथा कौशल होना आवश्यक है। पंचायतीराज की सफलता के लिए, पंचायतीराज के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने हेतु उनका शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार पंचायतीराज संस्थान के चुने हुए सदस्यों को शिक्षित करने के लिए, बोर्ड ने वर्ष 2007-08 के दौरान दो दिवसीय अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड ने पंचायतीराज संस्थान के चुने हुए 2527 सदस्यों के लिए 71 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसके अलावा बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 03 दिवसीय अवधि के 28 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 766 पंचायतीराज सदस्यों ने भाग लिया।

ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों का प्रशिक्षण

ग्रामीण श्रमिकों को अपनी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण करने के लिए सन्नद्ध करने तथा उन्हें इन समस्याओं का हल ढूँढ निकालने योग्य बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1977-78 से ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उनके स्व-संगठनों को विकसित एवं सशक्त बनाने में तथा उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने में ग्रामीण श्रमिकों को मदद करना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। फिर भी, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका मुख्यतया शैक्षणिक व प्रेरणात्मक है। भूमिहीन श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, जनजाति श्रमिकों, सीमांत श्रमिकों, मछुआरों, ग्रामीण कारीगरों, वन श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बोर्ड ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करता है।

ग्रामीण जागरूकता शिविर

दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर प्रशिक्षार्थियों के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम हैं, जो प्रशिक्षार्थियों को पारिवारिक बजट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक बुराइयों आदि की जागरूकता देने के अतिरिक्त नये विचारों एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु जानकारी देते हैं। ये शिविर प्रतिभागियों की अभिरुचि के अनुसार विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान केन्द्रित करने एवं वर्तमान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करने की दृष्टि आयोजित किए जाते हैं।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान आयोजित **1185** दो दिवसीय जागरूकता शिविरों में **44593** ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया। ग्रामीण श्रमिक के लिए दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर तथा चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का श्रेणीवार विवरण सारणी-II में दिया गया है।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम

ग्रामीण शिविरों की समिति की सिफारिश के अनुसार बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2003-04 से ग्रामीण श्रमिकों के लिए चार-दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया है। अनुकूल सम्बन्धों का वातावरण निर्माण करने के लिए आत्मविश्वास, स्व-सहायता, सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना सशक्तीकरण कार्यक्रमों का उद्देश्य है।

रिपोर्टधीन वर्ष 2015-2016 के दौरान, आयोजित **164** सशक्तीकरण कार्यक्रम में **6458** श्रमिकों ने भाग लिया।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए पुनःप्रशिक्षण

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह ही बोर्ड सदृश उद्देश्यों सहित वर्ष 2007-08 के दौरान ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक दिवसीय अवधि के पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ किया है।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, इस तरह के **251** कार्यक्रमों का आयोजन **13910** प्रतिभागियों के लिए किया गया।

ग्रामीण स्वयंसेवकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

ग्रामीण जागरूकता शिविरों में पढ़ाये जाने वाले विशयों पर ग्रामीण स्वयंसेवकों के ज्ञान को अद्यतन करने और ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावशाली रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित कराकर उनकी दक्षता को भी विकसित करने के लिए ग्रामीण जागरूकता शिविरों में लगे ग्रामीण स्वयंसेवकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा एक सप्ताह के अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मनरेगा के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) के लाभार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जीविका सुरक्षा में वृद्धि प्रत्येक के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी जिसमें प्रत्येक परिवार के प्रौढ़ सदस्य काम करने को तैयार हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है:-

- 1) **ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम:** ग्रामीण स्तर पर 40 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु.10,000/- प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।
- 2) **खण्ड स्तर पर कार्यक्रम:** खण्ड स्तर पर 100 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु.81,000/- प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।
- 3) **जिला स्तर पर कार्यक्रम:** ग्रामीण स्तर पर 20 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु.55,000/- प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।

वर्ष **2015-16** के दौरान, बोर्ड ने मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के **18735** श्रमिकों के लिए कुल **490** कार्यक्रमों का आयोजन किया।

क्र. स.	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्रामीण स्तर पर	487	18435
2	जिला स्तर पर	0	0
3	खण्ड स्तर पर	3	300
	कुल	490	18735

मनरेगा कार्यक्रमों का प्रभाव

सुग्राही प्रणाली में सुधार करने हेतु विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम, विषय सूची, विस्तृत समावेश, भौतिक कार्यप्रणाली का अतिथि के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों तथा कुछ प्रशिक्षार्थियों का परिचर्चा एवं परस्पर विचार-विमर्श करके मूल्यांकन किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत गाँव/खण्ड/जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का समग्र प्रभाव रहा है, कि इस योजना में श्रमिक प्रशिक्षार्थी सच में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी अपने गाँव के श्रमिक साथियों से कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी बाँटने में बहुत उत्सुक थे। अधिकांश प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि, कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान रोजगार पाने के लिए उपयुक्त है तथा यह निश्चय भी किया कि, गाँव के विकास के लिए ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे तथा जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए उत्सुक अनेक जॉबकार्ड धारकों को योजना में उल्लिखितनुसार, निर्धारित दिनों का कार्य मिला।

अध्याय - V

सहायता अनुदान

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड अपनी सहायता अनुदान योजना के माध्यम से श्रमिक संघों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को उन्हें अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

बोर्ड की सहायता अनुदान योजना 1960 में प्रारम्भ हुई और तब से बहुत विकसित हो चुकी है। श्रमिक संघों से प्राप्त सुझावों तथा माँगों पर विचार करते हुए इसे समय समय पर परिवर्तित एवं संशोधित किया गया। सहायता अनुदान के नियमों एवं प्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल एवं संशोधित कर दिया गया है।

श्रमिक संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सहायता अनुदान निम्नानुसार चार प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये उपलब्ध होता है :

1	पूर्ण कालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
2	पूर्ण कालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
3	अंश कालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	2 से 4 दिवसीय
4	राज्य सतर पर पूर्ण कालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय

सहायता अनुदान कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों और प्रतिभागियों की संख्या में लचीलापन दिया जाता है। यह सहायता अनुदान योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिये भी लागू की गई है।

मार्च, 2016 तक **1582** श्रमिक संघ संगठनों आदि ने बोर्ड से **रु.2,76,09,651.62/-** सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करके **6,84,007** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया। प्रदत्त सहायता अनुदान और प्रशिक्षित श्रमिकों संबंधी विस्तृत विवरण सारणी –XIII में दिया गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, **41** श्रमिक संघ संगठनों को **रु. 5,71,120/-** सहायता अनुदान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु दिए गए, जिनमें **240** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया था। इन कार्यक्रमों में श्रमिक संघवाद, उत्पादकता, श्रमिक संघ एवं प्रबंधन के बीच

संबंध, वेतन, बोनस, ग्रामीण श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक सुरक्षा और स्वच्छता, श्रम कानून, जनसंख्या और परिवार कल्याण इत्यादि विषय पढ़ाए गए।

बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों/ शिक्षा अधिकारियों ने सहायता अनुदान कार्यक्रमों का निरीक्षण किया तथा अनुदानग्राहियों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए।

वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 के दौरान श्रम संगठनों को दी गई सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :

क्रं. सं.	संगठन	श्रमिक संघों / संस्थानों की संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया		प्रदत्त अनुदान राशि (रुपयों में)	
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
	केन्द्रीय संगठन / राष्ट्रीय परिसंघ				
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.)	1	4	15,930.00	45,630.00
2	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (इंटक)	0	2	-	24,840.00
3	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एटक)	0	1	-	20,025.00
4	हिन्द मजदूर सभा (एच.एम.एस.)	0	0	-	-
5	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	0	0	-	-
6	इन्डिपेंडेंट ट्रेड यूनियन्स	1	13	10,530.00	182,340.00
7	सोसाइटीज पंजीकृत अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	3	21	37,980.00	298,285.00
8	अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी परिसंघ	0	0	-	-
	कुल	5	41	64,440.00	571,120.00

* *** ** * ** * ** * ** *

अध्याय-VI

प्रकाशन एवं शैक्षिक सामग्री

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एक शैक्षिक संस्थान होने के नाते संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये सरल एवं सुबोधगम्य पाठ्यपुस्तिकाएं प्रकाशित करता है। इसी प्रकार कक्षा में प्रतिभागियों की रुचि को बनाए रखने तथा शिक्षण को और अधिक रोचक एवं आशयपूर्ण बनाने के लिये सचित्र पुस्तिकाएं, पोस्टर्स, सी.डी., फिल्मस आदि दृश्य-श्रव्य साधन भी प्रकाशित किये जाते हैं।

शैक्षिक सामग्री एवं दृश्य-श्रव्य साधनों को मुद्रित करने से पहले श्रमिकों, श्रमिक संघों एवं प्रबंधनों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के बाद समय-समय पर आयोजित कार्यशालाओं में बोर्ड के अधिकारियों से उसकी चर्चा की जाती है। ये पुस्तिकाएं रु. 5/- प्रति पुस्तिका की किफायती दर पर बेची जाती है। तथापी ग्रामीण/ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये रु. 1/- प्रति पुस्तिका के दर से सचित्र पुस्तिकाएं बेची जाती हैं। मार्च, 2015 की समाप्ति तक अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में कोई भी शीर्षक प्रकाशित नहीं किया गया।

श्रमिक शिक्षा पत्रिका

बोर्ड द्वारा "श्रमिक शिक्षा" नामक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसमें श्रम संघवाद, औद्योगिक संबंध, श्रम अर्थशास्त्र, शिक्षा के उपकरण एवं तकनीक, उत्पादकता, भागीदारी प्रबंधन आदि विषयों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में उच्च कोटि के लेख होते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रमिक शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया गया।

बोर्ड का प्रकाशन

दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिबो) की रिपोर्ट समिति द्वारा अक्टूबर, 2015 में बोर्ड के संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर शासी निकाय द्वारा 'सिलेबस रिव्यू' नामक गहन दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रभावी ढंग से रिपोर्ट प्रसारित की गई।

हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन

वर्ष के दौरान, केश्रिबो, नागपुर द्वारा 'श्रम किरण' ई-मैगजीन का प्रकाशन किया गया। दिनांक 26.01.2016 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पत्रिका का विमोचन किया गया।

अध्याय-VII

अन्य गतिविधियाँ

कर्मचारी सशक्तोकरण

बोर्ड ने वर्ष के दौरान अधिकारियों के विकास एवं सशक्तीकरण विषय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये बहुत जोर दिया है। जो उनके ज्ञान एवं कार्यकुशलता और कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। वर्ष 2015-2016 के दौरान बोर्ड ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों के लिए कौशल विकास की पहल हेतु निम्नलिखित 06 अन्तर प्रभावी प्रवेश एवं अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया है।

क्रं. सं.	कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 06.04.2016 से 17.04.2016 तक 02 सप्ताह का प्रशिक्षण	गीड भासन एवं ज्ञान प्रबंधन	क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों हेतु

लोक शिकायत

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय में दिनांक 28/09/1993 को एक अलग सतर्कता सेल स्थापित किया गया है। सतर्कता अनुभाग को मूलतः विभागीय जाँच संबंधित कार्य सौंपा गया है। अपर निदेशक के अनुवीक्षण में एक अनुसंधान अधिकारी एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी तथा एक उच्च श्रेणी लिपिक अनुभाग का कार्य देख रहे हैं। निदेशक जो प्रमुख सर्तकता अधिकारी अपने नेमी कार्यों के अतिरिक्त अंशकालिक प्रमुख सतर्कता अधिकारी का कार्य देखते हैं।

वर्ष 2015-2016 के दौरान सर्तकता अनुभाग न्यायालय में चल रहे पेंशन किराया, पदोन्नति एवं एमएसीपी आदि से संबंधित बोर्ड के मामले को देख रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उनमें से 24 मामलों का निपटारा किया गया तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 24 नए मामले दाखिल किये गए हैं तथा चालू वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् दिनांक 31/03/2016 तक 47 मामलों अभियोजन के अधीन हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष 2015-16 के दौरान मात्र 20 जन शिकायत मामले प्राप्त हुए हैं और उन 20 मामलों का दिनांक 31.03.2016 तक निपटान कर

दिया गया। 31 मार्च, 2016 तक 11 संख्यक विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है जिनमें से 03 मामलें मुख्य सतर्कता आयोग से संबंधित है।

कर्मचारी कल्याण

वर्ष 2015–2016 के दौरान बोर्ड ने अपने पदाधिकारियों को विभिन्न अग्रिम प्रदान किया, संगणक एवं वाहन अग्रिम – शून्य है।

कर्मचारी की स्थिति

बोर्ड में दिनांक 31/03/2016 को वर्ग क, ख, ग एवं एम.टी.एस. के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार थी :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'	वर्ग 'ग'	एम टी एस	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुख्यालय, नागपुर	5	11	37	10	63
2	भा.श्र.शि.सं., मुम्बई	1	5	8	7	21
3	ऑचलिक निदेशालय (6)	6	5	24	6	41
4	क्षेत्रीय निदेशालय (50)	0	265	203	121	589
	कुल	12	286	272	144	714

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई जानकारी

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्ष 2015–2016 के दौरान 160 आवेदकों को उनके अनुरोध पर संगत जानकारी प्रदान की और इस संदर्भ में रूपये 880/- प्राप्त हुए।

राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

रिपोर्टधीन वर्ष 2015–2016 के दौरान, हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 03 अधिकारियों एवं 21 'ग' श्रेणी कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन भत्ता एवं पुरस्कार प्रदान किये गए।

रिपोर्टधीन वर्ष 2015–2016 के दौरान, बोर्ड के मुख्यालय, नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 04 बैठकें आयोजित की गई तथा मुख्यालय, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई एवं सभी ऑचलिक / क्षेत्रीय निदेशालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा की गई।

राजभाषा हिन्दी कार्यशाला

रिपोर्टधीन वर्ष 2015–2016 के दौरान, निम्नलिखित 02 राजभाषा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

क्र. सं.	कार्यशाला	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी
1.	99वीं राजभाषा हिन्दी कार्यशाला	22.09.2015 से 24.09.2015 तक	ग्वालियर	10 अधिकारी } = 21 11 कर्मचारी }
2.	100वीं राजभाषा हिन्दी कार्यशाला	08.02.2016 एवं 10.02.2016 तक	मुख्यालय, नागपुर	09 अधिकारी } = 22 13 कर्मचारी }

उपर्युक्त सभी कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को दैनंदिन सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा का आयोजन

मुख्यालय, नागपुर में 16 सितम्बर, 2015 को हिन्दी दिवस तथा 16 से 30 सितम्बर, 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान, मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए टिप्पणी आलेखन, निबंध लेखन, सुलेखन, अंताक्षरी, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें सभी कर्मचारियों ने उत्सुकता से भाग लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के रूप में रु.300/-, 200/-, 150/- एवं 100/- प्राप्त की।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अंशदान

वर्ष 2015–16 के दौरान, के.श्र.शि.बो., मुख्यालय, नागपुर ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद, नागपुर एवं अहमदाबाद को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छःमाही, वार्षिक बैठकें आयोजित करने एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करने, पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों को रुपये 11000/- की स्वीकृति प्रदान की।

विभिन्न दिवसों का आयोजन

मुख्यालय, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई तथा बोर्ड के सभी आंचलिक तथा क्षेत्रीय निदेशालयों ने निम्नलिखित दिवसों का आयोजन किया:

- आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, 2015
- स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2015
- सद्भावना दिवस 20 अगस्त, 2015
- हिन्दी पखवाड़ा 16 से 30 सितम्बर, 2015

- हिन्दी दिवस 16 सितम्बर, 2015
- श्रमिक शिक्षा दिवस 16 सितम्बर, 2015
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2015
- कौमी एकता दिवस 19 से 25 नवम्बर, 2015
- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2016
- शहीद दिवस 30 जनवरी, 2016

इस अवसर पर परिसंवाद, संगोष्ठियाँ, विशेष व्याख्यान, फिल्म शो, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रशिक्षार्थियों एवं कर्मचारी सदस्यों को आवश्यकतानुसार शपथ दिलाई गई।

निरीक्षण

वर्ष 2015–2016 के दौरान बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे अध्यक्ष, निदेशक, उप निदेशकों एवं आंचलिक निदेशकों ने भी विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को भेंट दी तथा निरीक्षण भी किया।

बोर्ड के उत्तर-पूर्व, पूर्व, उत्तर, मध्य एवं पश्चिम अंचल के आंचलिक निदेशकों/प्रभारी आंचलिक निदेशकों के लिए ग्वालियर, परवाणू, पूरी एवं गाँधीधाम में दिनांक 22.09.2015, 28.10.2015, 14.12.2015 एवं 20.01.2016 को बोर्ड की समन्वय बैठक आयोजित की गई।

इसी प्रकार दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान केश्रिशिबो की निदेशक श्रीमती नम्रता तिवारी ने निम्नलिखित दौरा निम्न प्रकार किया है:

क्र. सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
1.	31.03.2015 से 01.04.2015	नई दिल्ली	दिनांक 01.04.2015 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संसदीय स्थायी समिति की बैठक में सम्मिलित होना
2.	16.04.2015 से 17.04.2015	नई दिल्ली	आईआईपीए, रोहिणी का दौरा, क्षेत्रीय निदेशालय, गाजियाबाद के मकान मालिक से बातचीत एवं आईआईपीए में समापन समारोह
3.	30.04.2015 से 01.05.2015	नई दिल्ली	समझौता ज्ञापन पर संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ बैठक
4.	24.05.2015 से 25.05.2015	नई दिल्ली	दिनांक 25.05.2015 को सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ बैठक
5.	09.07.2015 से 10.07.2015	नई दिल्ली	अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ बैठक
6.	13.07.2015 से 14.07.2015	कोलकाता	केश्रिशिबो के कोर्ट केस संबंधी चर्चा के लिए संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं एएसजी श्री कौशिक चंदा के साथ बैठक

7.	19.07.2015 से 20.07.2015	नई दिल्ली	46वें आईएलसी के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित होना, रेलवे बोर्ड के ई.डी. (प्रशि.) के साथ बैठक एवं मंत्रालय में सी.वी.सी. की बैठक
8.	27.07.2015 से 27.07.2015	नई दिल्ली	सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ बैठक
9.	16.08.2015 से 18.08.2015	मुंबई	भाश्रशिसं की 38वीं प्रबंध समिति की बैठक में सम्मिलित होना
10.	25.08.2015 से 26.08.2015	नई दिल्ली	59वीं वित्तीय उप-समिति की बैठक में सम्मिलित
11.	02.09.2015, 04.09.2015 एवं 05.09.2015	बेंगलूरु, हैदराबाद	बोर्ड की 167वीं शासी निकाय की बैठक एवं दिनांक 03.09.2015 को 71वीं वार्षिक सामान्य बैठक, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बैठक में सम्मिलित होना।
12.	21.09.2015, 22.09.2015 एवं 24.09.2015	ग्वालियर, भोपाल	मध्य अंचल की लक्ष्य समीक्षा एवं वित्तीय समीक्षा। दिनांक 23.09.2015 से 24.09.2015 को ग्रामीण मंत्रालय आयोजित किए जा रहे "गुड प्रैक्टिसेस" विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुतीकरण।
13.	18.10.2015 से 19.10.2015	नई दिल्ली	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में बैठक
14.	26.10.2015 से 29.10.2015	नई दिल्ली, कालका (चण्डीगढ़)	ग्रामीण क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय माडुलेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम, जगजीत नगर पंचायत, ब्लॉक, धरमपुर, जिला: सोलन (हि.प्र.) में ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम उत्तर अंचल की निष्पादन समीक्षा बैठक।
15.	17.11.2015 से 19.11.2015	नई दिल्ली	168वीं शासी निकाय की बैठक में सम्मिलित होना
16.	12.12.2015 से 15.12.2015	भुवनेश्वर	पूर्व एवं उत्तर पूर्व अंचल तथा दक्षिण अंचल की समीक्षा बैठक
17.	14.01.2016 से 15.01.2016	नई दिल्ली	'एचआईवी/एड्स एवं जगत कार्य' विषय पर स्थायी समिति की बैठक
18.	18.01.2016 से 22.01.2016	राजकोट	राजकोट में पश्चिम अंचल की निष्पादन समीक्षा बैठक
19.	10.03.2016 से 10.03.2016	नई दिल्ली	सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ बैठक

अध्याय-VIII

बोर्ड के चुनिंदा कार्यक्रमों की विशेषताएँ

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) ने वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बोर्ड ने तदनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कुछ मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं:

श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 17.08.2015 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई में अपनी भेंट दीं और बोर्ड के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। श्री के. लक्ष्मा रेड्डी, माननीय अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (के.श्र.शि.बो) ने बोर्ड के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में बोर्ड की गतिविधियों को अवगत कराया। श्री शंकर अग्रवाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली ने भी अवगत कराया कि श्रमिकों के साथ-साथ राष्ट्र के विकास के लिए सूचना एवं जागरूकता महत्वपूर्ण है।

माननीय अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (के.श्र.शि.बो) ने दी अपनी भेंट:

बोर्ड के हितधारकों से मिलने एवं बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रभावी एवं परिणामोन्मुख निष्पादन के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों एवं भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (के.श्र.शि.बो) के माननीय अध्यक्ष श्री के. लक्ष्मा रेड्डी ने अपनी भेंट दी।

16 सितम्बर, 2015 को 'श्रमिक शिक्षा दिवस' के आयोजन की संक्षिप्त रिपोर्ट:

16 सितम्बर, 2015 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालय, नागपुर एवं सभी 50 क्षेत्रीय निदेशालयों में शैक्षणिक परिसंवाद का आयोजन करते हुए बड़े उत्साह और जोश के साथ "श्रमिक शिक्षा दिवस" मनाया गया।

बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों में श्रमिक शिक्षा दिवस के अवसर पर बहुत उच्च स्तरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

नागपुर: राष्ट्रीय मुख्यालय, नागपुर में 16 सितम्बर, 2015 को 'श्रमिक शिक्षा दिवस' के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का स्थापना दिवस मनाया गया। श्री अनिमेष मिश्रा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, नागपुर समारोह के मुख्य अतिथि थे और इस अवसर पर अपने भाषण में श्रमिकों के बीच उनके क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री अमर वज्रलवार, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, फासिल एवं सदस्य, क्षेत्रीय सलाहकार समिति ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत कई वर्षों से किए गए प्रयासों एवं सक्रिय कार्यबल को रूपांतरित करने में श्रमिकों को सहायता करने में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रयासों को संक्षेप में अवगत कराया।

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत वर्षों से किए गए कार्यों को विस्तारपूर्वक बताया और आश्वासन दिया कि क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि आदित्य बिड़ला सोशल इम्पेक्ट अवार्ड केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रदान किया गया था। उन्होंने वर्तमान परिवेश में श्रमिक शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1.33 करोड़ से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित कर चुका है।

इस अवसर पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम के प्रतिभागियों एवं लाभार्थियों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कुछ प्रतिभागियों ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के महत्व के बारे में बताया और कहा कि बोर्ड ने उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया, वे स्वयं सुव्यवस्थित महसूस कर रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को दिया। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की सफल कहानियों से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:

श्रीमती भाविका बंसोड, अशोक नगर, तहसील एवं जिला भंडारा ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की सहायता से 'मोमबत्ती एवं अगरबत्ती' बनाकर स्वरोजगार करना प्रारंभ की। उन्होंने ग्राम सभा में सक्रिय रूप से सम्मिलित होकर ग्रामवासियों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। हाल ही में वे 'ताता मुक्ति समिति' में चयनित हुईं। अपने जीवकोपार्जन के लिए मोमबत्ती एवं अगरबत्ती बेचने के लिए जिला परिषद में स्टॉल लगाना प्रारंभ की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को दिया क्योंकि बोर्ड के ही कारण उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार भी हुआ।

श्री आर. एन. मांडवकर, ग्राम गोधनी, तहसील उमरेड, जिला नागपुर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम के एक प्रतिभागी थे। उन्होंने 15 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया। अपने

गाँव में शत-प्रतिशत शौचालय प्राप्त करने के लिए सहायता भी किया। जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार ने उनके गाँव को मॉडल विलेज के रूप में नामित किया है। वे अपनी सफलता का श्रेय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों को देते हैं।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम की एक महिला प्रतिभागी श्रीमती सुभा तिरपुडे बहुत ही गरीब थीं जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित हुईं। वर्तमान में वे अच्छा प्रशिक्षक बन गई हैं और दूसरों को आय अर्जित करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम की एक प्रतिभागी श्रीमती सुरेखा ताई तेलंग, ग्राम आस्था, तह.भद्रावती, जि.चंद्रपुर में 'वैष्णवी ग्राम क्रांति बचत गट' का गठन किया। स्वावलम्बन समूह की सहायता से उन्होंने गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट एवं वर्मी कल्चर प्रोजेक्ट पर काम करना प्रारंभ कर दीं, जहाँ उनके साथ 11 महिलाओं को रोजगार मिला। उन्होंने कृषि ग्रुप की गतिविधि पर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने व्यवसाय की सफलता का श्रेय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों को देती हैं। जिसके कारण उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री एकनाथ गजगे, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम के एक प्रतिभागी थे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व वे एक सामान्य व्यक्ति थे। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वे प्रेरित किए गए। कार्यक्रम ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। अब वे अच्छे से उत्सुकतापूर्वक अपना जीवनयापन कर रहे हैं।

सुश्री रेशमा सुधाकर वासनिक, ग्राम पुलफैल, वर्धा में आयोजित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम की एक प्रतिभागी थीं। वे डी.एड. की शिक्षा प्राप्त की हैं और बी.ए. की पढ़ाई कर रही हैं। अब वे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में माइक्रो इंटर प्रीमिअर कन्सलटेंट के रूप में कार्य ग्रहण कर ली हैं। जिसके कारण नियमित आय प्राप्त कर रही हैं और उन्होंने अन्य ग्रामवासियों को भी छोटा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में वे केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की ग्रामीण स्वयंसेवक हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों को देती हैं।

सुश्री मीरा संबाबु वर्मा, समाज भवन, टेकडी, पारशिवनी, नागपुर में फरवरी, 2011 में आयोजित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम की एक प्रतिभागी थीं। वे कार्यक्रम से प्रेरित होकर 11 महिलाओं की 'प्रतिभा महिला बचत गट' नामक स्वावलम्बन समूह का गठन कीं। बचत गट फाइनेंस की सहायता से स्वयं ऋण प्राप्त कीं और एक मशीन लेकर महिला सिलाई व्यवसाय करना प्रारम्भ कर दीं और वर्तमान में उनके पास 3 सिलाई मशीनें हैं। उन्होंने अपने कार्य से

02 महिलाओं को भी रोजगार दिला सकीं। वे इसका श्रेय केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों को देती हैं। जिसके कारण उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आया है।

श्रीमती अल्का रामदा लोखंडे, ग्राम कोरा, तह. समुद्रपुर, जिला वर्धा में आयोजित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम की एक महिला प्रतिभागी थीं। वे गाँव में फैशन डिजाइनिंग एवं टैलरिंग कक्षाएं लेना प्रारंभ कीं। उन्होंने लगभग 100 महिलाओं को प्रशिक्षित किया, उन्होंने 04 स्वावलम्बन समूह का गठन किया, जिनमें से 40 महिलाओं ने अपना व्यवसाय करना प्रारंभ किया। खुद का व्यवसाय करने हेतु बैंक लोन आदि प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए कॉउंसिल सेंटर का गठन किया।

नई दिल्ली: दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) का 58वां 'स्थापना दिवस' 16 सितम्बर, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, नई दिल्ली में मनाया गया।

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) के कार्यक्रम के आरंभ में "वन्दे मातरम्" के पूरे 04 पैराग्राफ को पढ़कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। 16 सितम्बर, 2015 को श्रमिक शिक्षा दिवस की स्थापना दिवस में सम्मिलित मुख्य अतिथि तथा अन्य उच्चाधिकारियों एवं विभिन्न श्रमिक संघों, गैर-सरकारी संघटनों एवं के प्रतिभागियों का क्षेत्रीय निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा स्वागत किया गया। श्री मंजित सिंह नायर, उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं श्री रमेश वत्स, अध्यक्ष, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, दिल्ली द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

ऑचलिक निदेशक, उत्तर अंचल, दिल्ली ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) द्वारा आयोजित किए जा रहे हमारे 26 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संक्षेप में जानकारी दीं।

'श्रमिक शिक्षा दिवस' के स्थापना दिवस के अवसर पर श्री रमेश वत्स, अध्यक्ष, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, दिल्ली ने श्रमिक शिक्षा की भूमिका एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें बदलते परिदृश्य में अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए तथा राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ हर व्यक्ति के उत्थान के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। श्री ओ. पी. बर्वा, डी.टी.सी., श्री फैजल हसल, श्री बालविंदर एवं श्री संदीप अरोड़ा, श्रमिक शिक्षक, डी.टी.सी., 505, आर्मी बेस वर्कशॉप एवं गैर-सरकारी संगठनों ने श्रमिक शिक्षा दिवस के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। उनमें से सभी ने पूरे

भारत में फैले असंगठित, संगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र में दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) के प्रयासों एवं भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने मंत्रालय के पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया कि दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) का बजट बढ़ाया जाए और योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंजीत सिंह, उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। अपने समापन भाषण में श्री सिंह ने प्रतिभागियों से वार्ता करते हुए सम्बोधित किया कि सभी के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। हम सिविल सोसायटी से हैं और भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु हमारा कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित के लिए स्मार्ट कार्ड, रिक्शा चालकों/आटो रिक्शावालों के लिए सामाजिक सुरक्षा, आशा, मिड डे मील जैसे सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। उन्हें उन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, हमें उनके जीवन को सँवारने एवं बेहतर भविष्य के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित करना चाहिए। श्री सिंह, उप सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार की नीतियों का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता है। यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जाने हैं। हमें श्रमिकों को ज्ञान प्रदान करने और समाज तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमें गरीबों के उत्थान एवं पुर्नवास के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और उन्होंने सिविल सोसायटी से अपील किया कि श्रमिक शिक्षा योजना की सहायता के लिए आगे आएं। राष्ट्रगान, जन-गण-मन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

हिन्दी दिवस का आयोजन

नागपुर: मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 16 से 30 सितम्बर, 2015 तक हिन्दी दिवस मनाया गया। श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक ने कहा "भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही एकमात्र भाषा है जो सभी लोगों को जोड़ती है इसलिए हमें इस भाषा के विकास में अपना योगदान देना चाहिए।" मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय निदेशालय से अपील की गई थी कि अपने दैनिक कार्यालयीन कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करें तथा प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए रिकार्ड भी बनाए रखें।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई एवं सभी आंचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों में 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। अपने संबंधित कार्यालयों में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ली। इसी प्रकार, केश्रिशिबो, मुख्यालय, नागपुर, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई

एवं पूरे देश में फैले सभी आंचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों में 19 से 25 नवम्बर, 2015 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया गया।

“स्वच्छ भारत अभियान” का कार्यान्वयन

भारत सरकार के निर्णयानुसार मुख्यालय, नागपुर के साथ-साथ सभी आंचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों में 02 अक्टूबर, 2015 को “स्वच्छ भारत अभियान” बड़े उत्साह के साथ कार्यान्वित किया गया। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने “स्वच्छ भारत” हेतु स्वच्छ अभियान में अपना योगदान देने के लिए भापथ लीं।

निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा ग्राम सेमरी, ब्लॉक— कौढ़ियारा, जि. इलाहाबाद में दिनांक 18.01.2016 एवं 19.01.2016 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री विजय शंकर शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य, कर्चचना, इलाहाबाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिए सफलता की कुंजी है और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि स्वयं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सन्निहित करें। प्रतिभागियों ने ऐसे लाभकारी एवं प्रभावोन्नमुख कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्ष बोर्ड, इलाहाबाद की भूमिका एवं प्रयासों की सराहना की और आशा प्रकट की कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच सकारात्मक परिणाम लाएगा। कार्यक्रम के अधिकांश प्रतिभागियों ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 2009 के अंतर्गत स्वयं का पंजीकरण कराया।

भुवनेश्वर: ग्राम कल्याणपुर, भुवनेश्वर, जि. खुर्दा में दिनांक 28.03.2016 एवं 29.03.2016 को असंगठित क्षेत्र के 40 श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिनमें से 30 प्रतिभागियों ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘निर्माण श्रमिक कल्याण योजना’ का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। श्री प्रियदर्शी मिश्रा, विधायक, विधान परिषद, भुवनेश्वर (उत्तर) ने कार्यक्रम में अपनी भेंट दी और श्रमिकों को प्रेरित किया। बहुसंख्यक श्रमिक संगठन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में समझ गए और जनधन योजना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना आदि में सम्मिलित होने के लिए आगे आये।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम

कानपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर ने ग्राम पावा, तह. बेहर, जि. ललितपुर में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी, 2016 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। सुश्री उमा भारती, माननीया सांसद लोकसभा, झाँसी एवं ललितपुर के प्रतिनिधि श्री जगदीश चौहान दिनांक 13.02.2016 के

उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। श्री देवेन्दर खरे, उपकर आयुक्त कार्यालय, ललितपुर, श्री ए. के. मित्तल, एल.डी.एम., पंजाब नेशनल बैंक, झॉंसी एवं ललितपुर ने भी कार्यक्रम में अपनी भेंट दी तथा लाभार्थियों को बैंक की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। श्री अग्निहोत्री, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ललितपुर ने भी कार्यक्रम में अपनी भेंट दीं और वैक्सिन एवं मातृ एवं शिशु कल्याण के बारे में जानकारी दीं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद प्रतिभागियों ने कौशल विकास में अपनी रुचि दिखाई, उन्होंने बालिकाओं को बचाने के लिए वादा किया। उन्होंने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बनाए रखने का भी वादा किया। वे सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए अल्प बचत करना प्रारंभ कर दिए, वे नवजात शिशु को वैक्सिन दिलाने के लिए भी आश्वासन दिए। प्रतिभागी अपने सामाजिक-आर्थिक विकासे के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आदि का भी लाभ उठाये।

बाल श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

चण्डीगढ़: एन.सी.एल.पी. स्कूल, प्रतापनगर, ब्लॉक एवं जिला – लुधियाना (पंजाब) में दिनांक 11.08.2015 एवं 12.08.2015 को बाल श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री सिमरजीत सिंह बैन्स, माननीय विधायक, लुधियाना (पंजाब) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉ. सुरजीत सिंह, अध्यक्ष, आंबेडकर नगर, कल्याण सोसायटी, लुधियाना (पंजाब) ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। श्री सिमरजीत सिंह बैन्स, माननीय विधायक, लुधियाना (पंजाब) ने उनके बच्चों को कार्य में भेजने के बजाय पढ़ाई करने के लिए बाल श्रमिकों के अभिभावकों को प्रेरित करने एवं मार्गदर्शन हेतु केश्रशिबो के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रमों के आयोजकों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार श्रमिकों के बच्चे अध्ययन में बहुत ही रुचि ले रहे हैं।

बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम

इलाहाबाद: ग्राम श्रमहितकारी केन्द्र, नैनी, ब्लॉक चाका, जिला इलाहाबाद में दिनांक 11.12.2015 एवं 12.12.2015 को बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री हरिओम मिश्रा, अपर सिटी मजिस्ट्रेट/ माघ मेला प्रभारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि बाल श्रमिक भारत की जटिल समस्या है और ऐसे जागरूक कार्यक्रमों से इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। प्रतिभागियों ने ऐसे प्रभावशाली एवं प्रभावी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वचनबद्ध है और इस पावन कार्य को प्रभावी रूप से निष्पादित करेगा।

चण्डीगढ़: एनसीएलपी स्कूल, सं. 09, डुंगरी रोड, लुधियाना (पंजाब) में 6 एवं 7 जनवरी, 2016 को 34 बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री बालविंदर सिंह बैन्स, माननीय विधायक, लुधियाना (पंजाब) कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में 34 प्रतिभागी उपस्थित थे। श्री बालविंदर सिंह बैन्स, माननीय विधायक, लुधियाना (पंजाब) ने बाल श्रमिकों के अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। फेसिलिटेटर (सुविधा प्रदाता) से प्राप्त फीडबैक के अनुसार कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बाल श्रमिकों के अभिभावकों ने अपने बच्चों के बेहतर भावी जीवन के लिए स्कूल में भेजने का निश्चय किया।

मंगलूरु: कॉम्प्यूटि हॉल, श्री नगरा, सतागहाली, बढवने, उदरगिरी, मैसूर में दिनांक 10.11.2015 एवं 11.11.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, मंगलूरु द्वारा बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने बाल श्रम उन्मूलन, सामाजिक बुराई आदि के उन्मूलन से संबंधित भाषण लीं और बहुत से प्रतिभागियों ने पी.एम.जे.एस.बी.वाय., पी.एम.जे.बी.वाय., ए.पी.वाय आदि जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में अपना नामांकन कराया तथा सर्वांगीण विकास के लिए बाल श्रम उन्मूलन की शपथ लीं।

तिनसुकिया: ग्राम चौरेचुंगी, पोस्ट ऑफिस एवं जीपी – रंगचंगी, ब्लॉक पानीचौला, जिला– डिब्रूगढ़ में दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2015 को बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने बाल श्रम की समस्या, समाज में इसका प्रभाव, बाल श्रम निषेध एवं उन्मूलन, स्वावलम्बन समूह, एनआरएलएम, शिक्षा का महत्व एवं सरकारी योजनाओं – एसएसए, मिड डे मिल आदि जैसे विषयों पर की गई चर्चा की सराहना की, इसके साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा योजना एनपीएस, एपीवाय, सुकन्या समृद्धि, पीएमजेजीइवाय, पीएमएसबीवाय आदि जैसी सरकारी योजनाएं एवं स्वास्थ्य तथा स्वच्छता आदि का भविष्य में अनुसरण करने का भी आश्वासन दिया।

इलाहाबाद: रंगोली गेस्ट हॉउस, करैली, इलाहाबाद में 11 एवं 12 जून, 2015 को बाल श्रमिकों के 40 अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री ए. के. सिंह, उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद ने कार्यक्रम का समापन किया। बाल श्रम अधिनियम, 1986 के निषेध एवं विनियम के मुख्य प्रावधानों के बारे में विशेष संकाय में जानकारी प्रदान की। प्रतिभागियों ने अपने बच्चों को काम पर न भेजने की भाषण लीं। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने तथा भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान का लाभ दिलाने का निश्चय किया। स्वावलम्बन समूह के गठन के परिणामस्वरूप स्वरोजगार को अपनाकर बाल श्रमिकों के अभिभावकों ने अपनी आय में वृद्धि लाने का निश्चय किया।

महिला श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

इलाहाबाद: कृषि, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, रामवनगमन रोड़, श्रंगवेरपुर, इलाहाबाद में 22.07.2015 एवं 23.07.2015 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के सभ्रांत वैज्ञानिक एवं निदेशक डॉ. बी. के. द्विवेदी ने किया। फीडबैक सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी, प्रभावी एवं सूचनाप्रद रहा है। कार्यक्रम के 15 प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नया बैंक खाता खोला।

चेन्नै: ग्राम पल्लावरम्, तिरुवनामल्लई में दिनांक 13 एवं 14 मार्च 2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै द्वारा महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को स्वरोजगार एवं अल्प बचत विषय पर जानकारी दी गई फिर भी प्रतिभागियों को लघु उद्योग विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। महिला प्रतिभागी पशु एवं मुर्गी पालन के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु प्रेरित हुई थीं। कार्यक्रम में संकाय एवं विशेषज्ञों ने जन जातियों हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी व्याख्या की।

इम्फाल: कॉम्प्यूटी हॉल, वांगू, अहलू, मयाई, लेकाई, पोस्ट ऑफिस मोरल, विष्णुपुर, जि. मणिपुर में दिनांक 22 एवं 23 जून, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल द्वारा असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की एक महिला प्रतिभागी अटल पेंशन योजना के लिए अपना नामांकन करायीं और अन्य 15 महिलाएं कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के लिए अपना नामांकन कराईं।

धनबाद: अरविंद कॉलोनी, मिहिजोन, जिला जमतारा में दिनांक 04.11.2015 एवं 05.11.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थीं। डॉ. इरफान अंसारी, माननीय विधायक जमतारा, झारखण्ड ने कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए बहुत ही सहायक है। उन्होंने आगे और कहा कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड देश का अद्वितीय संगठन है जो कि समाज के श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत ही गहन रूप से कार्य कर रहा है। हमें श्रमिकों को प्रबुद्ध बनाने के लिए ऐसे अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।

परवाणू: ग्राम सराय, हाटली, केसरू, ब्लॉक बंगना, जि. ऊना (हि.प्र.) में दिनांक 09 एवं 10 जुलाई, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, परवाणू द्वारा असंगठित क्षेत्र के महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 31 महिला प्रतिभागी उपस्थित थीं। श्री वीरेंदर कुमार, माननीय विधायक, विधान सभा (हि.प्र. राज्य) कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेषकर जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की। प्रतिभागी स्वयं विकास, अपने परिवार का विकास, समाज के साथ-साथ राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं की महती भूमिका के बारे में समझ गईं।

असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम

आसनसोल: ग्राम वरजोरा, बाकुडा में दिनांक 26.09.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, आसनसोल द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 01 दिवसीय पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी आय अर्जन गतिविधियों में मुख्य रूप से जुड़ गए हैं, वे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं। प्रतिभागी अपने सहकर्मी के साथ अपने कौशल को विकसित कर लिए हैं। उन्होंने एक-दूसरे को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की भी सहायता की है।

गोवा: ग्राम पंचायत हॉल, थाने- डोंगुर्ली, ब्लॉक-सत्तारी, उत्तर गोवा में दिनांक 25.01.2016 को असंगठित क्षेत्र के लिए 01 दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती सरिता गायनकर, ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में गोवा के भूतपूर्व उप सभापति एवं भूतपूर्व विधायक श्री नरहरि हलदानकर उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें डालें, इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि अपनी रक्षा के लिए खुद पहल करें।

बरेली: एम.एल.ए. ऑफिस, सितारगंज, नानकमत्ता, उधमसिंह नगर में दिनांक 20.01.2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 01 दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 60 प्रतिभागी उपस्थित थे। डॉ. प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, विधान परिषद, सितारगंज, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ने आदिवासी उप योजना प्रकोष्ठ के प्रतिभागियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों से प्रेरित होकर ग्रामीण लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों ने स्वयं के बीच नेतृत्व का विकास किया।

ग्वालियर: क्षेत्रीय निदेशालय, ग्वालियर में दिनांक 19.06.2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 01 दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 58 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मध्य प्रदेश ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और महिला प्रतिभागियों को अपने भाषण में सम्बोधित की और कहीं कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वे सचेत रहें। अधिकांश प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में यह बताया कि वे समाज की सामाजिक बुराइयों से लड़ेगी और छोटा परिवार मानक अपनाएंगीं। प्रतिभागियों ने वादा किया कि जीवन की गुणवत्ता के माध्यम से पारिवारिक बजट की वृद्धि करेंगी तथा उत्तरदायी माँ बनेंगी।

संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10.09.2015 को संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 प्रतिभागी सम्मिलित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. सिंह, कल्याण एवं उपकर आयुक्त, श्रम कल्याण संघटन कार्यक्रम, इलाहाबाद, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को श्रम कानून से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का जवाब दिया तथा संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के उन्मूलन एवं विनियम के बारे में व्यापक जानकारी भी दी। कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी रहा। प्रतिभागियों ने स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। संघटन की उत्पादकता एवं सर्वांगीण विकास में वृद्धि लाने के लिए 16 प्रतिभागियों ने पहले से ही डिजिटल इंडिया मिशन को अपना लिया है।

मंगलूरु: क्षेत्रीय निदेशालय, मंगलूरु द्वारा दिनांक 08.06.2015 को संगठित क्षेत्र के लिए 01 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती ममता, यातायात निरीक्षक, आरटीआई, केसीआरटीसी, मैसूर दिनांक 8.6.2015 को कार्यक्रम में मौजूद थीं। सभी प्रतिभागियों ने संगठन के साथ-साथ समाज के विकास के लिए अनुपस्थिति एवं अनुशासनहीनता को कम करने की भापथ लीं।

ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम

देश का आर्थिक विकास ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक विकास को मजबूत बनाता है। जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इस लक्ष्य के साथ, केश्रशिबो संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों के दूर-दराज, पिछड़े क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए दबाव डाल रहा है।

बरेली: प्राथमिक विद्यालय, ग्राम मिलक, रौंधी, ब्लॉक 11, बरेली में क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम 02 एवं 03 सितम्बर, 2015 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्री धर्मेन्द्र कश्यप, माननीय सांसद, आओनला, बरेली कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने 02 संख्यक स्वावलम्बन समूहों का गठन किया और 01 ग्रुप की समीक्षा भी की।

श्रम कल्याण विकास कार्यक्रम

पुणे: ग्राम केल्ये, जि. रत्नागिरी में 20 एवं 21 फरवरी, 2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे के अधीन उप क्षेत्रीय निदेशालय, कोल्हापुर द्वारा 02 दिवसीय विशेष श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। "कोकणकन्या महिला बचत गट बैंक" – केल्ये, जि. रत्नागिरि के अंतर्गत एक नया बचत गट बैंक खोला गया। इस बैंक की भोयर पूँजी रुपये ढेड लाख है। वे रत्नागिरि में सेन्ट्रल बैंक में खाता खोले। इस कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि लगभग सभी ग्रामवासी/स्वावलम्बन समूह के सदस्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वे बहुत ही आनंदित थे।

आसनसोल: तातबंध –तेंतुरपाड़ा, प्राथमिक विद्यालय, रामपुरहट-1 ब्लॉक, वीरभूम में दिनांक 26.11.2015 एवं 27.11.2015 को 02 दिवसीय श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी सम्मिलित थे। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने श्री निरुपम मंडल, सहायक श्रम आयुक्त, रामपुरहट के सामने एसएसपीएफयूडब्ल्यू खाता खोलने के लिए सहमत हुए तथा मुर्गी पालन एवं बकरी पालन पर स्वावलम्बन समूह गठित करने के लिए सहमत हुए।

काचीन : ग्राम वाझककला, त्रिक्काकरा, एर्नाकुलम में दिनांक 17.08.2015 एवं 18.08.2015 को विशेषकर सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, कोचीन द्वारा 02 दिवसीय श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। एचडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड, एर्नाकुलम् से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। एचडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड गठित करने के लिए उनके योगदान में वृद्धि आयी है। उनके नेतृत्व की गुणवत्ता में सुधार आ गया है। उनकी बचत करने की आदतों में भी वृद्धि हुई है।

गुवाहाटी: ग्राम श्याम नगर, ब्लॉक कमालपुर, जि. कामरू, असम में 6 एवं 7 जुलाई, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, गुवाहाटी द्वारा 02 दिवसीय श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि कार्यक्रम में श्रमिक संघ, श्रम कानून आदि जैसे विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा से वे जानकारी प्राप्त

किए। कार्यक्रम में हुई चर्चा से प्रतिभागी प्रेरित हुए और वे संघ आंदोलन एवं स्व विकास के सुदृढीकरण के लिए निर्माण श्रमिक संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिये।

आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद

धनबाद : एक्सपर्ट हॉस्टल, ऊर्जा नगर, इस्टर्नकोल फील्ड लिमि., राजमहल प्रोजेक्ट, लाल मटिया, जिला गौड्डा में 7.10.2015 एवं 8.10.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा आवश्यकता पर आधारित 02 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया कि ऐसे सिखाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम इस्टर्नकोल फील्ड लिमि. में नई कार्य-संस्कृति उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों की मनोदशा को निश्चित रूप से परिवर्तित करेंगे। फीडबैक सत्र के दौरान यह कहा गया कि संगठन में बेहतर संबंध लाने के लिए श्रमिक संघ एवं प्रबंधन को ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों ने उनके ज्ञान स्तर को बढ़ा दिया है जो कि उनके दैनिक कामकाज में बहुत ही उपयोगी हैं इसके साथ ही साथ जन संबंध बनाने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है।

जमशेदपुर: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दिनांक 08.07.2015 एवं 09.07.2015 को 02 दिवसीय आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद आयोजित किया गया। श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/ईआर, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, खास महल, ब्लॉक जमशेदपुर एवं श्री जी. एस. यादव, उप निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, खास महल, ब्लॉक जमशेदपुर कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम श्रमिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किया कि कार्यक्रम में कार्य संस्कृति एवं कार्य नीति संबंधी पाठ्यक्रम एवं समस्याओं से संबंधित उपयोगी एवं सूचनाप्रद जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली है। प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा जानकारी प्राप्त किए तथा स्वयं विकास एवं सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही रुचि लिये।

उत्तर-पूर्व (उ.पू.) क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

तिनसुकिया: होटल ईस्ट एण्ड न्यू मार्केट, डिब्रूगढ़, जि.— डिब्रूगढ़ में दिनांक 19 से 23 जनवरी, 2016 तक क्षेत्रीय निदेशालय, तिनसुकिया द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 5 दिवसीय उत्तर-पूर्व विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने समापन समारोह में अपना विचार प्रकट किया कि कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही उपयोगी था। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथिवक्ताओं की सराहना की और कहा कि वे अपने विशयों पर बहुत ही सरल रुचिपूर्वक व्याख्यान दिए। सभी प्रतिभागियों ने कहा कि यह कार्यक्रम आशयपूर्ण भूमिका निभाने में उन्हें निश्चित रूप से मदद करेगा। प्रतिभागियों ने

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उपयोगी एवं समयानुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बोर्ड को धन्यवाद दिया।

सिलीगुड़ी: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेमिनार हॉल, बलुआखानी, पूर्व सिक्किम में दिनांक 25.03.2016 से 27.03.2016 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सशक्तीकरण एवं विकास पर 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुछ प्रतिभागियों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को जानने के बाद राज्य द्वारा अनुदानित हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र एवं पर्यटन प्रशिक्षण आदि में स्वयं का नामांकन कराया।

तिनसुकिया : ऑफिसर क्लब, बीवीएफसीएल, नामरू, जयपुर ब्लॉक, जि. डिब्रूगढ़ में दिनांक 09 से 11 दिसम्बर, 2015 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 03 दिवसीय विशेष पंचायतीराज कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि वे अटल बिहारी पेंशन योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कौशल विकास की पहल, स्वावलम्बन आदि जैसे विषयों पर जानकारी प्राप्त कीं। उन्होंने अभिव्यक्त किया कि भविष्य में यह कार्यक्रम उनके दैनंदिन कार्यों एवं ड्यूटी के निर्वहन में उनके लिए लाभकारी होगा। प्रतिभागियों ने ऐसे विषय के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु सुअवसर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को धन्यवाद दिया और कहा कि वे नए विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त किए जोकि उनके जीवन में लाभकारी हो सकता है।

गुवाहाटी : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, गुवाहाटी द्वारा 16 से 18 नवम्बर, 2015 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री डी.के. दास चौधरी, अपर श्रम आयुक्त, असम सरकार, गुवाहाटी, श्री हरिधर दास, महासचिव, अखिल असम निर्माण श्रमिक संघ एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, गुवाहाटी के सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने प्राप्त जानकारी के बारे में अभिव्यक्त किया और कहा कि यह जानकारी उन्हें भविष्य में मदद करेगी।

तिनसुकिया : सम्मेलन कक्ष, होटल मारुति, तिनसुकिया, जि. तिनसुकिया में दिनांक 6 से 8 जनवरी, 2016 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के लिए श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं हेतु 3 दिवसीय विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की और अपना सकारात्मक विचार प्रकट किया कि वे श्रमिक संघ संबंधी विषयों एवं श्रमिक संघ की बदलती भूमिका इसके साथ-साथ ग्रामीण ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना,

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आरएसबीवाय महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उन्हें जानकारी मिली। उन्होंने अभिव्यक्त किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सीखने को मिला। जिससे वे अपनी समस्याओं का बेहतर ढंग से निराकरण करने में बेहतर स्थिति में हैं। कार्यक्रम में श्रमिक संघ संगठनों को बेहतर योगदान देने के लिए जानकारी प्रदान किए।

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की और सकारात्मक रूप से विचार प्रकट किए। प्रतिभागियों ने कहा कि वे श्रमिक संघों की बदलती भूमिका के साथ-साथ कार्य-नीति एवं कार्य संस्कृति, नेतृत्व गुणवत्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में नई जानकारी प्राप्त किए। उन्होंने अभिव्यक्त किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उन्हें उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषयों के बारे में कार्यक्रम से जानकारी मिली। जिसके कारण वे अपनी समस्याओं का बेहतर ढंग से निराकरण कर लेते हैं और वे श्रमिक संघ संगठनों को अपना योगदान देते रहते हैं।

आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) के श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम:

आसनसोल : ग्राम खैरोबरी, काम्युटी हॉल, सल्तोर ब्लॉक, बांकुडा में दिनांक 13.08.2015 एवं 14.08.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, आसनसोल द्वारा आदिवासी श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने पहले दिन के कार्यक्रम के बाद ग्राम स्तरीय बैठक का आयोजन किए थे तथा सभी ग्रामवासियों को भविष्य निधि एवं बैंक खाता से जोड़ने का निर्णय लिया गया था।

बरेली: प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पक्कडियाँ, खाटिमा, उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई, 2015 को आदिवासी उप योजना श्रेणी के अंतर्गत आदिवासी उप योजना के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री पुष्कर सिंह, माननीय विधायक, विधान परिषद्, खाटिमा, उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। आदिवासी श्रमिक शिक्षित थे। प्रतिभागियों ने बाल विवाह, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से बचकर रहने का आश्वासन दिया और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाएंगे। कार्यक्रम के लाभार्थी अपने अधिकार एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझ गए।

गोवा: मराड, ग्राम पंचायत घरबनडौड़ा, ब्लॉक घरबनडौड़ा, जि. साउथ गोवा में 20 एवं 21 फरवरी, 2016 को आदिवासी उप योजना के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय विधायक श्री गणेश गायनकर, सावरडेम विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि अपने बच्चों को

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएं और आदिवासी समाज के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं और उन्होंने बोर्ड की सराहना करते हुए कहा कि बोर्ड आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

चेन्नै : वल्लम्, कट्टनकलातून, काँचीपुरम में 12 एवं 13 जुलाई, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै द्वारा आदिवासी (आदिवासी उप योजना) श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। विशेष परिसंवाद आयोजित होने से 'अन्नाई थेरेजा स्वावलम्बन समूह' का गठन हुआ और अन्य प्रतिभागियों ने लघु उद्योग एवं स्व रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए हैं। कुटीर उद्योग में कार्यरत श्रीमती सुजाता द्वारा प्रतिभागियों को नैपकीन बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया।

परवाणू: ग्राम सेरन ब्लॉक एवं धरमपुर जिला सोलन (हि.प्र.) में दिनांक 27 एवं 28 जुलाई, 2015 को असंगठित क्षेत्र में आदिवासी श्रमिकों (आदिवासी उप योजना) के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, प्रतिभागियों को बड़े उत्साह के साथ शिक्षित किया गया। श्रीमती किसनदेवी प्रधान महिला मण्डल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम प्रभारी द्वारा किए गए प्रयासों से वे बहुत प्रभावित हुईं। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने बैंक खाता खोला और स्वावलम्बन समूह का गठन किया। प्रतिभागियों ने बाल विवाह, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से बचकर रहने का आश्वासन दिया और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाएंगे।

अनुसूचित जाति के श्रमिकों (अ.जा. उप योजना) के लिए विशेष कार्यक्रम:

बरेली: प्राथमिक विद्यालय, मुडैल, खाटमा, उत्तराखण्ड में 04 एवं 05 मार्च, 2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। डॉ. प्रेमसिंह राणा, माननीय विधायक, विधान परिषद्, सितारगंज, उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने विशेषकर अनुसूचित जाति उप योजना श्रमिकों के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए ऐसे अद्वितीय कार्यक्रमों की सराहना की। कार्यक्रम के प्रतिभागी अपने अधिकारों एवं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए और भारतीय संविधान में उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। वे अपना नाम राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में दर्ज कराए।

सिलीगुड़ी: डेमडाखाली, आयसीडीएस सेंटर, ग्राम डेमडाखाली, फनसीवा ब्लॉक, जि. दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में 12 एवं 13 जुलाई, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, सिलीगुड़ी द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने बैंक से लिंक करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए डेमडाखाली

कल्याण समिति का गठन किया। सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना आदि के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा किए।

बरेली: जाटवपुरा, वार्ड नं.1, बरेली में 15 एवं 16 सितम्बर, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्री अरूण कुमार जी माननीय विधायक, विधान परिषद, बरेली ने समारोह में उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाई और प्रतिभागियों को सम्बोधित किया और समाज के गरीब वर्गों के लिए इस प्रकार के अद्वितीय कार्यक्रम अर्जित करने के लिए बोर्ड को बधाई दिया। प्रतिभागी जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए स्थानीय बैंकों से जुड़ गए। वे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए।

मनरेगा के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम:

गाजियाबाद : बढनवली, हापुड़ में दिनांक 09.02.2016 एवं 10.02.2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, गाजियाबाद द्वारा 02 दिवसीय ग्राम स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में अवगत कराई गई बीमा/इन्शूरेंस के लाभ के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिंडिकेट बैंक, बड़नौली, हापुड़ के जरिये अंशदान किया।

गुवाहाटी : ग्राम बौआजनी, ब्लॉक कमालपुर, जि. कामरूप में 13 एवं 14 अगस्त, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, गुवाहाटी द्वारा 02 दिवसीय ग्राम स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने आरडी योजना में बचत जमा करना प्रारंभ करने का निर्णय लिया और अटल पेंशन योजना जैसी सुरक्षा योजना से भी प्रतिभागी जुड़ गये और प्रतिभागियों ने सूचित किया कि वे उन्हें जिस बारे में जानकारी नहीं थी मनरेगा के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में जानकारी मिली तथा उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाओं का लाभ उठाएंगे।

संयंत्र स्तर कार्यक्रम:

धनबाद : भारत कुकिंग कोल लिमि., एचआरडी डिपार्टमेंट, सुपरवाइजरी डेवलपमेंट इन्स्टिट्यूट, कल्याण भवन, धनबाद में क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा संगठित क्षेत्र के लिए 01 दिवसीय संयंत्र स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 17.06.2015 को किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद प्रतिभागियों ने कहा कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में संगठन के प्रति अपनापन, उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्धता विकसित किया है। कार्यक्रम प्रभावी ढंग से सेवानिवृत्त जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए भी लोगों के

मन को विकसित करता है। प्रतिभागी सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी ढंग से अपने धन की बचत करने के लिए प्रेरित हुए हैं।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी:

इलाहाबाद : इफको, फूलपुर, इलाहाबाद में क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23.02.2016 से 25.02.2016 तक बहुत ही अच्छे ढंग से प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधन एवं श्रमिकों द्वारा कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की गई। इस कार्यक्रम में अतिथि एवं प्रबंधन ने कहा कि आपसी विश्वास एवं टीम भावना इफको की सफलता की कुंजी हैं और जिसने इफको को भारत में प्रथम उर्वरक उत्पादक यूनिट बना दिया है। शिक्षा अधिकारी ने विस्तारपूर्वक बताया कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान राज्य नीति का प्रमुख सिद्धांत है। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण की सराहना की और कहा कि प्रशिक्षण ने कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ा दिया है।

पुणे : 512, आर्मी बेस वर्कशॉप, खडकी, पुणे में 11 से 13 अगस्त, 2015 तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्कशॉप के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल असीमुद्दीन ने फीडबैक देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम न केवल कुछ चुनिंदा प्रतिभागियों की भाक्ति पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद किया है बल्कि जो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं संगठन के लक्ष्य को उपलब्धि के लिए उन्हें मदद किया है। वर्कशॉप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हुआ है। उनका यह विचार था कि यह कार्यक्रम उनके कार्य क्षेत्र में उनकी ड्यूटी के निर्वहन में न केवल मदद की है बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी मदद किया है।

आसनसोल : व्हीकल डिपार्टमेंट, पानागढ़, मिलेट्री बेस, पानागढ़, बर्दवान में दिनांक 27.01.2016 से 29.01.2016 तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय निदेशालय, आसनसोल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रमिकों के साथ-साथ प्रबंधन में कार्यक्रम की सराहना की और संगठन के विकास के साथ-साथ संगठन में कार्यरत भागीदारी फोरम को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए ऐसे अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की माँग की।

असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम:

तिनसुकिया : बोरबरी, नवज्योति गाँव, बोंगली गाँव, ब्लॉक पानीटोला, जि. डिब्रूगढ़ में 25 एवं 26 मई, 2015 को असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय निदेशालय, तिनसुकिया द्वारा आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं एवं उनका निराकरण, संघ एवं श्रमिक संघ अधिनियम का महत्व, स्वास्थ्य एवं

स्वच्छता, स्वावलम्बन समूह— इसका महत्व एवं गठन, श्रम कानून आदि जैसे विषयों पर की गई चर्चा को बहुत ही उत्सुकता से सुना और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, न्यू पेंशन योजना, भविष्य के लिए स्वावलम्बन बचत, रोजगार के लिए कौशल विकास की पहल करने का भी निश्चय किया।

गोवा : मदलवाड़ा, ग्राम पंचायत सानकोरडा, ब्लॉक धरबनडोडा, जि. दक्षिण गोवा में दिनांक 12.10.2015 एवं 13.10.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, गोवा द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री श्रीसर देसाई, भूतपूर्व सरपंच ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय विधायक श्री गणेश गावनकर, विधान परिषद, स्वारडेम विधान सभा समापन समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने अपने समापन भाषण में प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएं और बोर्ड के कार्यक्रमों की सराहना की।

ब्रह्माणी सतेरी, महामाया सभागृह, कांजौल, ग्राम पंचायत सनओर डैम, ब्लॉक सत्तारी, जि. नार्थ गोवा में 20.01.2016 एवं 21.01.2016 को असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवा सरकार के अति पिछड़ा वर्ग निगम के माननीय अध्यक्ष श्री सत्य विजय नायक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे स्वयं की मंकी फीवर से रक्षा करें और स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर टीकाकरण कराएं। गोवा के मंकी फीवर ग्रसित क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए बोर्ड की सराहना की और मंकी फीवर की रोकथाम के लिए सही जानकारी प्रदान करने के लिए मंकी फीवर ग्रसित क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी अनुरोध किया। श्रीमती कमल गावड़े, ग्राम पंचायत सदस्य समापन समारोह में उपस्थित थीं।

चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम:

आसनसोल : प्राथमिक विद्यालय, अंडाल, बर्दवान में दिनांक 02.12.2015 से 05.12.2015 तक असंगठित क्षेत्र के लिए 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम क्षेत्रीय निदेशालय, आसनसोल द्वारा आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने आय अर्जन के लिए अनेक उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इसके आगे प्रतिभागियों ने सरकारी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। सफाई, स्वच्छता को पंचायत स्तर पर प्राथमिकता दी।

एएलसी, बर्दवान उत्तर में दिनांक 02.02.2016 से 05.02.2016 तक दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री एस. सेन, सहायक श्रम आयुक्त, बर्दवान उत्तर ने असंगठित क्षेत्र के 65 प्रतिभागियों को सामाजिक सुरक्षा योजना का फार्म वितरित किया। उक्त फार्म प्रतिभागियों द्वारा भरकर उन्हें सौंपा गया।

बरेली: प्राथमिक विद्यालय, फरीदपुर, रामचरण, फतेहगंजपुर, बरेली में क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा दि. 04 से 07.09.2015 तक ग्रामीण श्रमिकों के लिए 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी उपस्थित थे। श्रीमती साधना मिश्रा, माननीय राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए आयोजित करने वाले कार्यक्रमों की सराहना की। प्रतिभागी बेटी बचाओं एवं बेटी पढ़ाओ तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि से सामूहिक रूप से जुड़ गए।

चेन्नै : उक्कमपेरुबक्कम, त्रिरुनमलाई में 17 से 20 जनवरी, 2016 तक असंगठित क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै द्वारा 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं के विरुद्ध अवैधानिक गतिविधियाँ एवं सावधानी की पद्धति समाज एवं परिवार में महिलाओं का अधिकार तथा समस्याओं से झूझ रही महिलाओं के बारे में बताते हुए संकाय ने कानूनी सलाहकार के रूप में प्रतिभागियों की आँखे खोल दीं। प्रतिभागियों को स्व-रोजगार एवं अल्प बचत पर भी जोर दिया गया। परिणामस्वरूप 08 महिलाएं कुटीर उद्योग से अपना जीविकापार्जन करने लगीं।

सिलीगुडो: सुजापुर, ब्रिलियंट एकादमी, ग्राम सुजापुर, ब्लॉक कालीयाचक फर्स्ट, जि. मालदा, पश्चिम बंगाल में दिनांक 10.8.2015 से 13.8.2015 तक क्षेत्रीय निदेशालय, सिलीगुड़ी द्वारा दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, सिलीगुड़ी द्वारा 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं को जानने के बाद प्रतिभागियों ने राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने हेतु सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना आदि के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक से संपर्क किया।

पंचायतीराज के पदाधिकारी :

धनबाद: रेड क्रॉस सोसायटी, जमतारा, झारखण्ड में 20.01.2016 एवं 21.01.2016 को पंचायतीराज के अधिकारियों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। प्रतिभागियों को पंचायतीराज प्रणाली, सदस्यों की ड्यूटी एवं अधिकार, प्रोजेक्ट प्लॉन आदि के लिए कदम विशय पर जानकारी प्रदान किए। श्री भांतनु कुमार अग्रहरि (भा.प्र.से., आई.एस.), उपायुक्त, जि. जमतारा ने स्वावलम्बन समूह के सदस्यों एवं समाज में उनके सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए आजीविका गतिविधियों हेतु युवा बेरोजगारों के बीच 1.40 करोड़ ऋण वितरित किया। मोहम्मद डॉ. इरफान अंसारी, विधायक, जमतारा, झारखण्ड ने विशेषकर पंचायतीराज संस्थानों के लिए तैयार किए गए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में सम्मिलित होने में अपनी प्रसन्नता व्यक्त की तथा श्रमिक वर्ग एवं ऐसे महत्वपूर्ण पंचायतीराज के पदाधिकारी जो समाज में विकास की रीढ़ हैं उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,

धनबाद द्वारा किए गए प्रयासों एवं भूमिका की सराहना की। माननीय विधायक, जमतारा ने विशेषकर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की थी।

आसनसोल: पारा पंचायत समिति, मीटिंग हॉल, पारा, पुरुलिया में क्षेत्रीय निदेशालय, आसनसोल द्वारा दिनांक 19.01.2016 एवं 20.01.2016 को पंचायतीराज के पदाधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, केन्द्र सरकार की कल्याणकारी बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न संदेह के बारे में पंचायतीराज के सदस्यों को उनके हित के लिए आम नागरिकों के बीच उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत रूप से बताया गया।

जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम 2 एवं 4 दिवसीय:

आसनसोल: सतगछिया, वसुंधरा परिवार सोसायटी, मेमोरी, II ब्लॉक, वर्धवान में क्षेत्रीय निदेशालय, आसनसोल द्वारा दिनांक 02.02.2016 से 05.02.2016 तक असंगठित क्षेत्र के लिए चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम के प्रतिभागी केन्द्र सरकार की अटल पेंशन योजना एवं सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किए।

धनबाद : अनपति देवी, सरस्वती विद्या मंदिर, सिंह नगर (फुसरो), ब्लॉक बर्मो, जिला बोकारो में दिनांक 18.12.2015 से 21.12.2015 तक असंगठित क्षेत्र के लिए चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों की महिलाओं ने स्वावलम्बन समूह का गठन किया और उन्होंने कहा कि व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता हेतु वे कुशरौ नगरपालिका निगम से सम्पर्क करेंगी, जबकि कुछ महिलाओं ने कहा कि अपने संबंधित गाँवों में सिलाई केन्द्र खोलेगीं। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराए। कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि प्रतिभागी परिवार कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वरोजगार के अवसर आदि के बारे में जाने और वे छोटा परिवार मानक अपनाने के लिए प्रेरित हुए।

संयत्र स्तर कार्यक्रम:

आसनसोल : आई.एफ.बी. (एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमि.), पानागढ़, वर्धवान में दिनांक 07.11.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, आसनसोल द्वारा 01 दिवसीय संयत्र स्तर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी वेस्ट मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन) में कार्इजेन सिद्धांत कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही अधिक प्रेरित हुए थे।

स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम:

इलाहाबाद : शेटी, नादर्न कोलफील्ड लिमि. (कोल इंडिया लिमि. की सहायक), सिंगरौली में दिनांक 26.08.2015 से 28.08.2015 तक 03 दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री आनंद उमरेडकर, मुख्य प्रबंधक, भोटी एवं श्री आर. एम. बंदोपाध्याय, महा प्रबंधक (मा.सं.वि.), एम.सी.एल. में 03 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का परिणाम यह था कि विकास के लिए प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा ही एक अस्त्र है। अपने समापन भाषण में महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), शेटी, एमसीएल ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ध्यान एवं योगा के जरिए प्रबंधन तनाव कम किया जा सकता है और सभी प्रतिभागी इसपर सहमत हुए।

आसनसोल: डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल., बी.के.,टी.पी.पी., बीरभूम में दिनांक 27.1.2016 से 29.1.2016 तक 03 दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी संसाधनों की प्रभावी रूप से उपयोगिता के लिए समस्याओं एवं वर्ज्य पदार्थों (कोल ऐश) की पहचान से संबंधित जानकारी एवं कायजेन समिति के ज्ञान एवं गठन की जानकारी प्रतिभागियों को (प्रबंधन संवर्ग) दी गई। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और केश्रशिबो से वर्ष में ऐसे अधिकाधिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध किया।

मंगलूरु : प्रशिक्षण कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, नोट मुद्रण (प्रा. लिमि.), आर.बी.आई., मैसूर में दिनांक 26.05.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, मंगलूरु द्वारा एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधन एवं प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की। वे संगठन के बेहतर उत्थान के लिए आईपीआर एवं सम्प्रेषण कौशल की तकनीकी से सहमत हुए।

परवाणू : ग्राम ठाना बड्डी, जिला— सोलन (हि. प्र.) में 19 मई, 2015 को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमि. के प्रतिभागियों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, परवाणू के द्वारा एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री अजय पसरिजा, उप महा प्रबंधक (का. एवं प्रशा.), गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमि. भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उपर्युक्त कार्यक्रम में 20 प्रतिभागी सम्मिलित थे। प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक में कार्यक्रम को सकारात्मक बताया गया था और उत्कृष्ट ग्रेडिंग की गई थी और कहा गया था कि कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी था। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाये गये बहुत से मुद्दे/संदेहों का निराकरण किया गया। प्रतिभागी ने बेहतर जीवन के लिए बहुत ही उत्सुकतापूर्वक प्रेरित हुए।

अध्याय-IX

प्रभाव एक झलक

द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. (केश्रशिबो) के कार्यक्रमों ने आँखें खोल दी:

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों को डाइरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रतिदिन भत्ता दिनांक 1.1.2015 से कार्यान्वित किया गया है जिसे दिनांक 1.4.2015 से पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया गया है।

24 सितम्बर, 2015 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को सांसद आदर्श ग्राम योजना पुरस्कार

23 एवं 24 सितम्बर, 2015 को भोपाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में बोर्ड द्वारा "अच्छी पहल" पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रभाग के अधीन प्रायोजित "अच्छी पहल" नामक विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को नामित किया गया था। उक्त कार्यशाला में लगभग 60 सांसद एवं उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सांझी पुरस्कार (सांसद आदर्श ग्राम योजना) में प्राप्त 592 प्रविष्टियों में से संक्षिप्त चयनित 31 प्रविष्टियों में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नाम का समावेश था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 25.10.2015 को अपने 'मन की बात' में "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के विकास के लिए सभी विभागों की सराहना की है। सितम्बर माह 2015 में उपर्युक्त कार्यशाला में तत्कालीन निदेशक श्रीमती नम्रता तिवारी एवं श्री बी. जी. कुरवलकर, शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रोजेक्ट के लिए मेमेण्टो एवं प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का बहुत विशेष प्रभाव रहा जिसकी प्रशंसा की गई।

इलाहाबाद: ग्राम कासेरूवा खुर्द, ब्लॉक बहादुरपुर, जिला इलाहाबाद में दिनांक 02.12.2015 एवं 03.12.2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री आर. बी. राय, ग्राम विकास अधिकारी, बहादुरपुर ब्लॉक इलाहाबाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री सईद अहमद, माननीय विधायक, विधान सभा, फूलपुर, उ. प्र. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। श्री वैजनाथ राय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, श्री अनिरुद्ध सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य वार्ड सं. 02 कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री अजय सिंह, सदस्य, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, इलाहाबाद ने अपने भाषण में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वावलम्बन समूह स्वरोजगार के लिए मुख्य अस्त्र हैं और महिलाओं को अपने गाँव में स्वावलम्बन समूह का गठन करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने

क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा आबंटित लक्ष्य हासिल करने के लिए निदेशालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगंतुक रजिस्टर में क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद के बारे में अच्छी अभ्युक्ति दीं। श्री पटेल ने ग्रामीण लोगों में जागरूकता सृजित करने में के.श्री.शि.बो. की भूमिका की सराहना की। 02 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के बाद 03 स्वावलम्बन समूह गठित किए गये।

ग्वालियर : सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम के अंतर्गत गर्ल्स होस्टल, ग्राम गौड़, ब्लॉक— जतारा, जिला टिकमगढ़, म. प्र. में दिनांक 16 एवं 17 जनवरी, 2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, ग्वालियर द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 33 श्रमिक उपस्थित थे। डॉ. वीरेन्द्र कुमार, माननीय सांसद, टिकमगढ़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रतिभागी अपने संयुक्त प्रयास से गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी हैं। मंत्रीजी ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि यदि वास्तव में समस्या है तो, हर समस्या का समाधान भी है। यदि व्यक्ति समस्या का समाधान चाहता है तो मुद्दा जल्द ही सुलझ जाता है। प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर विशेष बल दिया और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने तथा सरकार के मिशन को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों के बीच जागरूकता सृजित करने पर बल दिया। माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को सलाह दिया कि ऐसे कार्यक्रम के साथ ग्रामीण श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करें ताकि श्रमिकों का निश्चित रूप से जीवन सुधर सकें। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने बच्चों की शिक्षा, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आश्वस्त किया। प्रतिभागी कल्याणकारी योजनाओं को जानकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक बन गये। कार्यक्रम का यह प्रभाव था कि लोगों की सहायता से ग्राम विकास करना प्रारम्भ कर दिए।

पुणे : क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे के अंतर्गत उप क्षेत्रीय निदेशालय, कोल्हापुर द्वारा दिनांक 20.02.2016 एवं 21.02.2016 को ग्राम केल्ये जिला रत्नागिरी में 02 दिवसीय विशेष श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोंकण कन्या महिला बचत गट बैंक—केल्या, जिला— रत्नागिरी के अधीन एक नया बचतगट बैंक खोला गया। इस बैंक की शेयर पूंजी रुपये 15,000/- थी। वे सेण्ट्रल बैंक में खाता खोले। इस कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि लगभग गांव के सभी लोग तथा स्वावलम्बन समूह के सभी सदस्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में सम्मिलित होने में बहुत ही रुचि लिए थे।

गोवा : सतेरी टेम्पल हॉल, गवाधनवाड़ा, ग्राम पंचायत असोल्डा क्यूपेम, साऊथ गोवा में दिनांक 22.01.2016 एवं 23.01.2016 को मनरेगा के लिए (ग्रामीण स्तरीय) 02 दिवसीय विशेष

कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय विधायक श्री नीलेश काबारल, कुरचोरेम विधान सभा एवं माननीय अध्यक्ष जीटीडीसी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बोर्ड के कार्यक्रमों की सराहना की और प्रतिभागियों को बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं का खाता खोलने, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्वयं पंजीकरण कराने के लिए कहा और स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए कहा। गोवा सरकार से राज्य की सर्वोत्कृष्ट अवार्ड प्राप्त करने वाली शिक्षिका श्रीमती सुलभा गायनकर भी कार्यक्रम में सम्मिलित थीं। पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्लास्टिक के प्रयोग में कमी लाने के लिए प्रतिभागियों को कपड़े के बैग वितरित किए गये।

पुणे: ग्राम घलवाड़े, जिला कोल्हापुर में क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे के अधीन उप क्षेत्रीय निदेशालय, कोल्हापुर द्वारा दिनांक 03.03.2016 एवं 04.03.2016 को महिला श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रगति महिला बचतगट बैंक, घलवाड़े, जिल्हा कोल्हापुर के अधीन महिला बचत बैंक का भोयर पूंजी रुपये 120000/- थी। वे घलवाड़े, कोल्हापुर में सेण्ट्रल बैंक में खाता खोलें।

अहमदाबाद: श्री बंशी भाई शाह, मजूर महाजन संघ, सिधपुर के सहयोग से मजूर कल्याण ट्रस्ट, बिन्दु सरोवर रोड, सिद्धपुर, जिला पाटन में दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, अहमदाबाद द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 37 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्री दिलीप भाई, एस. पाण्ड्या, माननीय सांसद (राज्य सभा), नई दिल्ली समापन समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक समस्याएं, स्वावलम्बन समूह एवं लाभ, बचत की आदतें, महिला सशक्तीकरण, जीवन की गुणवत्ता, कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक बुराइयाँ, बचत की आवश्यकता, गुर्दा जागरूकता एवं एचआईवी/एड्स जागरूकता आदि के बारे में चर्चा की गई। प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी एवं उपयोगी रहा।

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा इफको, फूलपुर, इलाहाबाद में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विषय पर 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 23.02.2016 एवं 24.02.2016 को किया गया। कार्यक्रम में 33 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्री ए. के. सिंह, निदेशक, सहकारी विकास एवं ऊर्जा बचत, इफको, फूलपुर, इलाहाबाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री निरंजन, ऑचलिक निदेशक (उ.अं.), केश्रिशिबो, नई दिल्ली ने भारत में सन् 1920 से प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और कहा कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी एक उपयुक्त अवधारणा है, जिसका भारत में समुचित रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए। श्री कमरूल हसन सिद्दिकी, अपर महाधिवक्ता, उ. प्र. सरकारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने भाषण में राज्य नीति निदेशक अनुच्छेद 43-क, औद्योगिक विवाद अधिनियम,

1947 की श्रमिक समिति की धारा 3, में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के प्रावधान को विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर सन् 1990 में एक विधेयक पारित होना था, परंतु पारित नहीं हो पाया। सभी प्रतिभागियों ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका की सराहना की और कहा कि उनके लिए प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर 03 दिवसीय कार्यक्रम उनके लिए उपयोगी रहेगा। इस अवसर पर प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विषय पर आँचलिक निदेशक (उ. अं.), केश्रशिबो, नई दिल्ली की दूरदर्शन पर वार्ता को दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली एवं लखनऊ पर प्रसारित किया गया।

श्री कमरूल हसन, क्षेत्रीय निदेशक, केश्रशिबो, इलाहाबाद का प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के उद्देश्यों पर दूरदर्शन पर वार्ता को प्रसारित किया गया और मेक इन इण्डिया के प्रभाव को रिकार्ड किया गया और दूरदर्शन लखनऊ एवं नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.02.2016 को प्रसारित किया गया। श्री मंजूल वर्मा, निदेशक, आकाशवाणी ने प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के समापन कार्यक्रम में दिनांक 27.02.2016 को सम्मिलित हुए और उनकी टीम द्वारा रिकार्ड की गई प्रसारण सामग्री को आकाशवाणी, इलाहाबाद के जरिए प्रसारित किया।

इन्दौर: क्षेत्रीय निदेशालय, इन्दौर ने प्रशिक्षण हाल, क्षेत्रीय निदेशक, इन्दौर में महिला श्रमिकों के लिए दिनांक 18 एवं 19 जून, 2015 को नन्दा नगर, इन्दौर के महिला श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। सुश्री प्रति अग्रवाल, भा.प्र.से. निदेशक, भारतीय डाक, इन्दौर श्री जे. डी. वानकर, भारतीय डाक सेवा, वरिष्ठ अधीक्षक, भारतीय डाक, इन्दौर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया एवं प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। उन्होंने भारत सरकार की 'सुकन्या समृद्धि योजना एवं वैयक्तिक बचत' पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। सभी प्रतिभागियों ने डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला।

भुवनेश्वर : क्षेत्रीय निदेशालय, भुवनेश्वर द्वारा ग्राम कल्याणपुर, भुवनेश्वर, जिला— खुर्द में दिनांक 28.03.2016 एवं 29.03.2016 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 40 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। क्षेत्रीय निदेशालय, भुवनेश्वर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के लिए 30 प्रतिभागियों ने आवेदन किया। श्री प्रियदर्शी मिश्रा, माननीय विधायक, विधान परिषद, भुवनेश्वर, उड़ीसा (उत्तर) कार्यक्रम में सम्मिलित थे।

बरेली: प्राथमिक विद्यालय, जासरी, खाटिमा उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) में क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली के अधीन आदिवासी उपयोजना श्रमिक के लिए दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। डॉ. प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, विधान परिषद, नानक माटा, खाटिमा उत्तराखण्ड

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। प्रतिभागी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा जीवन की गुणवत्ता के महत्व के साथ-साथ कार्यक्रम में चर्चा किए गये अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित कानून आदि के बारे में जान गये। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने शराब पीने, धूम्रपान, तंबाकू खाने आदि जैसी बुरी आदत छोड़ने का निश्चय किया।

भुवनेश्वर: ग्राम परिओरडा, ब्लॉक-टंगी, जिला-खुर्दा में दिनांक 12.12.2015 एवं 13.12.2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, भुवनेश्वर द्वारा दो दिवसीय ग्रामीण स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत सभी प्रतिभागी नामांकन कराये। श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केश्रशिबो ने दिनांक 14.12.2015 को कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए आजीविका के बारे में तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं स्वरोजगार के जरिए अधिक से अधिक कमाने के बारे में बताया।

चण्डीगढ़: जन शिक्षण संस्थान, मोहाली एस.ए.एस. नगर (पंजाब) में 34 श्रमिकों हेतु दिनांक 15.09.2016 एवं 16.09.2016 को श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री चुन्नीलाल भगत, माननीय श्रम मंत्री, पंजाब ने कार्यक्रम की भोभा बढ़ाई। श्री आनंद मोहन शर्मा, निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, मोहाली ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री चुन्नीलाल भगत, माननीय श्रम मंत्री, पंजाब ने समापन समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 34 प्रतिभागी सम्मिलित थे। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गये कार्यों की माननीय श्रम मंत्री जी ने सराहना की। कार्यक्रम के प्रतिभागी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हुए थे और निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्य कल्याणकारी योजना पर बल दिया गया। आयोजकों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार परिणामतः प्रतिभागी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आये।

चेन्नै: लाजपेट, पांडिचेरी में दिनांक 09 एवं 10 जुलाई, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै द्वारा महिला श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्री विद्यानाथन, माननीय विधायक, विधान परिषद, लाजपेट विधान सभा क्षेत्र, पांडिचेरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 04 प्रतिभागियों ने 02 माह के सिलाई प्रशिक्षण में श्रम नेट के जरिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए स्वयं का नाम दर्ज करवाया।

सिरिकुन्ड्राम, काचीपुरम में दिनांक 20 एवं 23 दिसम्बर, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै द्वारा असंगठित क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता के लिए 04 दिवसीय विशेष सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागी श्रीमती बेबी – धनशेखरन, श्रीमती इल्लाम्मल – स्टीफन, श्रीमती अन्नामलाई – उमापति, श्रीमती माला – गोविंदहाशमी, श्रीमती अन्नालाई सत्यराज, श्रीमती मलार— रामू निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड योजना में अपना नामांकन करवा

लिया। परिणामस्वरूप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वे शैक्षिक सहायता प्राप्त की। तथापि कार्यक्रम की प्रतिभागी भाशिकला इल्लामल, रंजीतम जिला उद्योग केन्द्र के अधीन तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त की थीं और उन्होंने थाडको से ऋण प्राप्त किया। कांचीपुरम् इण्डियन बैंक उद्यम विकास के जरिए वे सिलाई प्रशिक्षण भी प्राप्त कीं।

धनबाद: रेड क्रॉस सोसाइटी, जमतारा, ब्लॉक जमतारा, जिला जमतारा में दिनांक 20.01.2016 एवं 21.01.2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा पंचायतीराज पदाधिकारियों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायतीराज के पदाधिकारी को पी.आर. सिस्टम एवं परियोजना आदि के लिए इसके संस्थानों, कर्त्तव्यों, अधिकारों पर जानकारी दी गई। श्री डी.सी. जमतारा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा स्वावलम्बन समूह के सदस्यों एवं बेरोजगार युवाओं के लिए रुपये 1.40 करोड़ ऋण वितरित किए गये। माननीय विधायक, जमतारा ने कार्यक्रम का समापन किया तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड विशेषकर शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गये प्रयासों की सराहना की।

चण्डीगढ़: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल सं. 09, डुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब में दिनांक 06.01.2016 एवं 07.01.2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, चण्डीगढ़ द्वारा असंगठित क्षेत्र के बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। श्री बलविंदर सिंह बैन्स, माननीय विधायक, लुधियाना (पंजाब) कार्यक्रम में सम्मिलित होकर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में 34 प्रतिभागी सम्मिलित थे। आयोजकों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का निर्णय लिया।

चेन्नै: सी.एन. पुरम, मदुरंतम, कांचीपुरम में 16 एवं 17 मार्च, 2016 को क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नै द्वारा अ.जा. एवं अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। श्रीमती इलावरासी, श्रीमती राजेश्वरी, श्रीमती कोमला जैसी प्रतिभागियों ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आईआरडीईट्रस्ट के अधीन सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कीं। श्रीमती कंचना, श्रीमती विजया, श्रीमती राजेश्वरी, श्रीमती सरिता श्रमिक कल्याण बोर्ड में नामांकन करा चुकी थीं और अपने बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता प्राप्त की।

इम्फाल: काम्युनिटी हाल, किनोऊ ग्राम पंचायत, विष्णुपुर सी डी ब्लॉक, विष्णुपुर, जिला-मणिपुर में 17 अगस्त एवं 18 अगस्त, 2015 को क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल द्वारा दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 15 संख्यक प्रतिभागियों ने एस.बी.आई., किओशक बैंकिंग, विष्णुपुर ब्रांच में अपना खाता खोला और प्रतिभागियों ने केनेऊ श्रमिक संघ नामक श्रमिक संघ का गठन भी किया और श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण शीघ्र करा लिया जाएगा।

तिनसुकिया: होटल ईस्ट एण्ड, न्यू मार्केट, डिब्रूगढ़, जिला डिब्रूगढ़ में दिनांक 07 से 11 मार्च, 2016 तक क्षेत्रीय निदेशालय, तिनसुकिया द्वारा गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए 05 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने पाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। वे विभिन्न विभागों के विभिन्न व्याख्याताओं द्वारा नये विषयों पर की गई चर्चाओं से बहुत कुछ सीखे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि गैर-सरकारी संगठनों के लिए बहुत सारे अवसर खुले हैं परंतु यह एक अवसर ही है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए गरीब लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। वे केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त किए। उन्होंने यह वादा किया कि वे प्राप्त जानकारी को न केवल ग्रामीण लोगों को बताएंगे बल्कि अपने निजी जीवन में लागू भी करेंगे। सभी लोग इस बात से सहमत हुए कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सार्थक भूमिका निभाएगा। उन्होंने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया।

राँची: क्षेत्रीय निदेशालय, राँची द्वारा दिनांक 27.02.2016 एवं 28.02.2016 को असंगठित क्षेत्र के बीड़ी श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीड़ी श्रमिक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ब्लॉक सिली के श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में अधिकृत रूप से स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित हुए थे।

इलाहाबाद: जयनारायण सिंह चमेला देवी महाविद्यालय, सेमारी ब्लॉक, कौंधियारा, इलाहाबाद में क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दिनांक 18.01.2016 एवं 19.01.2016 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 80 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्री विजय शंकर शुक्ला, सदस्य जिला पंचायत, करचना ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा सफलता एवं व्यक्तित्व विकास की कुंजी है और अनुरोध किया कि स्वयं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण में समाहित करें। प्रतिभागियों एवं मुख्य अतिथि ने ऐसे उपयोगी एवं प्रभावोन्मुख कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका एवं प्रयास की सराहना की और आशा प्रकट की कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच सकारात्मक परिणाम लाएगा।

तिनसुकिया: क्षेत्रीय निदेशालय, तिनसुकिया द्वारा 07 से 09 मार्च, 2016 तक सम्मेलन कक्ष, होटल मारुति, तिनसुकिया, जिला- तिनसुकिया में श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए तीन

दिवसीय उत्तर-पूर्व विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित 03 दिवसीय कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने श्रमिक संघ के महत्व एवं आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने कहा कि वे श्रमिक संघ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और अपने यूनियन को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना जैसे नये विशयों के बारे में जान गये। वे व्यवसाय गतिविधियों के लिए मुद्रा ऋण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिये। उन्होंने ये जानकारी अपने सहकर्मियों एवं बेरोजगार युवाओं के बीच प्रसारित करने का वादा किया ताकि ये लाभ गरीब लोगों के बीच तक पहुँचे। उन्होंने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को ऐसा उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध किया।

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण हाल में दिनांक 10.9.15 को 21 प्रतिभागियों के लिए एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. ए. के. सिंह, कल्याण एवं उपकर आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इलाहाबाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के प्रतिभागियों को पूछे गये सभी प्रश्नों के जवाब में विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लेख किया तथा ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के उन्मूलन एवं विनियम के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली रहा, सभी प्रतिभागियों ने स्वरोजगार की विभिन्न योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। 16 प्रतिभागियों ने संगठन की उत्पादकता में वृद्धि लाने तथा संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए डिजिटल इण्डिया मिशन को अंगीकार कर लिया है।

मंगलूरु : ब्लॉक रिसोर्स सेण्टर नेल्लिकाटे, पुत्तुर, दक्षिण कन्नड़ में दिनांक 27.09.2015 एवं 28.09.2015 को असंगठित क्षेत्र के 40 प्रतिभागियों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती शकुन्तला शेटी, विधायक, विधान सभा, पुत्तुर, दक्षिण कन्नड़ कार्यक्रम की अतिथि थी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आयोजित 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के बाद कुछ प्रतिभागियों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का निश्चय किया तथा स्वरोजगार मूल्यां को पहल करने का आश्वासन दिया।

कोचीन: एकेजी वयानासाला, इडापल्ली, एरनाकुलम में क्षेत्रीय निदेशालय, कोचीन द्वारा दिनांक 10.08.2015 एवं 11.08.2015 को 02 दिवसीय श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री मोहम्मद रसीद, जिला श्रम अधिकारी ने

किया। कार्यक्रम में सम्मिलित प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि वे श्रमिक संघ, श्रम कानून आदि जैसे विषयों पर चर्चा से जानकारी प्राप्त की। परिचर्चा से प्रतिभागी प्रेरित हुए थे उन्होंने श्रमिक संघ को मजबूत बनाने के लिए एवं स्वयं विकास के लिए श्रमिक संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया।

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) का श्रेय

स्वावलम्बन समूह का गठन:

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित स्वावलम्बन समूह के महत्व एवं आवश्यकता पर चर्चा से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने अपने सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्वावलम्बन समूह गठित करने का निश्चय किया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रतिभागियों ने लगभग 552 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया।

सांख्यिकी सारणियाँ

शि.अधि.	शिक्षा अधिकारी
प्र.प्र.पा.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
व्य.वि.का.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
प्र.पु.पा.	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
सं.भौ.का.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम
आ.आ.प.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद
इ.स्त.क.	इकाई स्तर की कक्षाएं
का.प्रौ.सा.क.	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
आ.आ.वि.का.	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम
अ.सं./दु.व.	असंगठित / दुर्बल वर्ग
ग्रा.जा.शि.	ग्रामीण जागरूकता शिविर
बा.श्र. / बा.श्र.अ.	बाल श्रमिक / बाल श्रमिकों के अभिभावक
स्व.को.नि.का.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम
श्र.क.वि.का.	श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम
ग्रा.श्र.स.शि.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर

वर्ष 2016-17 हेतु लक्ष्य (क्षेत्रीय निदेशालयवार)

क्र.	क्षेत्रीय निदेशालय का नाम	संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम															असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम											ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम			उ.पू. विशेष कार्यक्रम		मनरेगा												
		शि.अ. की संख्या	प्र.प्र. (45 दिवसीय)	यु.विका. (2 दिवसीय)	पु.प. (5 दिवसीय)	स्व.को.नि. (3 दिवसीय)	जननिधि.का.	आ.आ.परि. (2 दिवसीय)	आ.आ.परि. (1 दिवसीय)	सं. श्र. का. (1 दिन)	इ.स्त.क पू.का./अ.का.	सं. श्र. का. (2 दिवसीय)	स्व.को.नि. (2 दिवसीय)	स्व.को.नि. (1 दिवसीय)	प्र.श्र.मा. (3 दिवसीय)	कार्य.सा.क. (1 दिवसीय)	जी.गु. (सं.) (4 दिवसीय)	जी.गु. (सं.) (2 दिवसीय)	सं. स्त. (1 दिवसीय)	स.शि.अस (4 दिवसीय)	स.शि.दु (4 दिवसीय)	जी.गु. (अस) (4 दिवसीय)	जी.गु. (अस) (2 दिवसीय)	पु.प्र.अस (1 दिवसीय)	वि.का.अस (2 दिवसीय)	वि.का.म.श्र. (2 दिवसीय)	वि.का.श्र.व. (1 दिवसीय)	वि.का.वा.श्र. (2 दिवसीय)	वि.का.ज./अ.जना. (2 दिवसीय)	वि.का.अस/अ.जना. (2 दिवसीय)	वि.का.अस/अ.जना. (2 दिवसीय)	वि.का.श्र.व. (1 दिवसीय)	वि.का.प.च. (2 दिवसीय)	वि.का.प.च. (1 दिवसीय)	ग्र.ज.का. (2 दिवसीय)	स.शि.ग्रा.श्र. (4 दिवसीय)	पु.प्र.ग्रा.श्र. (1 दिवसीय)	रा.स्त.का. (3 दिवसीय)	प.रां. (3 दिवसीय)	ग्र.ने.वि.का. (10 दिवसीय) (सा.श्र.)	वि.का. (3 दिवसीय) (सा.श्र.)	ग्र.स्त.का. (2 दिवसीय)	ख.स्त.का. (2 दिवसीय)	चि.स्त.का. (2 दिवसीय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	इलाहाबाद	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						4	4		169
2	बरेली	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						2	6		169
3	बघेलगढ़	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	4						8	0		169
4	दिल्ली	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	6						12	0		255
5	फरीदाबाद	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	4						8	0		169
6	गाजियाबाद	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	6						4	8		255
7	गोरखपुर	2	1				2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	4						4	4		170
8	जम्मू	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	51	30	12	3		24	3	6						12	0		254
9	कानपुर	3	2				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	6						1	11		256
10	परवाणु	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	4						8	0		169
11	आसनसोल	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						6	2		169
12	बैरकपुर	2	1				2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						6	2		170
13	बैरहामपुर	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	46	40	12	3		24	3	6						9	3		259
14	भुवनेश्वर	4	2				4		12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	8	20	16	16		16	110	0	16	4		32	4	8						16	0		340
15	धनबाद	2					2		6	1	2	4	10	1	2		1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						8	0		171
16	जमशेदपुर	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	42	40	12	3		24	3	6						9	3		255
17	कोलकाता	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	51	27	12	3		24	3	6						9	3		251
18	मुजफ्फरपुर	3					3		6	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	6						11	1		251
19	सैधो	2	1				2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						6	2		170
20	राऊरकेला	3	1				3		6	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	42	40	12	3		24	3	6						6	6		252
21	अहमदाबाद	2	1				2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						4	4		170
22	गोवा	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4						8	0		169
23	मुम्बई	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	52	30	12	3		24	3	6						12	0		255
24	पुणे	4	1				4		12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	8	20	16	16		16	70	40	16	4		32	4	8						13	3		339
25	राजकोट	2					2		6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	4						6	2		169
26	थाणे	3	1				3		9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	48	34	12	3		24	3	6						9	3		255

27	बड़ोदरा	3		1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	48	34	12	3		24	3	6					6	6		255			
28	बैंगलूरु	3	1					3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	6					12	0		255			
29	बैन्ने	5	1					5	15	1	5	10	25	2			1	5	5	5	5	5	5	10	25	20	20		20	78	60	20	5		40	5	10					10	10		423			
30	कोचीन	4		1				4	12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	4	8	20	16	16		16	50	30	8	4		32	4	8					16	30		339			
31	कोयम्बतूर	4		1				4	12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	4	8	20	16	16		16	70	40	16	4		32	4	8					6	10		339			
32	हुबली	2						2	6	1	2	4	10	2			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	16	2		16	2	4					8	0		170			
33	हैदराबाद	3		2				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	48	34	8	3		24	3	6					10	2		256			
34	कोषीकोड	3		2				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	52	30	12	3		24	3	6					12	0		256			
35	मदुरै	4		2				4	12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	4	8	20	16	16		16	110	0	12	4		32	4	8					16	0		340			
36	मैंगलूरु	2						2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	16	2		16	2	4					6	2		169			
37	विजयवाड	3		1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	52	30	12	3		24	3	6					0	12		255			
38	विशाखपट्टणम्	2						2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4					7	1		169			
39	गुवाहाटी	2						2	6		2	4	10	1			0	2	2	2	2	2	2	4	4	4	8		0	2	4	6	0		10	2	2	8	6	6	6	4	0		111			
40	इम्फाल	3						3	9		3	6	15	2			0	3	3	3	3	3	3	6	6	6	12		0	3	6	6	0		15	3	3	12	9	9	9	6	0		164			
41	सिलीगुड़ी	2						2	6		2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	8		0	2	4	6	0		10	2	2	8	6	6	6	0	4		112			
42	तिनसुकिया	2						2	6		2	4	10	1			0	0	2	2	2	2	2	4	4	4	8		0	2	4	6	0		10	2	2	8	6	6	6	4	0		109			
43	भोपाल	3		1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	52	30	12	3		24	3	6					9	3		255			
44	ग्वालियर	2						2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4					8	0		169			
45	इन्दौर	2						2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4					7	1		169			
46	जबलपुर	2						2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4					8	0		169			
47	जयपुर	2		1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4					8	0		170			
48	नागपुर	4		2				4	12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	4	8	30	22	0		16	66	44	16	4		32	4	8					16	0		340			
49	रायपुर	3		1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	52	30	12	3		24	3	6					12	0		255			
50	उदयपुर	2						2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	4					3	5		169			
	मुख्यालय																																															
	कुल	134	4	31	0	0	0	134	0	396	46	134	268	670	77	2	0	47	132	134	134	134	134	268	653	524	520	0	500	2443	961	524	125	0	1045	134	259	36	27	27	27	395	153	0	11098			

सारणी - I

ग्रामीण जागरूकता शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्र. सं.	ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी	*पाँच दिवसीय शिविर		**सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)				दो दिवसीय जागरूकता शिविर @			प्रतिभागियों की संख्या		
				2003-2015		2015-2016		1977-2015	2015-2016	कुल	1977-2015	2015-16	कुल
		कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूमिहीन श्रमिक	328	12846	1095	42762	119	4687	18921	1042	19963	741653	39130	780783
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त कृषक	969	38520	548	21546	16	637	33647	74	33721	1323517	2837	1326354
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	36	1479	17	675	3	118	827	6	833	32400	234	32634
4	आदिवासी श्रमिक	91	3595	17	655	3	120	1200	3	1203	46689	114	46803
5	ग्रामीण कारीगर	57	2299	53	2061	7	269	1679	14	1693	64292	553	64845
6	वन श्रमिक	17	683	24	930	7	272	416	4	420	15714	160	15874
7	शिक्षित बेरोजगार	163	6291	69	2740	4	156	2457	15	2472	95941	555	96496
8	बागान श्रमिक	0	0	28	1149	4	160	202	5	207	8127	187	8314
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	290	11656	197	8369	1	39	10666	22	10688	420287	823	421110
	कुल	1951	77369	2048	80887	164	6458	70015	1185	71200	2748620	44593	2793213

कुल योग कॉलम 4+6+8+14 अर्थात् $77369 + 80887 + 6458 + 2793213 = 2957927$

** सशक्तीकरण शिविर 2003-2004 से प्रारम्भ

** इस सारणी में ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम के आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। (कार्यक्रमों की संख्या 251 तथा प्रतिभागियों की संख्या 13910)

ग्रामीण कार्यक्रमों की कुल संख्या - $1185 + 164 + 251 = 1600$

ग्रामीण प्रतिभागियों की कुल संख्या - $44593 + 6458 + 13910 = 64961$

सारणी – II
2015-2016 के दौरान ग्रामीण श्रमिक शिक्षा
प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्रं. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भूमिहीन श्रमिक	1042	1264	658	3057	4979	9428	2702	22021	34151	39130
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त श्रमिक	74	117	59	274	450	752	83	1552	2387	2837
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	6	0	0	0	0	100	7	127	234	234
4	आदिवासी श्रमिक	3	0	0	7	7	41	3	63	107	114
5	ग्रामीण कारीगर	14	0	15	64	79	137	6	331	474	553
6	वन श्रमिक	4	15	0	3	18	79	8	55	142	160
7	शिक्षित बेरोजगार	15	42	0	47	89	164	2	300	466	555
8	बागान श्रमिक	5	21	0	15	36	49	0	102	151	187
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	22	26	12	86	124	161	12	526	699	823
	कुल	1185	1485	744	3553	5782	10911	2823	25077	38811	44593

सारणी - III
अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (ग्रामीण क्षेत्र)
का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्योरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	12	50	0	186	236	46	0	238	284	520
2	बरेली	11				0	163	40	276	479	479
3	चण्डीगढ़	22	45	0	15	60	512	0	311	823	883
4	दिल्ली	35	50	0	67	117	475	17	759	1251	1368
5	फरीदाबाद	19	0	0	74	74	544	6	140	690	764
6	गाजियाबाद	53	199	0	516	715	518	0	969	1487	2202
7	गोरखपुर	43	8	0	90	98	387	29	1137	1553	1651
8	जम्मू	19	0	22	126	148	0	0	612	612	760
9	कानपुर	70	406	0	793	1199	748	0	1046	1794	2993
10	परवाणू	9	17	0	31	48	117	2	256	375	423
	कुल उ.अ.	293	775	22	1898	2695	3510	94	5744	9348	12043
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	27	83	144	108	335	345	237	251	833	1168
12	बैरकपुर	46	173	0	282	455	925	44	784	1753	2208
13	बैरहामपुर	29	19	140	63	222	484	155	353	992	1214
14	भुवनेश्वर	31	57	0	138	195	376	82	581	1039	1234
15	धनबाद	22	23	35	130	188	54	55	657	766	954
16	जमशेदपुर	33	55	74	86	215	131	290	753	1174	1389
17	कोलकाता	61	56	0	43	99	1337	22	1143	2502	2601
18	मुजफ्फरपुर	25	79	0	32	111	436	0	419	855	966
19	राँची	21	24	206	76	306	180	337	78	595	901
20	राऊरकेला	26	60	79	104	243	132	328	398	858	1101
	कुल पू.अ.	321	629	678	1062	2369	4400	1550	5417	11367	13736
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	27	36	0	50	86	289	1	635	925	1011
22	वडोदरा	31	0	27	16	43	91	464	678	1233	1276
23	गोआ	26	0	0	21	21	4	31	1011	1046	1067
24	मुम्बई	26	1	0	91	92	40	169	645	854	946
25	पुणे	21	4	0	2	6	123	9	610	742	748
26	राजकोट	26	1	0	0	1	498	0	370	868	869
27	थाणे	22	0	0	4	4	68	51	736	855	859
	कुल पं.अ.	179	42	27	184	253	1113	725	4685	6523	6776
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरु	46	121	7	41	169	292	87	1119	1498	1667
29	चेन्नै	116	22	0	5	27	2390	0	2558	4948	4975
30	कोचीन	54	20	0	232	252	81	0	1868	1949	2201
31	कोयम्बतूर	47	93	0	86	179	679	6	966	1651	1830
32	हुबली	10	5	2	41	48	36	14	321	371	419
33	हैदराबाद	49	1	0	38	39	227	9	1738	1974	2013
34	कोषिकोड	31	9	0	119	128	117	1	873	991	1119
35	मदुरै	55	1	0	0	1	662	0	1629	2291	2292
36	मंगलूरु	20	0	0	0	0	54	113	613	780	780
37	विजयवाड़	58	209	20	105	334	983	108	996	2087	2421
38	विशाखपट्टणम	11	0	0	43	43	0	0	437	437	480
	कुल द.अ.	497	481	29	710	1220	5521	338	13118	18977	20197
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	13	3	4	99	106	16	220	149	385	491
40	इम्फाल	38	36	41	321	398	184	80	858	1122	1520
41	सिलीगुढी	4	22	1	5	28	91	40	21	152	180
42	तिनसुकिया	19	3	3	25	31	2	58	664	724	755
	कुल उ.पू.अ.	74	64	49	450	563	293	398	1692	2383	2946
	मध्य अंचल										
43	भोपाल	49	216	72	321	609	359	134	778	1271	1880
44	ग्वालियर	22	27	0	11	38	586	59	259	904	942
45	इन्दौर	11	0	0	0	0	319	0	144	463	463
46	जबलपुर	25	1	37	36	74	138	310	578	1026	1100
47	जयपुर	19	53	12	110	175	222	99	307	628	803
48	नागपुर	59	21	94	205	320	469	277	1110	1856	2176
49	रायपुर	34	4	0	0	4	177	57	980	1214	1218
50	उदयपुर	17	9	19	15	43	64	337	237	638	681
	कुल म.अ.	236	331	234	698	1263	2334	1273	4393	8000	9263
	कुल योग	1600	2322	1039	5002	8363	17171	4378	35049	56598	64961

सारणी – IV

वर्ष 2015–2016 के दौरान असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक

क्र. सं.	श्रमिकों की श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या			प्रतिभागियों की संख्या		
		1979–2015	2015–2016	योग	1979–2015	2015–2016	योग
1	हथकरघा	1682	212	1894	66159	8307	74466
2	पावरलूम	166	15	181	6511	580	7091
3	खादी एवं ग्रामोद्योग	378	7	385	14829	279	15108
4	लघु उद्योग	1149	7	1156	44190	280	44470
5	औद्योगिक क्षेत्र	162	5	167	6302	199	6501
6	हस्तशिल्प	385	10	395	15069	398	15467
7	रेशम उत्पादन	73	1	74	2886	40	2926
8	नारियल जटा उद्योग	157	3	160	6148	120	6268
9	बीड़ी उद्योग	718	4	722	40421	159	40580
10	नमक बनाने वाले श्रमिक	25	0	25	1016	0	1016
11	स्वास्थ्य श्रमिक	18	0	18	706	0	706
12	रैग पिकर्स	42	0	42	1630	0	1630
13	सिनेमा श्रमिक	1	0	1	40	0	40
14	शिप ब्रेकिंग श्रमिक	3	0	3	115	0	115
15	अन्य – चार दिवसीय	3808	10	3818	149298	396	149694
	– दो दिवसीय	7852		7852	306422		306422
	– एक दिवसीय	1133		1133	65182		65182
	कुल	17752	274	18026	726924	10758	737682

सारणी – V
2015-2016 के दौरान असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक
(प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा)
असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम (4 दिवसीय)

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	
1	हथकरघा	212	365	129	596	1090	2410	430	4377	7217	8307
2	पावरलूम	15	2	12	106	120				0	120
3	खादी एवं ग्रामोद्योग	7	4	14	34	52	47	24	156	227	279
4	लघु उद्योग	7		12	30	42	33	61	144	238	280
5	औद्योगिक क्षेत्र	5	17	19	7	43	44	13	99	156	199
6	हस्तशिल्प	10	23		45	68	146	14	170	330	398
7	रेशम उत्पादन	1	10		23	33	5	0	2	7	40
8	नारियल जटा उद्योग	3	29	0	11	40	0	30	50	80	120
9	बीड़ी उद्योग	4			29	29	31	34	65	130	159
10	नमक बनाने वाले श्रमिक					0				0	0
11	स्वास्थ्य श्रमिक					0				0	0
12	रैग पिकर्स					0				0	0
13	सिनेमा श्रमिक					0				0	0
14	शिप ब्रेकिंग श्रमिक					0				0	0
15	अन्य – चार दिवसीय	10	26	0	50	76	92	21	207	320	396
16	– दो दिवसीय	1207	2161	733	4782	7676	11825	1472	24474	37771	45447
17	असंगठित क्षेत्र के लिये एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम	347	657	213	1182	2052	7466	1309	8246	17021	19073
	कुल योग	1828	3294	1132	6895	11321	22099	3408	37990	63497	74818

सारणी – VI

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रम संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	3	15	0	60	75	6	0	39	45	120
2	बरेली	1	2	0	20	22	4	0	14	18	40
3	चण्डीगढ़	2	0	0	0	0	57	0	23	80	80
4	दिल्ली	4	0	0	4	4	41	0	114	155	159
5	फरीदाबाद	3	13	0	4	17	95	0	6	101	118
6	गाजियाबाद	6	0	0	12	12	111	0	117	228	240
7	गोरखपुर	4	0	0	17	17	24	0	118	142	159
8	जम्मू	2	0	0	20	20	0	0	60	60	80
9	कानपुर	10	55	0	108	163	98	0	139	237	400
10	परवाणू	6	3	0	14	17	130	0	88	218	235
	कुल उ.अं.	41	88	0	259	347	566	0	718	1284	1631
	पूर्व अंचल					0					0
11	आसनसोल	6	36	34	22	92	7	48	77	132	224
12	बैरकपुर	4	13	0	0	13	115	0	32	147	160
13	बैरहामपुर	2	0	0	0	0	21	14	45	80	80
14	भुवनेश्वर	7	61	0	67	128	48	0	101	149	277
15	धनबाद	2	0	0	31	31	4	1	44	49	80
16	जमशेदपुर	8	0	30	54	84	5	118	113	236	320
17	कोलकाता	6	21	0	1	22	191	0	21	212	234
18	मुजफ्फरपुर	11	18	0	31	49	123	0	266	389	438
19	राँची	13	5	93	33	131	33	270	86	389	520
20	राऊरकेला	9	28	11	50	89	12	23	225	260	349
	कुल पू.अं.	68	182	168	289	639	559	474	1010	2043	2682
	पश्चिम अंचल					0					0
21	अहमदाबाद	3				0	68	0	51	119	119
22	वडोदरा	5				0	60	35	104	199	199
23	गोवा	2	0	0	0	0	0	0	80	80	80
24	मुम्बई	1	0	0	0	0	0	4	35	39	39
25	पूणे	3	0	0	0	0	16	1	84	101	101
26	राजकोट	4	0	0	0	0	15	0	139	154	154
27	थाणे	9	0	0	0	0	321	0	30	351	351
	कुल प.अं.	27	0	0	0	0	480	40	523	1043	1043
	दक्षिण अंचल					0					0
28	बैंगलूरु	3	0	0	3	3	16	1	97	114	117
29	चेन्नै	13	17	5	20	42	312	11	155	478	520
30	कोचीन	26	3	0	103	106	85	0	843	928	1034
31	कोयम्बतूर	4	0	0	8	8	70	0	73	143	151
32	हुबली	4	48	0	0	48	32	0	78	110	158
33	हैदराबाद	11	0	0	0	0	39	10	391	440	440
34	कोषिकोड	11	2	0	33	35	21	0	359	380	415
35	मदुरै	6	0	0	0	0	134	0	103	237	237
36	मैंगलूरु	3	0	0	4	4	0	0	106	106	110
37	विजयवाड़	8	72	4	3	79	101	6	131	238	317
38	विशाखपट्टणम	1	0	0	4	4	0	0	36	36	40
	कुल द.अं.	90	142	9	178	329	810	28	2372	3210	3539
	उत्तर-पूर्व अंचल					0					0
39	गुवाहाटी	0				0					0
40	इम्फाल	8	17	0	76	93	22	0	199	221	314
41	तिनसुकिया	2	0	0	0	0	0	0	79	79	79
42	सिलीगुड़ी	5	5	1	4	10	101	0	89	190	200
	कुल उ.पू.अं.	15	22	1	80	103	123	0	367	490	593
	मध्य अंचल					0					0
43	रायपुर	4	1	0	0	1	42	3	94	139	140
44	भोपाल	14	33	1	57	91	90	62	303	455	546
45	इन्दौर	2	0	0	40	40	0	0	40	40	80
46	जबलपुर	3	2	5	28	35	11	11	63	85	120
47	ग्वालियर	2	0	0	0	0	70	0	10	80	80
48	जयपुर	2	0	0	0	0	47	0	33	80	80
49	उदयपुर	3	0	2	0	2	73	35	10	118	120
50	नागपुर	3	6	0	0	6	63	5	30	98	104
	कुल म.अं.	33	42	8	125	175	396	116	583	1095	1270
	कुल योग	274	476	186	931	1593	2934	658	5573	9165	10758

सारणी - VII											
अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (विशेष परिसंवाद)											
का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा											
क्रं. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रम संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	103	717	0	411	1128	1935	0	1057	2992	4120
2	बरेली	39	87	0	259	346	540	71	594	1205	1551
3	चण्डीगढ़	104	458	0	86	544	2932	0	434	3366	3910
4	दिल्ली	75	80	0	124	204	1073	1	1419	2493	2697
5	फरीदाबाद	48	99	0	184	283	754	0	800	1554	1837
6	गाज़ियाबाद	117	356	20	318	694	1970	92	1543	3605	4299
7	गोरखपुर	91	152	0	516	668	833	0	1989	2822	3490
8	जम्मू	75	197	336	376	909	704	475	902	2081	2990
9	कानपुर	239	787	0	1162	1949	3420	0	4176	7596	9545
10	परवाणू	39	89	26	33	148	823	153	334	1310	1458
	कुल उ.अं.	930	3022	382	3469	6873	14984	792	13248	29024	35897
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	81	442	291	582	1315	601	334	912	1847	3162
12	बैरकपुर	114	183	26	113	322	2652	143	1344	4139	4461
13	बैरहामपुर	95	70	199	441	710	834	353	1686	2873	3583
14	भुवनेश्वर	164	541	146	601	1288	2454	370	2115	4939	6227
15	धनबाद	50	106	54	219	379	365	177	969	1511	1890
16	जमशेदपुर	83	41	302	259	602	182	1368	1114	2664	3266
17	कोलकाता	148	212	17	155	384	3021	81	1898	5000	5384
18	मुजफ्फरपुर	58	150	46	96	292	1155	40	729	1924	2216
19	रौंछी	43	33	241	87	361	66	830	416	1312	1673
20	राऊरकेला	63	146	226	171	543	423	734	770	1927	2470
	कुल पू.अं.	899	1924	1548	2724	6196	11753	4430	11953	28136	34332
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	84	155	17	78	250	1665	104	975	2744	2994
22	वडोदरा	44	55	74	171	300	311	238	675	1224	1524
23	गोवा	60	0	4	30	34	70	838	862	1770	1804
24	मुम्बई	127	19	141	109	269	1723	909	1665	4297	4566
25	पुणे	81	41	21	117	179	1103	279	1304	2686	2865
26	राजकोट	84	45	0	96	141	1063	67	1673	2803	2944
27	थाणे	60	4	23	61	88	623	276	1200	2099	2187
	कुल पं.अं.	540	319	280	662	1261	6558	2711	8354	17623	18884
	दक्षिण अंचल										
28	बेंगलूरु	146	113	96	409	618	1314	563	2634	4511	5129
29	चेन्नै	256	34	5	45	84	4932	175	4981	10088	10172
30	कोचीन	90	220	73	588	881	691	189	1694	2574	3455
31	कोयंबतूर	89	50	37	61	148	1511	105	1400	3016	3164
32	हुबली	30	25	12	213	250	208	46	681	935	1185
33	हैदराबाद	101	62	17	219	298	1178	260	2138	3576	3874
34	कोषिकोड	68	55	16	134	205	409	87	1682	2178	2383
35	मदुरै	192	1	0	5	6	2217	14	5174	7405	7411
36	मंगलूरु	52	17	1	3	21	290	28	1346	1664	1685
37	विजयवाड़	96	45	25	96	166	1384	591	1663	3638	3804
38	विशाखपट्टणम	35	2	80	90	172	169	121	938	1228	1400
	कुल द.अं.	1155	624	362	1863	2849	14303	2179	24331	40813	43662
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	41	44	21	53	118	270	612	587	1469	1587
40	इम्फाल	38	74	11	251	336	146	57	872	1075	1411
41	तिनसुकिया	31	1	0	66	67	113	119	798	1030	1097
42	सिलीगुड़ी	18	90	23	0	113	423	82	102	607	720
	कुल उ.पू.अं.	128	209	55	370	634	952	870	2359	4181	4815
	मध्य अंचल					0				0	0
43	रायपुर	55	2	11	42	55	236	186	1430	1852	1907
44	भोपाल	120	166	171	427	764	1250	253	2009	3512	4276
45	इन्दौर	24	6	0	12	18	432	57	448	937	955
46	जबलपुर	54	115	51	201	367	560	322	911	1793	2160
47	ग्वालियर	47	48	6	61	115	614	146	911	1671	1786
48	जयपुर	44	25	1	61	87	616	7	986	1609	1696
49	उदयपुर	25	32	38	20	90	297	183	429	909	999
50	नागपुर	124	64	91	353	508	1168	583	2007	3758	4266
	कुल म.अं.	493	458	369	1177	2004	5173	1737	9131	16041	18045
	कुल योग	4145	6556	2996	10265	19817	53723	12719	69376	135818	155635

सारणी – VIII

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों का अंचलवार विवरण

क्रं. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की संख्या			व्य.वि.का. में प्रतिभागियों की संख्या			इकाई स्तर की कक्षाओं में प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या		
		सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
	उत्तर अंचल									
1	इलाहाबाद							13	10	23
2	बरेली							67	13	80
3	चण्डीगढ़							11	9	20
4	दिल्ली				24	8	32	10	0	10
5	फरीदाबाद							12	8	20
6	गाजियाबाद							27	13	40
7	गोरखपुर							12	2	14
8	जम्मू									0
9	कानपुर	20	4	24	16	3	19	43	17	60
10	परवाणु									0
	पूर्व अंचल									
11	आसनसोल				15		15			0
12	बैरकपुर				16	6	22	58	22	80
13	बेरहामपुर									
14	भुवनेश्वर									
15	धनबाद							56	4	60
16	जमशेदपुर				20	10	30	19	1	20
17	कोलकाता									0
18	मुजफ्फरपुर									
19	रॉंची									
20	राऊरकेला									
	पश्चिम अंचल									
21	अहमदाबाद				12	3	15	15	2	17
22	वडोदरा				14	9	23	62	20	82
23	गोवा				13	7	20			
24	मुंबई							102	55	157
25	पुणे							98	35	133
26	राजकोट									0
27	थाणे							85	50	135
	दक्षिण अंचल									
28	बेंगलूरु				25	9	34	156	78	234
29	चेन्नै	22	11	33				299	40	339
30	कोचीन				18	7	25	32	8	40
31	कोयंबतूर				11	4	15			0
32	हबली							44	20	64
33	हैदराबाद				25	26	51	18	4	22
34	कोषिकोड									
35	मद्रुरै									
36	मंगलूरु									
37	विजयवाड़							20	0	20
38	विशाखपट्टणम									
	उत्तर पूर्व अंचल									
39	गुवाहाटी									
40	इम्फाल									
41	तिनसुकिया									
41	सिलीगुड़ी	0	0	0	19	11	30			
	मध्य अंचल									
43	रायपुर	16	10	26	18	2	20			
44	भोपाल									
45	इन्दौर							9	17	26
46	जबलपुर									0
47	ग्वालियर									0
48	जयपुर				29	2	31			0
49	उदयपुर									0
50	नागपुर				25	10	35	21	9	30
	कुल योग	58	25	83	300	117	417	1289	437	1726

सारणी – IX

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों का उद्योगानुसार ब्यौरा

क्र. सं.	उद्योग का नाम	प्रशिक्षक			श्रमिक (इकाई स्तर की कक्षाएं)		
		सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	कृषि	2	1	3			
2	चीनी	1	1	2			
3	खाद्य एवं पेय	2	0	2			
4	खनन (मेटालिक)				300	0	300
5	खनन (नॉन मेटालिक)	1	1	2			
6	कपड़ा तथा होजरी	1	2	3			
7	जूट	1	1	2			
8	अभियांत्रिकी	1		1	39	25	64
9	रसायन एवं उर्वरक				25	17	42
10	कागज एवं कागज उत्पाद	1	1	2			
11	मुद्रण तथा प्रकाशन				50	0	50
12	सीमेंट				64	0	64
13	ग्लास और मिट्टी के बर्तन	1	1	2			
14	चमड़ा उद्योग	2	1	3			
15	रबर तथा रबर उत्पादन	1	1	2			
16	परिवहन	7	11	18	180	0	180
17	बन्दरगाह एवं गोदी	0			55	0	55
18	वाणिज्य सेवा						
19	सरकारी तथा स्थानीय निकाय	20	2	22	0	110	110
20	विद्युत तथा शक्ति	0	0	0	42	0	42
21	पेट्रोलियम	1	1	2	0	57	57
22	इलेक्ट्रॉनिक्स	0	1	1	36	0	36
23	रक्षा	2	0	2	238	0	238
24	बैंकिंग	2	0	0			0
25	विविध	12	0	12	260	228	488
	कुल योग	58	25	81	1289	437	1726

सारणी – X

प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए 2015-2016 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (5 दिवसीय)

क्रं. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रम संख्या	पुरुष				महिला				सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल योग
			अ.जा.	अ. ज. जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग			
1	थाने	1	2	0	18	20	0	0	0	0	14	6	20

सारणी - XI

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रम संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	0									0
2	बरेली	0									0
3	चण्डीगढ़	0									0
4	दिल्ली	1	1	4	25	30	1	0	1	2	32
5	फरीदाबाद										0
6	गाज़ियाबाद										0
7	गोरखपुर										0
8	जम्मू										0
9	कानपुर	1					3		16	19	19
10	परवाणू										0
	कुल उ.अं.	2	1	4	25	30	4	0	17	21	51
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	1	6	1	8	15	0	0	0	0	15
12	बैरकपुर	1	0	0	18	18	0	0	4	4	22
13	बैरहामपुर										0
14	भुवनेश्वर										0
15	धनबाद										0
16	जमशेदपुर	1		1	29						30
17	कोलकाता										0
18	मुजफ्फरपुर										0
19	राँची										0
20	राऊरकेला										0
	कुल पू.अं.	3	6	2	55	33	0	0	4	4	67
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	1	0	0	14	14			1	1	15
22	बडोदरा	1			23						23
23	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	20	20	20
24	मुम्बई										0
25	पुणे										0
26	राजकोट										0
27	थाणे										0
	कुल प.अं.	3	0	0	37	14	0	0	21	21	58
	दक्षिण अंचल										
28	बेंगलूरु	1	4	1	29	34					34
29	चेन्नै	0									0
30	कोचीन	1				0			25	25	25
31	कोयम्बतूर	1	0	0	15	15	0	0	0	0	15
32	हवेली	0									0
33	हैदराबाद	2	8	4	38	50	0	0	1	1	51
34	कोषिकोड	0									0
35	मद्रै										0
36	मंगलूरु	0									0
37	विजयवाड़										0
38	विशाखापट्टणम	0									0
	कुल द.अं.	5	12	5	82	99	0	0	26	26	125
	उत्तर-पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	0									0
40	इम्फाल	0									0
41	तिनसुकिया	0									0
42	सिलीगुड़ी	1	0	3	6	9	1	10	10	21	30
	कुल उ.पू.अं.	1	0	3	6	9	1	10	10	21	30
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	1			17	17			3		20
44	भोपाल										0
45	इन्दौर										0
46	जबलपुर										0
47	ग्वालियर										0
48	जयपुर	1	1	3	26	30			1	1	31
49	उदयपुर	0									0
50	नागपुर	2	14	1	9	24	8	1	2	11	35
	कुल म.अं.	4	15	4	52	71	8	0	6	12	86
	कुल योग	18	34	18	257	256	13	10	84	105	417

सारणी - XII
अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट

गतिविधि	कार्यक्रम सं.	पुरुष				महिला				कुल योग
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
राष्ट्रीय स्तर										
उत्तर-पूर्व राष्ट्रीय स्तर (5 दिवसीय)	28	36	49	295	380	31	75	353	459	839
क्षेत्रीय स्तर					0				0	0
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	3	9	3	70	82			1	1	83
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	17	34	15	251	300	12	1	74	87	387
प्रशिक्षकों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (5 दिवसीय)	1	2	0	18	20				0	20
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	0				0				0	0
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	202	350	172	3396	3918	80	125	821	1026	4944
सीटीपीजी सहित स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (3 दिवसीय)	16	31	1	218	250	3	0	54	57	307
प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (3 दिवसीय)	35	112	67	795	974	9	4	69	82	1056
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	597	1082	942	11155	13179	135	75	1487	1697	14876
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	1	0	3	6	9	1	10	10	21	30
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (1 दिवसीय)	11	21	22	98	141	25	55	101	181	322
इकाई स्तर										
इकाई स्तर की कक्षाएं (अंशकालीन) (45 दिवसीय)	64	126	51	1221	1398	14	13	143	170	1568
इकाई स्तर की कक्षाएं (पूर्णकालीन) (21 दिवसीय)	3	12	15	48	75				0	75
इकाई स्तर की कक्षाएं (पूर्णकालीन) (30 दिवसीय)	1	4		19	23					23
इकाई स्तर की कक्षाएं (साप्ताहिक) (90 दिवसीय)	3				0	12	12	36	60	60
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	201	464	161	3807	4432	46	27	445	518	4950
स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (2 दिवसीय)	190	338	301	2671	3310	50	36	298	384	3694
स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	348	582	181	5712	6475	74	12	417	503	6978
आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद (5 दिवसीय)					0				0	0
कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं (180 दिवसीय)					0				0	0
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)					0				0	0
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	26	40	25	377	442	40	25	377	442	884
संयंत्र स्तर पर कक्षाएं (1 दिवसीय)	158	354	181	3821	4356	106	47	228	381	4737
कुल	1905	3597	2189	33978	39764	638	517	4914	6069	45833
असंगठित क्षेत्र										
असंगठित क्षेत्र के लिए सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	274	476	186	931	1593	2934	658	5573	9165	10758
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)	136	725	262	1529	2516	1042	303	1631	2976	5492
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	133	679	286	1568	2533	677	292	1543	2512	5045

गतिविधि	कार्यक्रम सं.	पुरुष				महिला				कुल योग
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (1 दिवसीय)	347	657	213	1182	2052	7466	1309	8246	17021	19073
उत्तर-पूर्व राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	54	47	86	564	697	58	199	663	920	1617
एससीएसपी के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)	3	4	0	0	4	115	0	0	115	119
टीएसपी के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)	1	0	9	0	9	0	31	0	31	40
अ.जा. एससीएसपी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2426	10094	4	676	10774	78354	295	359	79008	89782
अ.ज. जा. टीएसपी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	940	50	5878	226	6154	697	27717	385	28799	34953
दुर्बल क्षेत्र					0				0	0
दुर्बल वर्ग के लिये सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	348	141	143	416	700	4114	2147	6582	12843	13543
पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिये कार्यक्रम (2 दिवसीय)	7	36	2	65	103	97	0	76	173	276
विशेष परिसंवाद					0				0	0
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1207	2161	733	4782	7676	11825	1472	24474	37771	45447
महिला श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	870	9	9	43	61	9817	1677	21489	32983	33044
बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	383	589	210	1059	1858	4733	773	7057	12563	14421
बाल श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	13	27	20	125	172	81	18	228	327	499
अ.जा./अ.ज.जा. श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	861	2649	1519	254	4422	20241	7142	87	27470	31892
श्रम कल्याण एवं विकास पर विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	703	818	292	3052	4162	6387	1326	14509	22222	26384
पंचायती राज (2 दिवसीय)	71	245	165	785	1195	366	160	806	1332	2527
निर्माण श्रमिक (2 दिवसीय)	37	58	48	165	271	273	151	726	1150	1421
पंचायती राज (3 दिवसीय)	28	10	12	333	355	15	23	373	411	766
कुल	8842	19475	10077	17755	47307	149292	45693	94807	289792	337099
ग्रामीण क्षेत्र										
ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	1185	1485	744	3553	5782	10911	2823	25077	38811	44593
ग्रामीण क्षेत्र हेतु सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)	164	262	53	440	755	1618	445	3640	5703	6458
पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (ग्रामीण क्षेत्र) (1 दिवसीय)	251	575	242	1009	1826	4642	1110	6332	12084	13910
मनरेगा ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	487	924	335	2518	3777	4085	1320	9253	14658	18435
मनरेगा खण्ड स्तर पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	3	40	0	103	143	70	58	29	157	300
मनरेगा जिला स्तर पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)					0				0	0
कुल	2090	3286	1374	7623	12283	21326	5756	44331	71413	83696
कुल योग	12837	26358	13640	59356	99354	171256	51966	144052	367274	466628

सारणी - XIII						
31 मार्च, 2016 तक श्रम संघ संगठनों और अन्य निकायों/संस्थानों को प्रदत्त सहायता अनुदान						
क्र. सं.	संगठन	संघों की संख्या	31 मार्च, 2015 तक प्रदत्त राशि	अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक प्रदत्त	मार्च, 2016 तक प्रदत्त कुल राशि	मार्च, 2016 तक प्रशिक्षित श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
निम्न केन्द्रीय श्रमिक संघों से सम्बद्ध श्रम संघ केन्द्रीय संगठन						
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस)	178	3,459,132.43	45,630.00	3,504,762.43	50105
2	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस	361	5,653,259.00	24,840.00	5,678,099.00	165457
3	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एटक)	162	3,439,003.03	20,025.00	3,459,028.03	86831
4	हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)	111	3,103,274.82	0	3,103,274.82	89625
5	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	16	91,564.04	0	91,564.04	2699
6	युनाईटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस	8	30,071.05	0	30,071.05	2522
7	नेशनल फ्रंट ऑफ इण्डिया ट्रेड यूनियन	15	166,405.67	0	166,405.67	10743
8	नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन	27	1,130,237.76	0	1,130,237.76	32848
9	हिन्द मजदूर पंचायत	15	44,062.25	0	44,062.25	2555
10	हिन्द खेत मजदूर पंचायत	1	118,976.00	0	118,976.00	1960
11	नेशनल फेडरेशन्स			----	-	
	क) ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन	3	71,159.95	0	71,159.95	1458
	ख) ऑल इण्डिया डिफेन्स एम्प्लॉइज	28	459,934.64	0	459,934.64	20763
	ग) ऑल इण्डिया कैमीकल एण्ड फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन	1	2,109.75	0	2,109.75	83
	घ) ऑल इण्डिया पी एण्ड टी एम्प्लॉइज	1	3,177.00	0	3,177.00	225
	ङ) ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन	1	17,106.15	0	17,106.15	519
	च) ऑल इण्डिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन	2	121,184.23	0	121,184.23	3402
	छ) इण्डियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन	1	26,781.90	0	26,781.90	454
	ज) नेशनल फेडरेशन ऑफ इम्प्लॉइज ऑफ द गर्वमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग एण्ड स्टेनरी	1	4,574.70	0	4,574.70	262
	झ) आल इण्डिया रजव बक वर्कर्स फेडरेशन	3	8,331.60	0	8,331.60	159
	ञ) ऑल इण्डिया मेडीकल एण्ड हेल्थ एम्प्लॉइज फेडरेशन, कोलकाता	1	693.00	0	693.00	40
	ट) ऑल इण्डिया इन्धयोरेंस कॉर्पोरेशन फेडरेशन	6	48,774.95	0	48,774.95	784
	ठ) ऑल इण्डिया कॉन्फेडरेशन ऑफ सी.जी.ओ. एसोसिएशन	1	1,444.50	0	1,444.50	40
	ड) ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लॉइज फेडरेशन	4	11,894.00	0	11,894.00	1256
	ढ) ऑल इण्डिया कन्टोनमेंट इम्प्लॉइज फेडरेशन	1	3,082.50	0	3,082.50	82
	ण) ऑल इण्डिया न्यूजपेपर इम्प्लॉइज	1	17,755.90	0	17,755.90	400
	त) एल.पी.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	3	78,345.65	0	78,345.65	2231
12	एस.एल.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	60	406,313.70	0	406,313.70	26600
13	स्वतंत्र श्रमिक संघ	309	4,089,180.10	182,340.00	4,271,520.10	116261
14	शैक्षणिक संस्थाएं	15	74,089.41	0	74,089.41	7196
15	सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	246	4,356,611.94	298,285.00	4,654,896.94	56447
	कुल	1582	27,038,531.62	571,120.00	27,609,651.62	684,007.00

सारणी – XIV										
प्रशिक्षित शिक्षा अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों की संख्या (1958-2016)										
योजना / वर्ष	शिक्षा अधिकारी	प्रशिक्षक	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	श्रमिक			श्रमिक			
				इकाई स्तर कक्षाएं	अल्प कालीन कार्यक्रम	ग्रामीण स्वयं सेवक	ग्रामीण जागरूकता शिविर	असंगठित क्षेत्र शिविर	कार्यात्मक प्रोढ़ साक्षरता कक्षाएं	अनुदान ग्राहियों द्वारा
दूसरी योजना (1958-61)	100	1070		9070						0
तीसरी योजना (1961-66)	217	6340		309470						2371
वार्षिक योजना (1966-69)	59	9055		419823	105975					9187
चौथी योजना (1969-74)	36	14856		802394	307591					72987
पाँचवी योजना (1974-78)	44	15166		720458	485594		6214			110393
वार्षिक योजना (1978-79)	46	3955		213677	91306		7386			25417
(1979-80)		3927		185891	38563		17671	5241	4149	25911
छठवीं योजना 1980-85	56	15984	3087	667160	32970	589	268556	86691	116551	124106
सातवीं योजना 1985-90	78	6588	19677	279194	170485	236	451936	60027	64749	123121
वार्षिक योजना 1990-91		1209	3957	52385	46041	169	139798	17138	13607	15056
1991-92	24	1305	3904	52424	47504	124	136861	18321	9972	15544
आठवीं योजना 1992-97	75	5721	17397	230281	240562	1054	494239	84909	40258	59424
नौवीं योजना 1997-2002		2737	16495	112171	706939	149	403588	187672	9310	36926
दसवीं योजना 2002-2007	81	1470	10606	28071	336173	0	516765	623111	1698	30369
ग्यारहवीं योजना 2007-2012		1134	7275	15361	279644	0	500276	700630	343	24922
वार्षिक योजना 2012-2013		204	1158	2318	46542		90442	281710	366	2322
वार्षिक योजना 2013-2014		195	988	1757	47169	0	91742	285992	185	2847
वार्षिक योजना 2014-2015		185	1075	2306	43437	0	66564	237208	51	3134
वार्षिक योजना 2015-2016		83	417	1726	43607	0	83696	337099	0	240
कुल योग	816	91184	86036	4105937	3070102	2321	3275734	2925749	261239	684277

वाषिक लखा

वित्तीय वर्ष
2015–2016



दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा
एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
वी.एन.आई.टी गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,
नागपुर - 440 033

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, मुंबई,
सी-25, लेखा परीक्षा भवन, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051
दूरभाषः(022) 2657 2578, फ़ैक्सः 2657 2451,
ई-मेल: pdacentralmumbai@cag.gov.in

गुलजारी लाल
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक

डी.ओ.सं. पीडीए(सी)/मु./सी एण्डएबी/एसएआर/सीबीडब्ल्यूई/15-16/1424-ए,
दिनांक: 14.03.2017

प्रिय श्री वानखड़े जी,

मैंने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा किया है तथा दिनांक 14.03.2017 के पत्रानुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ जोकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश नहीं की गई थीं, को आपके सुधारक तथा उपचारी कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया जा रहा है:-

1. ग्राम विकास कार्यक्रम की अवितरित राशि के अंतर्गत रुपये 3.24 लाख की राशि को अनुसूची 7 में चालू देयताएं एवं प्रावधान के साथ समाविष्ट किया गया है जो कि बोर्ड के साथ 6 वर्षों से अधिक समय से पड़ी हुई है। के.श्र.शि.बोर्ड ने इस लम्बित राशि के लिए कारणों सहित समीक्षा नहीं कर पाया है और न ही इस राशि को वितरित/वापसी करने की कोई उपयुक्त कार्रवाई किया है।
2. मनरेगा के लिए प्राप्त रुपये 7.25 लाख की राशि अनुसूची-3 उद्दिष्ट निधि के अंतर्गत परिलक्षित हो रही है जिसे बोर्ड द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया था जिसे वर्ष 2012-13 से बेकार रखा गया है। बोर्ड ने इस निधि को उपयोग में लाने अथवा उसे वापस लौटाने के लिए आज की तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं किया है।
3. सा.भ.नि. आय एवं व्यय लेखा स्रोत पर कर कटौती की राशि रुपये 17.76 लाख के व्यय को प्रदर्शित करता है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड गैर लाभोन्मुख केन्द्रीय स्वायत्त निकाय होने से आय कर से उन्मुक्त है। स्रोत पर कर कटौती पर बताया गया व्यय रुपये 17.76 लाख अधिक व्यय बताया गया है और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड चालू वर्ष के साथ-साथ इसके पिछले वर्षों के दौरान कटौती की गई कर की वापसी के लिए दावा नहीं किया है।

सादर,

आपका,

(गुलजारी लाल)

श्री वानखड़े आर. जे.,

उप निदेशक,
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,
उत्तर अंबाझरी मार्ग,
नागपुर- 440 033

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)
सी-25, लेखा परीक्षा भवन, आयकर भवन के पीछे,
बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई- 400 051
दूरभाष:(022) 2657 2578, फ़ैक्स: 2657 2451
इपीएबीएक्स: 2657 1750 / 41 / 42 / 36, फ़ैक्स: 657 2951 / 657 2451

सं.पीडीए(सी)/मु./सी एण्डएबी/एस.ए.आर./2015-16/सीबीडब्ल्यूई/ दि.14.03.2017

सेवा में,
सचिव,
भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम भाक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001

विषय: वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के लेखा पर अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट...

महोदय,

संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **31 मार्च, 2016** को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के लेखा पर अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट कृपया इसके साथ संलग्न है।

- 1) लेखा विवरण
- 2) अनुलग्नक सहित अंग्रेजी में लेखा परीक्षा रिपोर्ट-सह-लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र।

संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों की प्रतियाँ एवं संसद के दोनों सदनों में उन कागजातों को प्रस्तुत करने की तिथि की सूचना कृपया हमारे कार्यालय को दें।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता/-

उप निदेशक/सी एण्ड ए बी

सं.पीडीए(सी)/मु./सी एण्ड एबी/एस.ए.आर./2015-16/सीबीडब्ल्यूई/ **1424ए** दि.14.03.17

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा के साथ लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र अंग्रेजी में निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है। संसद के दोनों सदनों में कागजातों को प्रस्तुत करने की तिथि(यों) की सूचना इस कार्यालय को भेजी जाए।

हस्ता/-

उप निदेशक/सी एण्ड ए बी

संलग्नक: उपर्युक्त।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के लेखा पर भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2016 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (केश्रशिबो) के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2017-18 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की इकाइयों/शाखाओं के लेखाएं सम्मिलित हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनुरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता-सह-निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।
3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगिण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।
4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:
 - i.) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए निम्न के सिवाय आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। 1) वार्षिक वित्तीय विवरण में परिलक्षित होने वाले समेकित आकड़ों पर विस्तृत जानकारी संबंधी ग्रुपिंग शेड्यूल। 2) ओ.टी. रजिस्टर 3) किराया रजिस्टर 4) वर्ष 2015-16 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट सहित पुस्तकालय रजिस्टर।
 - ii.) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।
 - iii.) हमारी राय में बोर्ड द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बनाये रखे गये हैं जैसेकि हमने ऐसी पुस्तकों को देखा है।
 - iv.) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखा पर टिप्पणी

क. तुलन पत्र

क1. देयताएं

क1.1. उद्दिष्टित/ स्थायी निधि

(अनुसूची-3) रुपये 2406.90 लाख

गृह निर्माण की वृद्धि के लिए परिक्रमी निधि के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम के कारण रुपये 141.78 लाख उद्दिष्टित/स्थायी निधि अनुसूची 3(क) में परिलक्षित होती है। पिछले 06 वर्षों से इस निधि को आहरित नहीं किया गया है और निधि बेकार पड़ी है। अनुसूची 9 (निवेश) एवं अनुसूची 11 (चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम) के अनुसार इस निधि के अंतर्गत संबंधित निवेश क्रमशः रुपये 35.56 लाख एवं 159.53 लाख है। इसलिए उद्दिष्टित निधि (गृ.नि.अ.) के कारण देयताओं को रुपये 53.31 कम बताया गया है।

क.2 आस्तियाँ

क.2.1 चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) रुपये 3358.30 लाख

आस्तियाँ I से तुलन पत्र वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम के अंतर्गत रुपये 4.91 की राशि प्रदर्शित करता है। जबकि उपर्युक्त राशि कर्मचारियों से वसूली/समायोजित किए जाने योग्य है, चालू आस्तियाँ- अनुसूची-11 के अंतर्गत उपर्युक्त राशि को परिलक्षित किया जाना चाहिए। तथापि इस भीर्ष के अंतर्गत चालू आस्तियाँ केवल रुपये 98911 को परिलक्षित किया गया है परिणामतः रुपये 3.92 लाख की मौजूदा परिसम्पत्तियों में कमी है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख.1. आय

रुपये 119.78 लाख मौजूदा आय की कमी
अनुदान/सहायिकी से आय (अनुसूची 13)

आय एवं व्यय लेखा गैर-योजना एवं योजना के अंतर्गत रुपये 5397.00 लाख तथा रुपये 1009.87 लाख क्रमशः तथा ओ.एन.जी.सी. से प्राप्त रुपये 10.00 लाख को (कुल मिलाकर 6416.87 लाख रुपये) दर्शाता है। इसलिए वर्ष के दौरान प्राप्त राशि रुपये 1129.65 लाख में से योजना अनुदान की राशि रुपये 1009.87 को केवल स्वीकृत किया गया है परिणामतः रुपये 119.78 लाख मौजूदा आय एवं निधि की कमी है।

ग) सामान्य

- वितरित की गई सामान्य भविष्य निधि अग्रिम के लिए देयता (रुपये 2.99 लाख) अनुसूची 7 से तुलन पत्र के अंतर्गत परिलक्षित हो रही है जो कि विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को सामान्य भविष्य निधि की अग्रिम प्रेषित की गई है परन्तु वितरित नहीं हुई है। वर्ष 2012-13 से देयता के रूप में राशि का निरंतर घाटा हुआ है और के.श्र.शि.बो. ने उपर्युक्त का समाधान नहीं किया है।
- स्वायत्त निकाय के लिए लेखा के मानक फार्मेट के अनुसार विशिष्ट/उद्दिष्टित उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है, वर्ष की समाप्ति तक इसकी उपयोगिता

एवं जमा शेष को अनुसूची 3 (उद्दिष्टित/स्थायी निधि) के अंतर्गत तुलन पत्र में परिलक्षित होना आवश्यक है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने भारत सरकार से विशिष्ट उद्देश्य के लिए योजना अनुदान की राशि रुपये 1129.65 लाख तथा ओ.एन.जी.सी. से रुपये 10.00 लाख प्राप्त किया है। तथापि सहायता अनुदान के अंतर्गत अनुसूची 3(ख) में अनुदान के रूप में प्राप्त रुपये 164.45 लाख परिलक्षित हो रही है। लेखा में स्पष्टता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लेखा का समाकलन करना आवश्यक है। बोर्ड ने इस विभिन्नता का समाधान नहीं किया है।

3. आईसीएआईके लेखाकरण मानक 15 एवं देयता के लिए प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, गेच्युटी एवं छुट्टी की नकदीकरण के संबंध में देय देयताएं के प्रावधान को बीमांकित आधार पर अर्जित करने की आवश्यकता है और वर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
4. अनुसूची 21 के अनुसार आय एवं व्यय लेखा रुपये 97.18 लाख था, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि रुपये 100.5 लाख व्यय की गई है। तथापि उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार इस लेखा पर रुपये 134.94 लाख व्यय हुआ है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, इसके अंतर्गत जो भी अंतर आया है उसका समाधान नहीं किया गया है।
5. विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों से प्राप्त प्राप्ति एवं व्यय विवरण से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है और उसे नागपुर मुख्यालय के साथ मिला दिया गया है। लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को क्षेत्रीय अथवा ऑचलिक कार्यालयों में लागू नहीं किया गया है और अलग से कोई वित्तीय विवरण भी तैयार नहीं किया गया है। तथापि तथ्यों को लेखा टिप्पणी में अवगत नहीं कराया गया है।
6. चालू देयताएं एवं प्रावधान में अव्ययित अनुदान के लिए बोर्ड ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। परिणामतः चालू देयताएं एवं कारपस निधि में रुपये 0.77 करोड़ की कमी है।
7. विभिन्न क्लाइंट (ग्राहकों) से प्राप्त ई.एम.डी. की बोर्ड ने समीक्षा नहीं किया है और न ही उनके द्वारा 03 वर्षों से अधिक समय से रुपये 28.28 लाख राशि का दावा किया गया है और लंबित जमा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

घ) सहायता अनुदान

पिछले वर्ष के दौरान अव्ययित योजना अनुदान रुपये 4.99 करोड़ सहित कुल सहायता अनुदान रुपये 70.26 करोड़ (रुपये 16.23 करोड़ योजना अनुदान योगदान + 53.97 करोड़ गैर-योजना अनुदान) प्राप्त हुआ था। 31 मार्च, 2016 तक बोर्ड ने गैर योजना का पूरी तरह उपयोग किया है और रुपये 3.81 करोड़ गैर-योजना व्यय किया है।

वर्ष के दौरान बोर्ड ने रुपये 15.47 करोड़ योजना अनुदान का उपयोग किया है और 31 मार्च, 2016 तक अव्ययित रुपये 0.77 करोड़ जमा शेष है।

ये आँकड़े वार्षिक लेखा जैसे अनुसूची 13, प्राप्त अनुदान, तुलन पत्र, चालू देयताएं (अनुदान की अव्ययित जमा भोश) से मेल नहीं खाते हैं इसलिए इसे समाधान करने की आवश्यकता है।

घ) प्रबंधन पत्र

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है।

- v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप हैं।
- vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्नक में उल्लिखित अन्य बातों तथा लेखों की टिप्पणियों तथा लेखाकरण नीतियों के साथ ही उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को बताया गया है जोकि साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरूप सही और शुद्ध हैं:
- क. जहाँ तक 31 मार्च, 2016 तक के.श्र.शि.बोर्ड के क्रियाकलापों की स्थिति का तुलनपत्र के संबंध में तथा
- ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति के लिए उस तिथि तथा आय एवं व्यय लेखा के अधिशेष के संबंध में ।

कृते एवं की ओर से
भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

हस्ता/-
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय), मुंबई

स्थान: मुंबई

दिनांक: 14.03.2017

संलग्नक	
1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता:	<p>बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में है। इसके अधीन 05 ऑचलिक, 50 क्षेत्रीय निदेशालय कार्यरत हैं। फिर भी अधिकांश कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर में वर्ष 2005 से बरेली में वर्ष 2013 से तथा गोरखपुर में वर्ष 2006 से आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।</p>
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता:	<p>बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए समरूप प्रक्रिया की अनुपस्थिति में संगठन की आकार एवं प्रकृति उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती है। वेतन निर्धारण में त्रुटियाँ की गई हैं और इस लेखा में वर्ष के दौरान रुपये 20.65 लाख की वसूली दिखाई गई है। तथापि लेन-देन को मानक अभिलेखित करने के लिए कूटबद्ध लेखा शीर्ष के साथ अलग से अनुमोदित लेखाकरण मैनुअल नहीं है।</p>
3. आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन:	<p>वर्ष 2015-16 से आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। आस्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।</p>
4. स्थिर वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन:	<p>संस्थान में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।</p>
5. सांविधिक देय भुगतान नियमित रूप से करना।	<p>बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।</p>

हस्ता /—
 प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के लेखा पर भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जवाब
(1)	(2)
<p>1. हमने 31 मार्च, 2016 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (केश्रिबो) के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2012-13 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की इकाइयों/शाखाओं के लेखाएं सम्मिलित हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।</p> <p>2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनुरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता-सह-निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।</p> <p>3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगिण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।</p>	

4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:

- i.) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए निम्नलिखित के अलावा आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। 1) वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित आंकड़ों से संबंधित विस्तृत जानकारी को परिलक्षित करने वाली सामूहिक अनुसूचियाँ। 2) ओ.टी. रजिस्टर 3) किराया रजिस्टर 4) वर्ष 2015-16 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट सहित पुस्तकालय रजिस्टर।
- ii.) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।
- iii.) हमारी राय में बोर्ड द्वारा इस संस्था के ज्ञापन के नियम एवं विनियम 20(i) के अंतर्गत तथा अपेक्षित, लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बनाये रखे गये हैं जैसेकि हमने ऐसी पुस्तकों को देखा है।
- iv.) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखा पर टिप्पणी

क तुलन पत्र

क1. देयताएं

क1.1.उद्दिष्टित/स्थायी निधि (अनुसूची-3) रुपये 2406.90 लाख

गृह निर्माण की वृद्धि के लिए परिक्रमी निधि के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम के कारण रु.141.78 लाख उद्दिष्टित/स्थायी निधि अनुसूची 3(क) में परिलक्षित होती है। पिछले 06 वर्षों से इस निधि को आहरित नहीं किया गया है और निधि बेकार पड़ी है। अनुसूची 9 निवेश) एवं अनुसूची 11(चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम) के अनुसार इस निधि के अंतर्गत संबंधित निवेश क्रमशः रुपये 35.56 लाख एवं 159.53 लाख है। इसलिए उद्दिष्टित निधि (गृ.नि.अ.) के कारण देयताओं को रुपये 53.31 कम बताया गया है।

लेखा परीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट किया गया। वर्ष 2016-17 से सामूहिक अनुसूची को लेखा के साथ संलग्न किया जाएगा।

आदाता (उधार प्राप्त करने वाले) को गृह निर्माण अग्रिम राशि वितरित की गई थी। वर्ष 2001-02 से इसे रोक दिया गया क्योंकि कर्मचारी बोर्ड के बजाए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए संपर्क कर रहे थे। तथापि आदाता से अर्जित ब्याज एवं निधि का निवेश बोर्ड में उपलब्ध है। निधि बेकार नहीं पड़ी है बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश कर दी गई है। संबंधित निवेश रुपये 159.53 लाख एवं बैंक जमा रुपये 0.61 लाख है। रुपये 141.90 लाख की देयता है। रुपये 18 लाख के अंतर को समाधान कर लिया जाएगा। कुल आस्तियों की देयता का सुधार कर लिया जाएगा और गृह निर्माण अग्रिम खाते में लेन-देन के समाशोधन के बाद वर्ष 2016-17 के लिए राशि परिलक्षित होगी।

<p>क.2 आस्तियाँ</p> <p>क. 2.1 चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) रुपये 3358.30 लाख</p> <p>आस्तियाँ I से तुलन पत्र वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम के अंतर्गत रुपये 4.91 की राशि प्रदर्शित करता है। जबकि उपर्युक्त राशि कर्मचारियों से वसूली/समायोजित किए जाने योग्य है, चालू आस्तियाँ- अनुसूची-11 के अंतर्गत उपर्युक्त राशि को परिलक्षित किया जाना चाहिए। तथापि इस शीर्ष के अंतर्गत चालू आस्तियाँ केवल रुपये 989.11 को परिलक्षित किया गया है परिणामतः रुपये 3.92 लाख की मौजूदा परिसम्पत्तियों में कमी है।</p>	<p>लेखा तैयार करते समय इसे नोट किया गया और बकाया अग्रिम की राशि का सही पता लगाने के लिए हमने सभी एककों को पत्र भेज दिया है और वर्ष 2016-17 के अगले तुलन पत्र में यह राशि परिलक्षित होगी।</p>																					
<p>ख. आय एवं व्यय लेखा</p> <p>ख.1. आय रुपये 119.78 लाख मौजूदा आय की कमी अनुदान/सहायिकी से आय (अनुसूची 13)</p> <p>आय एवं व्यय लेखा गैर-योजना एवं योजना के अंतर्गत रुपये 5397.00 लाख तथा रुपये 1009.87 लाख क्रमशः तथा ओ.एन.जी.सी. से प्राप्त रुपये 10.00 लाख को (कुल मिलाकर 6416.87 लाख रुपये) दर्शाता है। इसलिए वर्ष के दौरान प्राप्त राशि रुपये 1129.65 लाख में से योजना अनुदान की राशि रुपये 1009.87 को केवल स्वीकृत किया गया है परिणामतः रुपये 119.78 लाख मौजूदा आय एवं निधि की कमी है।</p>	<p>योजना एवं गैर-योजना की निम्नलिखित राशि को अनुसूची 13 में दर्शाया गया है:</p> <p style="text-align: right;">(रुपये लाख में)</p> <table border="1" data-bbox="917 840 1460 1198"> <thead> <tr> <th>अनुदान</th> <th>गैर-योजना</th> <th>योजना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राप्त अनुदान</td> <td>5397.00</td> <td>1009.86</td> </tr> <tr> <td>(+) प्राप्त होने योग्य</td> <td>380.67</td> <td>212.70</td> </tr> <tr> <td>(+) उपयोग में लाई गई वर्ष 2014-15 के लिए अव्ययित</td> <td>—</td> <td>488.89</td> </tr> <tr> <td>(-) पूंजीगत व्यय</td> <td>32.00</td> <td>156.71</td> </tr> <tr> <td>(-) राजस्व व्यय</td> <td>5745.67</td> <td>1390.30</td> </tr> <tr> <td>अव्ययित अनुदान</td> <td>—</td> <td>164.44</td> </tr> </tbody> </table> <p>राजस्व व्यय जैसे-अनुदान राशि रुपये 7135.97 लाख के लिए अनुसूची -13 में आय सही दिखाया गया है। योजना के अंतर्गत राजस्व व्यय रुपये 1390.30 लाख जैसे अनुदान को आय से अधिक दिखाया गया है। इसलिए आय की कमी नहीं है।</p> <p>इसलिए इस पैरा को बंद किया जा सकता है।</p>	अनुदान	गैर-योजना	योजना	प्राप्त अनुदान	5397.00	1009.86	(+) प्राप्त होने योग्य	380.67	212.70	(+) उपयोग में लाई गई वर्ष 2014-15 के लिए अव्ययित	—	488.89	(-) पूंजीगत व्यय	32.00	156.71	(-) राजस्व व्यय	5745.67	1390.30	अव्ययित अनुदान	—	164.44
अनुदान	गैर-योजना	योजना																				
प्राप्त अनुदान	5397.00	1009.86																				
(+) प्राप्त होने योग्य	380.67	212.70																				
(+) उपयोग में लाई गई वर्ष 2014-15 के लिए अव्ययित	—	488.89																				
(-) पूंजीगत व्यय	32.00	156.71																				
(-) राजस्व व्यय	5745.67	1390.30																				
अव्ययित अनुदान	—	164.44																				
<p>ग) सामान्य</p> <p>1. वितरित की गई सामान्य भविष्य निधि अग्रिम के लिए देयता (रुपये 2.99 लाख) अनुसूची 7 से तुलन पत्र के अंतर्गत परिलक्षित हो रही है जो कि विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को सामान्य भविष्य निधि की अग्रिम प्रेशित की गई है परन्तु वितरित नहीं हुई है। वर्ष 2012-13 से देयता के रूप में राशि की निरंतर घाटा हुआ है और के.श्री.शि.बो. ने उपर्युक्त का समाधान नहीं किया है।</p> <p>2. स्वायत्त निकाय के लिए लेखा के मानक फार्मेट के अनुसार विशिष्ट/उद्दिष्टित उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है, वर्ष की समाप्ति तक इसकी उपयोगिता एवं जमा शेष को अनुसूची 3</p>	<p>विभिन्न वर्षों की देयता आकड़ा को सत्यापित करने के लिए समाधान किया जाना है। इसलिए वर्ष 2016-17 के लिए लेखा तैयार करते समय अनुपालन के लिए नोट किया गया।</p> <p>पिछले वर्ष की प्रथा के अनुसार चालू वर्ष में अव्ययित अनुदान की जमा शेष को अव्ययित अनुदान के साथ जोड़ा गया है और मंत्रालय द्वारा कायम पिछले वर्ष के लिए अव्ययित</p>																					

(उद्दिष्ट/स्थायी निधि) के अंतर्गत तुलन पत्र में परिलक्षित करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने भारत सरकार से विशिष्ट उद्देश्य के लिए योजना अनुदान की राशि रुपये 1129.65 लाख तथा ओ.एन.जी.सी. से रुपये 10.00 लाख प्राप्त किया है। तथापि सहायता अनुदान के अंतर्गत अनुसूची 3(ख) में अनुदान के रूप में प्राप्त रुपये 164.45 लाख परिलक्षित हो रही है। लेखा में स्पष्टता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लेखा का समोलन करना आवश्यक है। बोर्ड ने इस विभिन्नता का समाधान नहीं किया है।

3. आईसीएआईके लेखाकरण मानक 15 एवं देयता के लिए प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, गेच्युटी एवं छुट्टी की नकदीकरण के संबंध में देय देयताएं के प्रावधान को बीमाकित आधार पर अर्जित करने की आवश्यकता है और वर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

4. अनुसूची 21 के अनुसार आय एवं व्यय लेखा रुपये 97.18 लाख था, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि रुपये 100.5 लाख व्यय की गई है। तथापि उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार इस लेखा पर रुपये 134.94 लाख व्यय हुआ है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, इसके अंतर्गत जो भी अंतर आया है उसका समाधान नहीं किया गया है।

5. विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों से प्राप्त प्राप्ति एवं व्यय विवरण से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है और उसे नागपुर मुख्यालय के साथ मिला दिया गया है। लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली को क्षेत्रीय अथवा आंचलिक कार्यालयों में लागू नहीं किया गया है और अलग से कोई वित्तीय विवरण भी तैयार नहीं किया गया है। तथापि तथ्यों को लेखा टिप्पणी में अवगत नहीं कराया गया है।

अनुदान की कटौती के बाद अव्ययित सहायता अनुदान की सकल जमा अनुसूची 3(ख) में देयता के बगल में परिलक्षित है। कृपया पैरा-ख के जवाब का संदर्भ लें, मौजूदा आय की कमी रुपये 164.44 लाख परिलक्षित है।

अव्ययित अनुदान रुपये 164.44 लाख पिछले वर्षों से प्रयोग में लाइ जानी है इसलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधि के अंतर्गत अनुदान की जमा शेष के साथ समाकलित किया गया है। इसलिए अन्तर का समाधान कर दिया जाएगा।

इन गैर-योजना व्यय के लिए बोर्ड मंत्रालय से प्राप्त सहायता एवं अनुदान राशि पर पूरी तरह निर्भर है। इन प्रावधानों को बनाए रखने के लिए गैर-योजना के अंतर्गत अनुदान पर्याप्त नहीं है। ऐसे प्रावधानों को बनाए रखने के लिए बोर्ड को मंत्रालय से अतिरिक्त अनुदान की मांग है जो कि भारत सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा। इसलिए पैरा को बंद किया जा सकता है।

अन्य नियमित कार्यक्रम के साथ-साथ उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में व्यय को प्रदर्शित करने वाले प्राप्तियाँ एवं भुगतान संबंधी लेजर की प्रति अनुलग्नक- X में संलग्न है। यह विवरण एस.सी., एस.पी. एवं टी.एस.पी. घटकों पर व्यय को छोड़कर व्यय रुपये 134.94 लाख स्पष्टतः प्रदर्शित करता है। तथापि वर्ष 2016-17 एवं इसके बाद से कार्यक्रमवार उद्देश्य के बावजूद शीर्षवार/घटक के अनुसार व्यय विवरण अनुसूची- 21 के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले वर्ष के आंकड़े को भी पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। इसलिए पैरा को बंद किया जा सकता है।

दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में लेखा तैयार करने के लिए सभी क्षेत्रीय निदेशालयों में एक योग्य लेखापाल की आवश्यकता है, जबकि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक, खजांची के रूप में कार्य कर रहे हैं और एकल प्रविष्टि प्रणाली में लेखा को समाकलित कर रहे हैं जो कि मासिक प्राप्तियाँ एवं भुगतान से संबंधित हैं। क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षा अधिकारी संवर्ग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें दोहरी प्रविष्टि लेखाकरण अवधारणा के प्रति जानकारी नहीं है। तथापि लेखा परीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट किया गया है। वर्ष 2016-17 एवं इसके बाद से टिप्पणी में तथ्यों को प्रकट किया जाएगा।

<p>6. चालू देयताएं एवं प्रावधान में अव्ययित अनुदान के लिए बोर्ड ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। परिणामतः चालू देयताएं एवं कारपस निधि में रुपये 0.77 करोड़ की कमी है।</p> <p>7. विभिन्न क्लाइंट (ग्राहकों) से प्राप्त ई.एम.डी. की बोर्ड ने समीक्षा नहीं किया और न ही उनके द्वारा 03 वर्षों से अधिक समय से रुपये 28.28 लाख रशि का दावा किया गया है और लंबित जमा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>अव्ययित अनुदान रुपये 164.44 लाख उपयोग में लाई जाएगी। इसलिए चालू देयताओं के बजाए उद्दिष्टित/स्थायी निधि को बगल में दिखाया गया है। इसे पिछले वर्षों में लेखा परीक्षा की आपत्ति के अनुसार तैयार किया गया है।</p> <p>कुछ मामलों में मामला न्यायालय के अधीन है और कुछ मामलों में ई.एम.डी. वापस करने के लिए फाइल/दावे लेखा अनुभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।</p>																					
<p>घ) अनुदान सहायता</p> <p>पिछले वर्ष के दौरान अव्ययित योजना अनुदान रुपये 4.99 करोड़ सहित कुल सहायता अनुदान रुपये 70.26 करोड़ (रुपये 16.23 करोड़ योजना अनुदान + 53.97 करोड़ गैर-योजना अनुदान) प्राप्त हुआ था। 31 मार्च, 2016 तक बोर्ड ने गैर योजना का पूरी तरह उपयोग किया है और रुपये 3.81 करोड़ गैर-योजना व्यय किया है।</p> <p>वर्ष के दौरान बोर्ड ने रुपये 15.47 करोड़ योजना अनुदान का उपयोग किया है और 31 मार्च, 2016 तक अव्ययित रुपये 0.77 करोड़ जमा शेष है।</p> <p>ये आँकड़े वार्षिक लेखा जैसे अनुसूची 13, प्राप्त अनुदान, तुलन पत्र, चालू देयताएं (अनुदान की अव्ययित जमा शेष) से मेल नहीं खाते हैं इसलिए इसे समाधान करने की आवश्यकता है।</p>	<p style="text-align: right;">(रुपये लाख में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>अनुदान</th> <th>गैर-योजना</th> <th>योजना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राप्त अनुदान</td> <td>5397.00</td> <td>1009.86</td> </tr> <tr> <td>(+) प्राप्त होने योग्य</td> <td>380.67</td> <td>212.70</td> </tr> <tr> <td>(+) उपयोग में लाई गई वर्ष 2014-15 के लिए अव्ययित</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>488.89</td> </tr> <tr> <td>(-) पूंजीगत व्यय</td> <td>32.00</td> <td>156.71</td> </tr> <tr> <td>(-) राजस्व व्यय</td> <td>5745.67</td> <td>1390.30</td> </tr> <tr> <td>अव्ययित अनुदान</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>164.44</td> </tr> </tbody> </table> <p>इसे अनुसूची -13 के साथ मिलान किया गया। अनुसूची 3 (ख) उद्दिष्टित/स्थायी निधि की अनुसूची में सहायता अनुदान के अंतर्गत अव्ययित अनुदान को दिखाया गया है।</p>	अनुदान	गैर-योजना	योजना	प्राप्त अनुदान	5397.00	1009.86	(+) प्राप्त होने योग्य	380.67	212.70	(+) उपयोग में लाई गई वर्ष 2014-15 के लिए अव्ययित	-	488.89	(-) पूंजीगत व्यय	32.00	156.71	(-) राजस्व व्यय	5745.67	1390.30	अव्ययित अनुदान	-	164.44
अनुदान	गैर-योजना	योजना																				
प्राप्त अनुदान	5397.00	1009.86																				
(+) प्राप्त होने योग्य	380.67	212.70																				
(+) उपयोग में लाई गई वर्ष 2014-15 के लिए अव्ययित	-	488.89																				
(-) पूंजीगत व्यय	32.00	156.71																				
(-) राजस्व व्यय	5745.67	1390.30																				
अव्ययित अनुदान	-	164.44																				
<p>घ) प्रबंधन पत्र</p> <p>लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है।</p> <p>v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप है।</p> <p>vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्नक में उल्लिखित अन्य बातों तथा लेखों की टिप्पणियों तथा लेखाकरण नीतियों के साथ ही उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को बताया गया है जोकि साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरूप सही और शुद्ध है:</p>																						

क. जहाँ तक 31 मार्च, 2016 तक के.श्र.शि.बोर्ड के क्रियाकलापों की स्थिति का तुलनपत्र के संबंध में तथा	
ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति के लिए उस तिथि तथा आय एवं व्यय लेखा के अधिशेष के संबंध में ।	

संलग्नक

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जवाब
<p>1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता: बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में है। इसके अधीन 05 ऑंचलिक, 50 क्षेत्रीय निदेशालय कार्यरत हैं। फिर भी अधिकांश कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर में वर्ष 2005 से बरेली में वर्ष 2013 से तथा गोरखपुर में वर्ष 2006 से आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।</p>	<p>बोर्ड में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग सृजित करने के प्रस्ताव के साथ लेखा परीक्षा की टिप्पणी को मंत्रालय के ध्यान में लाया जाएगा।</p>
<p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता: बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए समरूप प्रक्रिया की अनुपस्थिति में संगठन की आकार एवं प्रकृति उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती है। वेतन निर्धारण में त्रुटियों की गई है और इस लेखा में वर्ष के दौरान रुपये 20.65 लाख की वसूली दिखाई गई है। तथापि लेन-देन को मानक अभिलेखित करने के लिए कूटबद्ध लेखा शीर्ष के साथ अलग से अनुमोदित लेखाकरण मैनुअल नहीं है।</p>	<p>यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ हो सकेगी, यदि मंत्रालय के अनुमोदन से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्थापित किया जाता है।</p>
<p>3. स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन: वर्ष 2015-16 से स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। आस्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।</p>	<p>भविष्य में अनुपालन के लिए आवश्यक सभी को नोट किया गया।</p>
<p>4. स्थिर वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन: संस्थान में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।</p>	
<p>5. सांविधिक देय भुगतान नियमित रूप से करना। बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।</p>	

प्रबंधन पत्र - (लेखाकरण अभिलेख/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आदि में नोटिस में लाई गई कमियाँ)

क्र. सं.	प्रबंधन पत्र में टिप्पणी	जवाब
1.	ग्राम विकास कार्यक्रम की अवितरित राशि के अंतर्गत रुपये 3.24 लाख की राशि को अनुसूची 7 में चालू देयताएं एवं प्रावधान के साथ समाविष्ट किया गया है जो कि बोर्ड के साथ 6 वर्षों से अधिक समय से पड़ी हुई है। के.श्र. शि.बोर्ड ने इस लम्बित राशि के लिए कारणों सहित समीक्षा नहीं कर पाया है और न ही इस राशि को वितरित/वापसी करने की कोई उपयुक्त कार्रवाई किया है।	रुपये 3.24 लाख दावा रहित राशि है और जो कि ग्राम विकास कार्यक्रम की अवितरित राशि है और जिसे विविध प्राप्तियों के रूप में व्यवहार में लाया जाएगा। अनुपालन के लिए नोट किया गया।
2.	मनरेगा के लिए प्राप्त रुपये 7.25 लाख की राशि अनुसूची-3 उद्दिष्ट निधि के अंतर्गत परिलक्षित हो रही है जिसे बोर्ड द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया था जिसे वर्ष 2012-13 से बेकार रखा गया है। बोर्ड ने इस निधि को उपयोग में लाने अथवा उसे वापस लौटाने के लिए आज की तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं किया है।	रुपये 7.25 लाख को विविध प्राप्तियों के रूप में व्यवहार में लाया जाएगा। अनुपालन के लिए नोट किया गया।
3.	सा.भ.नि. आय एवं व्यय लेखा स्रोत पर कर कटौती की राशि रुपये 17.76 लाख के व्यय को प्रदर्शित करता है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड गैर लाभोन्मुख केन्द्रीय स्वायत्त निकाय होने से आय कर से उन्मुक्त है। स्रोत पर कर कटौती पर बताया गया व्यय रुपये 17.76 लाख अधिक व्यय बताया गया है और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड चालू वर्ष के साथ-साथ इसके पिछले वर्षों के दौरान कटौती की गई कर की वापसी के लिए दावा नहीं किया है।	मामला आयकर विभाग में प्रक्रिया के अधीन है।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
योजना व्यय का विवरण
उत्तर-पूर्व क्षेत्र समाकलन केन्द्र समाकलन 2015-16 (राशि रुपये में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	गुवाहाटी	इम्फाल	तिनसुकिया	सिलीगुड़ी								कुल राशि
		1	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम	0	0	0	0								0
	1. आवश्यकता पर आधारित दो दिवसीय परिसंवाद	0	0	0	2200								2200
	2. आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम 3-5 दिवसीय	0	0	0	0								
	3. स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम	0	0	0	0								
	कार्यक्रम व्यय	1155	0	6905	3168								11228
	क्षेत्रीय निदेशक एवं शिक्षा अधिकारी को प्रोत्साहन	0	0	0	0								
	4. संगठित क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम	0	0	0	0								
	संगठित क्षेत्र के कुल कार्यक्रम	1155	0	6905	5368	0	0		0	0	0		13428
													0
II	असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम	0	0	0	0								0
	1. असंगठित क्षेत्र के लिए पांच दिवसीय शिविर	21171.5	179861	48470	142880								392382.5
	2. दुर्बल वर्ग के लिए शिविर	20510	140239	70116	23975								254840
	3. दो दिवसीय विशेष परिसंवाद	0	0	0	0								
	क) असंगठित श्रमिक	93094.5	182380	84355	12428								372257.5
	ख) महिला श्रमिक	45060.5	81399	65230	19956								211645.5
	ग) अजा/अजजा श्रमिक	165646	0	3250	0								168896
	घ) बाल श्रमिक/बाल श्रमिक के अभिभावक	33082.5	0	18350	9863								61295.5
	4. ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम	128523	409916	552140	54921								1145500
	5. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	0	0	0	0								0
	6. जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम	26012.5	145782	36900	22995								231689.5
	7. श्रम कल्याण एवं विकास	28625	123109	53700	19646								225080
	8. ग्राम विकास कार्यक्रम	0	0	0	0								0
	9. शिक्षा अधिकारी को यात्रा भत्ता	116225	221649	90088	173649								601611
	उत्तर-पूर्व विशेष	1440132	4397497	1788277	1878219								9504125
	एससीएपी	0	38030	17800	88440								144270
	टी एस पी	0	53000	56285	19451								128736
	मनरेगा कार्यक्रम व्यय	38165.5	94169	53000	19688								205022.5
	डीबीटी कमीशन	0	0	0	0								0
	असंगठित क्षेत्र के कुल कार्यक्रम	2156248	6067031	2937961	2486111	0	0		0	0	0		13647351
													0
III	प्रवर्तन एजेंसी में प्रतिस्पर्धात्मक निर्माण एवं	0	0	0	0								0
	प्रवर्तन रणनीति का विकास एवं	0	0	0	0								0
	मार्गदर्शन (असंगठित क्षेत्र)	0	0	0	0								0
		0	0	0	0								0

एससी एसपी व्यय
टी एस पी व्यय

IV	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी	0	0	0	0															0
		0	0	0	0															0
ट(क)	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालयों का सुदृढीकरण	0	0	0	0															0
	1. कम्प्यूटर शिक्षा	0	0	0	0															0
	2. राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति	12426	0	37575	26000															76001
	क) भा.श्र.शि.सं. में एचआईवी/बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा अधिकारियों पर कार्यक्रम	0	0	0	0															0
	ख) आईएसटीएम एवं अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण	0	0	0	0															0
	3. क्षेत्रीय केन्द्रों का सुदृढीकरण	5000	5000	5000	4949															19949
	4. इनफो/टेक्नालाजी का सुदृढीकरण	0	0	0	0															0
	5. प्रकाशन, सतत शिक्षा साहित्य का निर्माण	0	0	0	0															0
	6. भा.श्र.शि.सं., मुंबई का उन्नयन स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रकोष्ठ	0	0	0	0															0
	एवं भा.श्र.शि.सं., में अनुसंधान विंग की स्थापना	0	0	0	0															0
	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कुल कार्यालय का सुदृढीकरण	17426	5000	42575	30949	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95950
ट(ख)	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालयों के सुदृढीकरण के अधीन योजना अनुदान से खरीदी गई आस्तियाँ	0	0	0	0															0
	अचल आस्तियाँ	0	0	0	0															0
	1. भूमि	0	0	0	0															0
	2. वाहन	0	0	0	0															0
	3. कार्यालय उपकरण	0	0	0	0															0
	4. फर्नीचर उपकरण	0	0	0	0															0
	5. पुस्तकालय पुस्तिका	0	0	0	1305															1305
	6. दृश्य-श्रव्य उपकरण	0	0	0	0															0
	7. कम्प्यूटर	8600	0	0	0															8600
	8. भवन	0	0	0	0															0
	9. भूमि एवं भवन के लिए जमा	0	0	0	0															0
	10. अन्य जमा	0	0	0	0															0
	कुल आस्तियाँ	8600	0	0	1305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9905
	सकल योग = (I+II+III+IV+V)	2183429	6072031	2987441	2523733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13766634
	योग- योजना + गैर योजना	11474103.5	15119373	8630432	7580934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42804842.5

2183429 15119373 2913356 2415842 13493628

273006

योजना कुल व्यय

घटाए . एससी एसपी व
टी एस पी व्यय
उपू क्षेत्र अनुदान से व्यय

13493628

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
31.03.2016 को तुलन पत्र

(राशि रु. में)

समग्र / पूँजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
-			
समग्र / पूँजी निधि	1	145,894,912.05	165,704,289.55
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
उद्दिष्ट / स्थायी निधि	3, 3(क), 3(ख)& 3(ग)	240,689,671.31	252,845,507.98
प्राप्त ऋण एवं उधार	4		
अप्राप्त ऋण एवं उधार	5		
आस्थगित उधार देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	42,190,729.55	7,800,419.41
कुल		428,775,312.91	426,350,216.94
आस्तियाँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
-			
अचल आस्तियाँ	8	79,239,250.34	43,034,705.34
निवेश-उद्दिष्टित / स्थाई निधि से	9	13,705,758.00	12,182,369.00
निवेश - अन्य	10	-	-
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	335,830,304.57	371,133,142.60
विविध व्यय (बट्टे में नहीं डाली गयी अथवा समायोजित नहीं की गयी)			
कुल		428,775,312.91	426,350,216.94
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	25		

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि
विक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान / सहायिकी	13	713596977.33	576698170.65
गुल्क / अंशदान	14		
निवेशों से आय	15		
(निधि में हस्तांतरित उद्दिष्टित/स्थायी निधि से निवेश पर आय)			
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	74914.00	291660.00
अर्जित ब्याज	17	1,046,950.00	495,105.00
अन्य आय	18	3027297.50	3635635.10
समायोजित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जमा मूल्यहास	19	22418249.00	0.00
पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास		5891438.00	5562606.00
		15520674.00	-
कुल (क)		761576499.83	586683176.75
व्यय			
गैर-योजना व्यय	20	574566929.66	464179348.30
योजना व्यय	21	139030047.67	104424811.50
आई.एल.ओ. व्यय	22	-	-
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं अन्य राजस्व व्यय	23	22418249.00	
मूल्यहास (अनुसूची-8 के अनुरूप वर्ष की समाप्ति पर निवल योग)		5891438.00	4905595.00
पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास		15520674.00	
कुल (ब)		757427338.33	573509754.80
व्यय से आय अधिक होने से शेष (क-ख) विशेष आरक्षित में हस्तांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित से/को हस्तांतरण		-	-
अधिशेष/(घाटा) होने से समग्र/पूँजी निधि में रखा गया शेष		4149161.50	-48596.30
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24	-	-
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणी	25	-	-

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 1-समग्र/पूँजी निधि:	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष जोड़ें : समग्र / पूँजी निधि में अंशदान	165704289.55		153795290.55	
1. भवन				
2. मोटर एवं अन्य वाहन				
3. फर्नीचर्स	98,040.00		142,805.00	
4. कार्यालय उपकरण	155,349.00		563,274.00	
5. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स	1,105,302.00		453,557.00	
6. पुस्तकालय पुस्तकें	7,012.00		4,300.00	
7. दृश्य-श्रव्य-साधन			-	
8. पिछले वर्षों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा			5,650,658.00	
9. वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम	491,000.00			
10. भवन निर्माण के लिए जमा	18,015,119.00		10,000,000.00	
11. आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित निवल आय शेष	4,149,161.50		-	
12. पिछले वर्षों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा	3,396,746.00	193,122,019.05	-	170,609,884.55
कुल	193,122,019.05	193,122,019.05	170,609,884.55	170,609,884.55
घटाएं :				
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा समायोजित/वापसी	24,392,516.00			
2. पिछले वर्ष के लिए मूल्यहास	15,520,674.00			
3. बट्टे खाते में डाली गई आस्तियाँ				
4. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	5,891,438.00		4,905,595.00	
5. व्यय से अधिक आय				
6. पिछले वर्ष के लिए सहायता अनुदान समायोजन	0		0	
7. पिछले वर्ष के लिए राजस्व व्यय	1,422,479			
कुल	47,227,107.00	47,227,107.00	4,905,595.00	4,905,595.00
वर्ष के अन्त में शेष	145,894,912.05	145,894,912.05	165,704,289.55	165,704,289.55

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारो लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 2 – आरक्षिति एवं अधिशेष	चालू वर्ष की राशि		पिछले वर्ष की राशि	
<p>1. आरक्षिति पूँजी : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ</p> <p>2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ</p> <p>3. विशेष आरक्षिति : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ</p> <p>4. सामान्य आरक्षिति : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ</p>	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर.के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)						
अनुसूची 3 – उद्दिष्ट/स्थायी निधि	निधिवार ब्यौरा – चंदा		निधिवार ब्यौरा – स्वयंकोष निर्माण		कुल	कुल
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतर्गण	1765952.88	1684933.21	139265047.22	129995600.22	141031000.10	131680533.43
ख) निधि में जोड़ :						
i) चंदा/अनुदान/निधि			-	515000.00	0.00	515000.00
ii) ब्याज	138311.00	124374.67	9,167,424.00	9,524,423.00	9305735.00	9648797.67
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)			0			
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज	89659.00	94078.00	4637143.00	5357142.00	4726802.00	5451220.00
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएँ: पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि/टीडीएस		0.00		0.00	0.00	0.00
vi) घटाएँ : प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	94078.00	137433.00	5357142.00	6127118.00	5451220.00	6264551.00
vii) घटाएँ: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)						
कुल (क+ख)	1899844.88	1765952.88	147712472.22	139265047.22	149612317.10	141031000.10
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– स्थिर आस्तियाँ						
– अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	1899844.88	1765952.88	147712472.22	139265047.22	149612317.10	141031000.10

हस्ता/—
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/—
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/—
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/—
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर						
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची						
						(राशि रु. में)
अनुसूची 3(क)- उद्दिष्टत/स्थायी निधि	गृह निर्माण अग्रिम लेखा		अन्य - सीटीपी लेखा		कुल	कुल
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतर्शेष	12700726.38	11472487.38	48010547.00	39720666.00	60711273.38	51193153.38
ख) निधि में जोड़ :						
i) चंदा/अनुदान/निधि			7425530.00	5658400.00	7425530.00	5658400.00
ii) ब्याज	1,734,788.00	355262	4012563.75	1682219.00	5747351.75	2037481.00
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज	882,280.00	1139670	1567779.00	2798602.00	2450059.00	3938272.00
vi) प्रोद्भूत आय			1065600.00	520000.00	1065600.00	520000.00
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएं: पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि		0	1200.00	0.00	1200.00	0.00
viii) घटाएं : प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	1,139,670.00	266693	2,798,602.00	1,807,340.00	3938272.00	2074033.00
ix) घटाएं: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)			520,000.00	562,000.00	520000.00	562000.00
कुल (क+ख)	14178124.38	12700726.38	58762217.75	48010547.00	72940342.13	60711273.38
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता /व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अचल आस्तियाँ						
- अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-	0.00	-	-	0.00	0.00
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	14178124.38	12700726.38	58762217.75	48010547.00	72940342.13	60711273.38

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर						
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची						
						(राशि रु. में)
अनुसूची 3 (ख)- उद्दिष्ट/स्थायी निधि	सहायता अनुदान		मनरेगा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतर्शेष	0.00	50629495.00	725077.00	725077.00	725077.00	51354572.00
ख) निधि में जोड़ :						
i) चंदा/अनुदान/निधि	16444567.08	48521575.50			16444567.08	48521575.50
ii) ब्याज						
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज						
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएं: पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि						
vi) घटाएं : प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)						
vii) घटाएं: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)	49410789.50	49721181.00			49410789.50	49721181.00
कुल (क+ख)	16463667.08	49429889.5	725077.00	725077.00	17188744.08	50154966.5
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता / व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अचल आस्तियाँ						
- अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ख)	-	0.00	-	-	0.00	0.00
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	16463667.08	49429889.50	725077.00	725077.00	17188744.08	50154966.50

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर						
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची						
						(राशि रु. में)
अनुसूची 3 (ग)- उद्दिष्ट/स्थायी निधि	मेगा आयोजन				कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतर्शेष	948268.00	948268.00			948268.00	948268.00
ख) निधि में जोड़ :						
i) चंदा/अनुदान/निधि						
ii) ब्याज						
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज						
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएँ: पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि						
viii) घटाएँ : प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)						
ix) घटाएँ: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)						
कुल (क+ख)	948268.00	948268.00	0.00	0.00	948268.00	948268.00
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता / व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अचल आस्तियाँ						
- अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-	0.00	-	-	0.00	0.00
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	948268.00	948268.00	0.00	0.00	948268.00	948268.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 4 : प्राप्त ऋण एवं उधार				
1. केन्द्र सरकार				
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)				
3. वित्तीय संस्थान				
क) मियादी ऋण				
ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
4. बैंक				
क) मियादी ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
– प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण				
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र				
7. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 : अप्राप्त ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान 4. बैंक : क) मियादी ऋण ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) 5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण 6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र 7. मियादी जमा 8. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय		

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 : आस्थगित उधार देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) पूँजीगत उपकरण एवं अन्य आस्तियों की मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	शून्य
ख) अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय		

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 : चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क. नई पेंशन योजना खाते में नई पेंशन योजना राशि अंतरणीय	0.00		0.00	
ख. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम परिव्यय देयताएं	298829.00		298829.00	
ग. अवितरित राशि	3862783.14		1952407.00	
घ. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं वसूली/ वसूल की गई राशि	0.00		0.00	
ङ. अन्य जमा	0.00		0.00	
च. विविध ऋणदाता (उपदान/सेवानिवृत्ति लाभ)	38016742.00		5217746.00	
छ. एम.ए.सी.पी. संवितरण करने हेतु प्रावधान	0.00		0.00	
ज. बोर्ड द्वारा गृह निर्माण अग्रिम में अंतरित गृ.नि.अ. वसूली	12375.41		331437.41	
झ. स्वयं कोष निर्माण	0.00		0.00	
		42190729.55		7800419.41
कुल (क)	42190729.55	42190729.55	7800419.41	7800419.41
ख) प्रावधान				
1. कराधान हेतु				
2. उपदान				
3. अधिवर्षिता / पेंशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. संचित छुट्टी भुगतान				
5. व्यापार प्राधिकरण / दावे - मैचिंग अनुदान				
कुल (क+ख)	42190729.55	42190729.55	7800419.41	7800419.41

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर										
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची										
अनुसूची 8: अचल आस्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	आरम्भ में लागत/मूल्यांक	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष में लागत/मूल्यांकन	प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष तक कुल	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
क. अचल आस्तियाँ:										
1. भूमि	4,229,520.00	-	-	4,229,520.00	-			-	4,229,520.00	4,229,520.00
2. भवन 10%	23,462,446.57	46,067.00	-	23,508,513.57	2,346,245.00	4,607.00		2,350,852.00	21,157,661.57	23,462,446.57
दिल्ली भवन 10%	-	38,104,734.00	-	38,104,734.00		-		-	38,104,734.00	
3. मोटर एवं अन्य वाहन 15%	967,519.96	-	-	967,519.96	145,128.00	-		145,128.00	822,391.96	967,519.96
4. फर्नीचर्स 10%	7,301,329.58	98,040.00	-	7,399,369.58	730,133.00	9,804.00		739,937.00	6,659,432.58	7,301,329.58
5. कार्यालय उपकरण 15%	6,994,362.50	155,349.00		7,149,711.50	1,049,154.00	23,302.00		1,072,456.00	6,077,255.50	6,994,362.50
6. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स 60%	307,445.40	1,105,302.00		1,412,747.40	184,467.00	663,181.00		847,648.00	565,099.40	307,445.40
7. पुस्तकालय पुस्तकें 60%	841,056.50	7,012.00		848,068.50	504,634.00	4,207.00		508,841.00	339,227.50	841,056.50
8. दृश्य-श्रव्य-साधन 15%	1,510,503.83	-		1,510,503.83	226,576.00	-		226,576.00	1,283,927.83	1,510,503.83
योग : चालू वर्ष	45,614,184.34	39,516,504.00	-	85,130,688.34	5,186,337.00	705,101.00	-	5,891,438.00	79,239,250.34	45,614,184.34
पिछले वर्ष										
प्रगति में कार्य पूंजी	24,226,425.00							-	-	24,226,425.00
कुल	69,840,609.34							5,891,438.00	79,239,250.34	69,840,609.34

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 : उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र	शून्य	शून्य
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें): पब्लिक सेक्टर बंधपत्र / राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निवेश:		
1) स्व.को.नि.	3716888.00	3298658.00
2) सीटीपी लेखा	6433118.00	5695113.00
3) गृह निर्माण अग्रिम खाता	3555752.00	3188598.00
कुल	13705758.00	12182369.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 10: निवेश : अन्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ 3. शेयर 4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र 5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम 6. अन्य (उल्लेख करें) पब्लिक सेक्टर बंधपत्र / राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निवेश :	शून्य	शून्य
कुल	0.00	0.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क) 1. वस्तु सूची : क. भण्डार एवं अतिरिक्त ख. अबद्ध उपकरण स. व्यापार में माल – तैयार माल – कार्य प्रगति – कच्चा माल				
2. विविध ऋणी : क. छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण ख. अन्य				
3. हाथ रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	146972.84	146972.84	152668.05	152668.05
4. बैंक में शेष : क. अनुसूचित बैंकों में : – चालू खाता पर – जमा खाता पर (अतिरिक्त धन सहित) – बचत खाता पर ख. गैर-अनुसूचित बैंकों में : – चालू खाता पर – जमा खाता पर – बचत खाता पर	25988015.11 177392937.00 717746.72	204098698.83	79329511.09 153983791.00 2996367.97	236309670.06
5. पारगमन में प्रेषित धन				
6. अं.श्र.सं. से देय राशि	1088410.50	1088410.50	1055420.00	1055420.00
7. बोर्ड के विशेष कार्यक्रम से देय राशि	-	-	-	-
कुल (क)	205334082.17	205334082.17	237517758.11	237517758.11

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोडे)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बा., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2016 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ख. 1. ऋण क. कर्मचारी (1) वाहन एवं गृह निर्माण अग्रिम ख. गतिविधियों / उद्देश्यों में समाहित अन्य समरूप अस्तित्व स. अन्य (उल्लेख करें) 2. नकद एवं माल के रूप में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि क. पूँजीगत लेखा पर ख. पूर्व भुगतान स. अन्य	98911.48	98911.48	470102.48	470102.48
3. प्रोद्भूत आय : क. उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर ख. निवेशों पर – अन्य (गु.नि.अ.) ग. ऋण एवं अग्रिम पर घ. अन्य (प्रबंधनों से स्व.को.नि./सीटीपी लेखा) (अप्राप्य देय आय रु.सहित)	23963135.00	23984385.00	84617219.00	84638469.00
4. प्राप्त होने वाले दावे क) सामान्य भविष्य निधि ख) नई पेंशन योजना ग) अनुदान, स्व.को.नि., गु.नि. एवं सी.टी.पी. खाता ड) मंत्रालय से प्राप्त मैचिंग अनुदान	7176861.00	7176861.00	9389492.00	9389492.00
	1065600.00	8242461.00	520000.00	9909492.00
कुल (ख)	130496222.40	130496222.40	133615384.49	133615384.49
कुल (क+ख)	335830304.57	335830304.57	371133142.60	371133142.60

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री	-	-
	शून्य	शून्य
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) अभिकरण आदृत एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवा (उपस्कर / सम्पत्ति)	-	-
ङ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
विज्ञापन प्राप्ति		
कुल	शून्य	शून्य

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-16 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 – अनुदान/ सहायिकी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
क) योजना	100986790.00	166182240.00
ख) गैर – योजना	539700000.00	460300000.00
	-	-
2. ओ.एन.जी.सी. से	1000000.00	
	-	-
	641686790.00	626482240.00
जोड़ें : 1) पिछले वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान	48,889,214.50	
2) चालू वर्ष के लिए अंतशेष		-
3) मार्च-वेतन के लिए प्रावधान		
4) (i) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता योजना अनुदान	21269710.25	
(ii) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता गैर-योजना अनुदान	38,067,651.66	
5) व्यय भुगतान हेतु उपयोग की गई विविध प्राप्तियाँ		
घटाएं : 1) अगले वर्ष हेतु चालू शेष		
2) चालू वर्ष हेतु अव्ययित शेष	16444567.08	48521575.50
3) पूँजी व्यय	19871822.00	16814594.00
कुल	713596977.33	561146070.50

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेक)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष क लिये आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. परिसंवाद / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : प्रत्येक मद हेतु लेखा नीतियाँ प्रकट की जानी है		

हस्ता/-
 (आर. वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (एस. के. बेहरा)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (आर. के. रामटेक)
 वित्तिय सलाहकार
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (जे. पी. फोगाट)
 प्रभारी निदेशक
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में.)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	उद्दिष्टित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(निधि हेतु अंतरित उद्दिष्टित / स्थायी निधि से निवेश पर आय)				
1. ब्याज क. सरकारी प्रतिभूतियों पर ख. अन्य बंधपत्रों/ ऋण पत्रों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. लाभांश क. शेयरों पर ख. म्यूच्युअल फण्ड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उद्दिष्टित/स्थायी निधि में अंतरित				

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) प्रकाशनों से आय	74914.00	146722.00
2) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	74914.00	146722.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आवधिक जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों से ख) अन-अनुसूचित बैंकों से ग) संस्थानों से घ) अन्य 2. बचत खाते पर : क) अनुसूचित बैंकों से ख) अन-अनुसूचित बैंकों से ग) डाक कार्यालय बचत खाता घ) अन्य 3. ऋण पर : क) कर्मचारी/कर्मचारी वर्ग ख) अन्य 4. कर्जदारों तथा अन्य स्वीकार्य पर ब्याज	1046950.00	302674.00
कुल	1,046,950.00	302,674.00
टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती को सूचित किया जाए।		

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) आस्तियों की बिक्री / विक्रय पर लाभ : क) अनुदानों से अर्जित अथवा निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध प्राप्तियाँ	3,027,297.50	6,960,097.00
4) पिछले वर्षों की विविध आय से व्यय की गई राशि	-	-
- घटाएँ:		
वर्ष के दौरान प्रयोग में लाई गई राशि	-	-
कुल	3,027,297.50	6,960,097.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (ह्रास) तथा प्रगति में कार्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	रु.	रु.
क) अंतिम स्टॉक – तैयार माल – प्रगति में कार्य लो.नि.वि. जमा समायोजित/ धन वापसी	22,418,249.00	-
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉक – तैयार माल – प्रगति में कार्य		
निवल वृद्धि / (ह्रास) (क - ख)	22418249.00	-

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 - गैर - योजना व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन		
1. अध्यक्ष को मानदेय	180,000.00	180,000.00
2. मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय	337,049,019.50	306,079,428.00
परिक्रमी निधि		
स्वदेशी यात्रा व्यय	6,901,471.00	4,294,318.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	33,280,482.16	31,050,532.30
योजना व्यय:		
1. राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण - I)	1,585,416.00	1,199,051.00
2. क्षेत्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण - II)	23,373.00	86,647.00
3. इकाई स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण- III)	24,883.00	9,447.00
4. श्रम संघों को सहायता अनुदान	571,120.00	64,440.00
जमा सम्बद्ध बीमा	30,000.00	-
स्थिर आस्तियाँ		
1. कार्यालय उपकरण	47,180.00	
2. फर्नीचर	1,013.00	
3. प्रगति में कार्य/के.लो.नि.वि. हेतु जमा	2,661,529.00	3,578,741.00
4. पुस्तकालय पुस्तकें		
5. दृश्य-श्रव्य उपकरण		
6. संगणक		
अग्रिम - साईकल/पंखा/कम्प्यूटर	491,000.00	-
अंशदायी भविष्यनिधि में बोर्ड का अंशदान		
टायर-1 में बोर्ड का अंशदान (नई पेंशन योजना)	3,211,780.00	2,712,023.00
अन्यत्र सेवा एवं छुट्टी का वेतन अंशदान	391,043.00	410,857.00
सेवानिवृत्ति लाभ		
1. उपदान	13,420,848.00	5,000,106.00
2. पेंशन का परिवर्तित मूल्य	5,839,894.00	3,614,460.00
3. पेंशन	130,000,000.00	104,523,985.00
4. अवकाश भुनाना	5,774,648.00	4,913,759.00
	541,484,699.66	467,717,794.30
घटाएं : स्थिर आस्तियाँ एवं अग्रिम	3,200,722.00	3,578,741.00
कुल	538,283,977.66	464,139,053.30
जोड़े : बकाया व्यय	36,282,952.00	40,295.00
कुल योग	574,566,929.66	464,179,348.30

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 - योजना व्यय	चालू वर्ष राशि	पिछला वर्ष राशि
अ) कार्यालय व्यय :		
1. संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम :		
1. आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	15,817.00	23,355.00
2. आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिवसीय)	6,541.00	18,272.00
3. श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम		
4. स्वयं कोष निर्माण	1,138,580.00	571,633.00
5. संगठित क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम	141,265.00	232,491.00
6. राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम (उ.पू.)		
2. असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम		
1. असंगठित क्षेत्र हेतु 5 दिवसीय शिविर	6,606,996.89	4,680,218.50
2. दुर्बल वर्ग के श्रमिकों हेतु शिविर	7,421,257.12	5,154,354.50
3. विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)		
क) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	15,185,078.24	6,618,390.00
ख) महिला श्रमिक	8,099,666.97	4,037,131.00
ग) अनु.जा./अनु.जनजाति श्रमिक	9,920,665.20	6,125,836.00
घ) बाल श्रमिक/बाल श्रमिक के अभिभावक	3,684,657.99	1,786,331.50
ङ) ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम	28,836,061.65	20,747,618.00
च) असंगठित क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम	3,913,748.04	2,547,446.00
छ) श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम	6,595,418.24	3,296,041.50
ज) अनु.जा. उप योजना कार्यक्रम पर व्यय	20,780,003.21	19,332,639.00
झ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिये विशेष कार्यक्रम	9,717,659.00	7,888,966.00
ञ) अनु.ज.जा. उप योजना कार्यक्रम पर व्यय	8,555,687.21	7,851,709.50
ट) डी.बी.टी. कमीशन	274,306.58	
3. प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कार्यक्रम	323,835.00	57,035.00
4. मनरेगा कार्यक्रम	5,280,697.33	9,679,909.00
5. क) के.श्र.शि.बो. के कार्यालयों का सुदृढीकरण		
अ. स्थापना दिवस व्यय		
ब. राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति		
स. क्षेत्रीय निदेशालयों का सुदृढीकरण	2,518,546.00	3,744,551.00
द. सूचना/प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	13,560.00	30,884.00
इ. प्रकाशन, सतत् शिक्षा साहित्य का निर्माण		
5. ख) के.श्र.शि.बो. के कार्यालयों का सुदृढीकरण के अंतर्गत स्थिर आस्तियों एवं प्रगति में कार्य पूँजी	15,671,100.00	13,235,853.00
	154,685,330.67	117,637,309.50
घटाएं : स्थिर आस्तियाँ		
क. कार्यालय उपकरण	108,169.00	563,274.00
ख. फर्नीचर	97,027.00	142,805.00
ग. पुस्तकालय की पुस्तकें	7,012.00	4,300.00
घ. दृश्य-श्रव्य साधन		
ङ. संगणक	105,302.00	453,557.00
च. भवन		
छ. भूमि और भवन/डब्ल्यू.आई.पी. के लिए जमा	15,353,590.00	12,071,917.00
ज. मोटर वाहन		
कुल	139,014,230.67	104,401,456.50
जोड़ें : बकाया व्यय	-	-
कुल योग	139,014,230.67	104,401,456.50

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रम व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) व्यय	-	-
ख) अव्ययित राशि से व्यय	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी : इंदराजों के नाम, उनकी गतिविधियों सहित अनुदान/ सहायिकी राशि प्रकट करें।		

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – के.लो.नि.वि. रखरखाव व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एवं मुख्यालय भवन के रखरखाव के लिए किया गया व्यय	22,418,249.00	-
कुल	22,418,249.00	-

हस्ता/-
 (आर. वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (एस. के. बेहरा)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (आर. के. रामटेके)
 वित्तीय सलाहकार
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (जे. पी. फोगाट)
 प्रभारी निदेशक
 के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 समागम लेखाकरण

पारम्परिक समागम लागत, यदि निश्चित नहीं हो तो, तथा लेख की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

2 स्थिर आस्तियाँ

स्थिर आस्तियों का अर्जन मूल्य बताया गया है जिसमें अर्जन से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा आनुषंगिक व प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है।

3 मूल्यहास

आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार सरल प्रणाली में मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

4 निवेश

पारम्परिक लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया गया है।

5 अनुदान

सरकारी अनुदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखा मानक 12 का प्रयोग किया गया।

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
2015-2016 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 आकस्मिक देयताएं – शून्य

2 चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधक के मतानुसार चालू आस्तियाँ, ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य तभी है जब सामान्य व्यवसाय में उनकी वसूली अथवा कम से

कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल योग राशि समान हो।

3 कराधन

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय नहीं होने की दृष्टि से आयकर के प्रावधान को विचारार्थ नहीं लिया गया है।

4 जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों को पुनः समूहित/क्रमबद्ध किया गया है।

5 दिनांक 31.03.2016 तथा उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अनुसार बनी तुलनपत्र के साथ संबंधित

1-25 अनुसूचियों को संलग्न किया गया है।

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर					
31.3.2016 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान					
(रु. में)					
प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I. रोकड़ जमा			I. व्यय		
क) हाथ रोकड़	152,668.05	170,421.30	क) गैर-योजना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	538,283,977.66	464,139,053.30
ख) बैंक शेष			ख) योजना व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)	139,030,047.67	104,424,811.50
1. चालू खाते में	79,329,511.09	101,545,613.64	स) अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन व्यय (एच.आई.बी. परियोजना)		
2. जमा खाते में	2,996,367.97	183,839,613.33	च) यू.बी.आई. - मनरेगा कार्यक्रम		
3. बचत खाते में	166,166,160.00	2,292,259.97	ड.) विविध लेनदारों को प्रदत्त (सेवानिवृत्त लाभ एवं सीपीसी बकाया)		
4. पारगमन राशि	1,055,420.00	910,343.00	च) विविध लेनदार को प्रदत्त		-
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिये भुगतान की गई राशि		
क) भारत सरकार से	640,686,790.00	626,482,240.00	(प्रत्येक परियोजना की राशि पूरे विवरण सहित साथ ही परियोजना एवं निधि के नाम का उल्लेख करें)		-
ख) राज्य सरकार से					-
स) अन्य स्रोतों से (विवरण) जैसे ओ.एन.जी.सी.	1,000,000.00	-	III. निवेश एवं जमा		
			क) उद्दिष्ट/ स्थायी निधि से		-
			ख) स्वयं निधि से (निवेश अन्य)		-
III. से निवेशों पर आय			IV. स्थिर आस्तियाँ एवं पूँजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क) उद्दिष्ट/ स्थायी निधि	15,053,086.75	11,686,278.67	क) स्थिर आस्तियों की खरीद : (1) गैर- योजना	48,193.00	
ख) स्वयं निधि (अन्य निवेश)			(2) योजना	317,510.00	1,163,936.00
			(3) ओ.एन.जी.सी. से अव्ययित	1,000,000.00	
			ख) पूँजी कार्य प्रगति पर व्यय : (1) गैर- योजना	2,661,529.00	3,578,741.00
			(2) योजना	15,353,590.00	12,071,917.00
IV. प्राप्त ब्याज			V. अधिशेष धन / ऋणों की वापसी		
क) बैंक जमा पर			क) भारत सरकार को / अव्ययित वापसी	521,575.00	49,721,181.00
ख) ऋण, अग्रिम इ.			ख) राज्य सरकार को		
V. अन्य आय (व्योरा दे)			VI. वित्त प्रभार (व्याज)		
स्वयंकोष निर्माण (एस.जी.एफ.)			VII. अन्य भुगतान (व्योरा दे)		
चन्द्रा			क) सामान्य भविष्य निधि में जमा की गई साम.नि. वसूलियाँ	48,000,000.00	57,500,000.00
सीटीपी लेखा	7,425,530.00	5,658,400.00	ख) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम जमा भुगतान	50,368,406.00	30,441,295.00
सीपीडब्ल्यू.डी./ आईटीआई लि., द्वारा वापसी	3,102,211.50	3,818,770.00	ग) गृह निर्माण अग्रिम सवितरित		
विविध प्राप्ति			घ) जमा वेतन (गृ.नि.अ.खाता)		
VI. गृहीत राशि			ड) बोर्ड द्वारा गृ.नि.अ. निधि में जमा की गई गृ.नि.अ. वसूलियाँ	446,345.00	431,870.00
VII. अन्य कोई प्राप्ति (व्योरा दे)			च) अर्धेय भुगतान वितरित	3,334,641.00	165,431.00
1. वेतन कटौतियाँ	1,139,163.00	1,365,450.00	छ) विविध लेनदारों को प्रदत्त	3,483,956.00	13,008,112.00
2. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं अग्रिम वसूली	46,846,345.00	46,411,580.00	ज) सी.टी.पी. खाते में जमा वेतन		
3. सवितरण के लिये प्राप्त राशि	56,295,340.00	79,901,438.00	झ) सवितरण के लिये प्राप्त राशि प्रदत्त	55,685,856.00	79,275,259.00
4. केन्द्रों द्वारा जमा की गई सामान्य भविष्य निधि राशि	50,368,406.00	30,441,295.00	ञ) सवितरित वाहन/संगणक अग्रिम	491,000.00	
5. प्राप्त अर्धेय भुगतान	5,245,017.14	1,651,952.00	ट) स्व.को.नि. खाते में जमा वेतन		39,974,464.00
6. अनुदान खाता में बैंक द्वारा जमा ब्याज	1,046,950.00	302,674.00	ड) नई पेंशन योजना के अंतर्गत टियर - 1 वसूलियाँ		2,712,023.00
7. सवितरण के लिए प्राप्त राशि (गृ. नि. अ. लेखा)			ड) एस.बी.आई. गृ.नि.अ. खाते से टी.डी.एस. कटौती		
8. गृह निर्माण अग्रिम कोष खाता			ड) एस.बी.आई. दान खाते से टी.डी.एस. कटौती		
क) गृह निर्माण अग्रिम खाते में जमा गृह निर्माण अग्रिम वसूलियाँ	175,297.00	108,263.00	ग) एस.बी.आई. स्व.को.नि. खाते से टी.डी.एस. कटौती		
ख) गृह निर्माण अग्रिम परिक्रमी कोष			ग) एस.बी.आई. सी.टी.पी. खाते से टी.डी.एस. कटौती		
ग) कर्जदार/ बैंक से प्राप्त ब्याज			घ) शुल्क वापसी संबंधी सी.टी.पी. - डी.डी.		
9. केन्द्र द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की प्राप्ति/जमा			8. अंत शेष		
10. अंशदायी भविष्य निधि हेतु वसूल की गई राशि (नई पेंशन योजना)	3,193,983.00	2,746,009.00	क) हाथ रोकड़	146,972.84	152,668.05
11. सवितरण के लिए प्राप्त राशि (सा.म.नि. लेखा)		3,423,443.00	ख) बैंक शेष		
12. सवितरण के लिए प्राप्त राशि (यू.बी.आई.)			i) चालू खाते में (अनुदान)	25,988,015.11	79,329,511.09
13. सामान्य भविष्य निधि वेतन वसूली			ii) बचत खाते में	717,746.72	2,996,367.97
14. सवितरण के लिए प्राप्त राशि (स्व. को. नि. लेखा)		5,552,177.00	ग) जमा खाता	191,098,695.00	166,166,160.00
			घ) पारगमन राशि	1,088,410.50	1,055,420.00
	1,081,278,246.50	1,108,308,220.91	कुल :	1,078,066,466.50	1,108,308,220.91

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2015-2016 के लिए सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ			भुगतान		
राशि 2014-2015	विवरण	राशि 2015-2016	राशि 2015-2016	विवरण	राशि 2015-2016
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
	अथ शेष		70.00	बैंक कमीशन	114.00
7899793.02	बचत खाता	6407852.02	1402985.00	चन्दा खाते में	0.00
209470719.67	जमा खाता	246269436.00		अंतरित राशि	-
			1273209.00	टी.डी.एस. कटौती	1776487.00
18596024.33	प्राप्त ब्याज	22585266.00		बोर्ड के खाते में अंतरित राशि	
54076557.00	प्राप्त अभिदान	48000000.00	34689542.00	प्रत्याहरण	56987302.00
				अंत शेष	
	के.श्र.शि.बो. के खाता में अनुदान	-	6407852.02	बचत खाता	831161.02
		81340.00	246269436.00	जमा खाता	263748830.00
290043094.02	कुल	323343894.02	290043094.02	कुल	323343894.02

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
सामान्य भविष्य निधि आय व्यय विवरण लेखा
वर्ष 2015-2016

व्यय			आय		
राशि 2014-2015	विवरण	राशि 2015-2016	राशि 2014-2015	विवरण	राशि 2015-2016
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
19085672.00	प्रदत्त ब्याज	21149515.00	18596024.33	प्राप्त ब्याज	22585266.00
1273209.00	टी.डी.एस. कटौती	1776487.00			
70.00	बैंक कमीशन	114.00	8505775.92	जोड़ें: प्रोदभूत ब्याज घटाएँ: प्रोदभूत ब्याज (पिछले वर्षों में)	6824323.00
	व्यय से अधिक आय		8205822.00		8505775.92
			1462972.75	आय से अधिक व्यय	2022302.92
20358951.00	कुल	22926116.00	20358951.00	कुल	22926116.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर							
सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र							
वर्ष 2015-2016							
देयताएँ				आस्तियाँ			
राशि	विवरण	राशि	राशि	राशि	विवरण	राशि	राशि
2014-2015		2015-2016	2015-2016	2014-2015		2015-2016	2015-2016
1	2	3	4	5	6	7	8
रु.		रु.		रु.		रु.	रु.
				6407852.02	बैंक शेष		831161.02
10125005.68	पिछले वर्ष तक व्यय से अधिक आय	8662032.93		246269436.00	अनुलग्नक 4 के अनुसार निवेश		263748830.00
	जोड़ें : वर्ष के दौरान घटाएँ : वर्तमान वर्ष हेतु		6639730.01				
1462972.75	घटाएँ : पिछले वर्ष हेतु	2022302.93					
8662032.93							
212402195.00	सा.भ.नि. अभिदान निधि	243209905.00					
46411580.00	जोड़ें : पिछले वर्षों हेतु बोर्ड से प्राप्त होने वाला अंशदान	46846345.00		8505775.92	प्रोद्भूत व्याज		6824323.00
34689542.00	घटाएँ : प्रत्याहरण	56987302.00					
19085672.00	जोड़ें : प्रदत्त ब्याज	21149515.00			बोर्ड के सा.भ.नि. खाते में जमा		
	जोड़ें : अंशदायी भविष्य निधि से	3166581.00	257385044.00				
243209905.00							
1402985.00	बोर्ड खाते में अवितरित भुगतान				प्राप्त होने वाली राशि		
1402985.00	घटाएँ : अनवितरित				जोड़ें वर्ष के दौरान		
0.00					घटाएँ : प्राप्त		
0.51	स्वयं कोष निर्माण में अंतरणीय		0.51				
		6144544.50					
7664977.00	बोर्ड के खाते में अंतरणीय	1234995.00					
1520432.50	घटाएँ : अंतरणीय अभिदान		7379539.5				
6144544.50							
3126286.00	अंशदायी भविष्य निधि में बोर्ड का अंशदान						
40295.00	जोड़ें : बोर्ड से प्राप्त होनेवाली राशि						
3166581.00							
261183063.94	कुल		271404314.02	261183063.94	कुल		271404314.02

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
जमा और बचत खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	ब्यौरा	31.3.2016 को	31.3.2016 को	31.3.2015 को	31.3.2015 को
		बचत खाता	जमा खाता	बचत खाता	जमा खाता
1	चन्दा	1467.88	1808718.00	1410.88	1670464.00
2	गृ.नि.अ. निधि	60526.38	15952972.00	1185387.38	12918026.00
3	स्वयंकोष निर्माण	273980.71	117659005.00	178562.71	108586999.00
4	सीटीपी लेखा	381771.75	55678000.00	1631007.00	42990671.00
	कुल	717746.72	191098695.00	2996367.97	166166160.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2016 को जमा गृह निर्माण अग्रिम विवरण

(राशि रु. में)

क्रं. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	गृ.नि.अ.	भारतीय स्टेट बैंक	31684092595	555 दिन	7.50%	3555752.00	14.10.2015	21.4.2017	112399.00
2	गृ.नि.अ.	भारतीय स्टेट बैंक	3549001170	01 वर्ष	7.25%	1850000.00	6.1.2016	6.1.2017	28520.00
3	गृ.नि.अ.	भारतीय स्टेट बैंक	संयुक्त प्रमाणपत्र	01 वर्ष	8.25%	10547220.00	30.4.2015	30.4.2016	741361.00
			कुल योग			15952972.00			882280.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तीय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2016 को जमा चन्दा का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक	30155784880	01 वर्ष	9.00%	124618.00	7.4.2015	8.4.2016	9674.00
2	अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक	35116632985	01 वर्ष	7.75%	1684100.00	31.7.2015	31.7.2016	79985.00
			कुल योग			1808718.00			89659.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर									
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2016 को जमा स्वयंकोष निर्माण विवरण									
									(राशि रु. में)
क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197502835	1 वर्ष	7.75%	9900000.00	13.08.2015	13.08.2016	444279.00
2	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197499956	1 वर्ष	7.75%	9900000.00	13.08.2015	13.08.2016	444279.00
3	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197501693	1 वर्ष	7.75%	9900000.00	13.08.2015	13.08.2016	444279.00
4	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197503849	1 वर्ष	7.75%	9900000.00	13.08.2015	13.08.2016	444279.00
5	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34053240121	1 वर्ष	7.75%	3487140.00	13.08.2015	13.08.2016	156491.00
6	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	33207734557	1 वर्ष	7.75%	1640402.00	13.08.2015	13.08.2016	73615.00
7	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197907570	1 वर्ष	7.5%	828210.00	1.9.2015	1.9.2016	33102.00
8	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197905062	1 वर्ष	7.5%	828210.00	1.9.2015	1.9.2016	33102.00
9	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197905890	1 वर्ष	7.5%	828210.00	1.9.2015	1.9.2016	33102.00
10	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197903961	1 वर्ष	7.5%	828210.00	1.9.2015	1.9.2016	33102.00
11	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	31669981389	555 दिन	7.75%	3716888.00	4.10.2015	11.4.2017	143005.00
12	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34434706816	1 वर्ष	7.25%	3581009.00	15.11.2015	15.11.2016	88812.00
13	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	33498509345	1 वर्ष	7.25%	7860093.00	15.11.2015	15.11.2016	194939.00
14	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35410594066	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	14.12.2015	14.12.2016	97809.00
15	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35410594282	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	14.12.2015	14.12.2016	95853.00
16	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35408087094	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	14.12.2015	14.12.2016	97809.00
17	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35408096756	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	14.12.2015	14.12.2016	95853.00
18	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	32084678287	1 वर्ष	7.25%	6771963.00	14.12.2015	14.12.2016	132472.00
19	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34740902209	1 वर्ष	7.25%	5990385.00	26.2.2016	26.2.2017	38001.00
20	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35412957940	1 वर्ष	7.25%	257944.00	15.12.2015	15.12.2016	4999.00
21	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35412956924	1 वर्ष	7.25%	257944.00	15.12.2015	15.12.2016	4999.00
22	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	संयुक्त प्रमाणपत्र	1 वर्ष	8.25%	21382397.00	30.4.2015	30.4.2016	1502962.00
			कुल			117659005.00			4637143.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोडे)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2016 को सामान्य भविष्य निधि निवेश का विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	विवरण	निवेशित राशि
1	2	3
1	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा	39349925.00
2	राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा	224398905.00
	कुल	263748830.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. क. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2016 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	खाता संख्या	निवेशित राशि
1	2	3	4
1	विशेष जमा	एस.डी.एस. - 6	39349925.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर									
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2016 को सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्यौरा									
क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोदभूत ब्याज (राशि रु. में)
1	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	33814422345	1 वर्ष	8.25%	6500973.00	2.5.2015	2.5.2016	453645.00
2	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35032720579	1 वर्ष	8.00%	5500000.00	27.6.2015	27.6.2016	308689.00
3	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35032718628	1 वर्ष	8.00%	5500000.00	27.6.2015	27.6.2016	308689.00
4	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	33942804892	1 वर्ष	8.00%	1838243.00	5.7.2015	5.7.2016	99750.00
5	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35116632985	1 वर्ष	7.75%	8215900.00	31.7.2015	31.7.2016	390205.00
6	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32456988924	1 वर्ष	7.75%	8881114.00	31.7.2015	31.7.2016	421799.00
7	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32456989767	1 वर्ष	7.75%	8881114.00	31.7.2015	31.7.2016	421799.00
8	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32456975368	1 वर्ष	7.75%	2738741.00	31.7.2015	31.7.2016	130073.00
9	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35121878365	1 वर्ष	7.75%	122974.00	1.8.2015	1.8.2016	647.00
10	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34174367627	1 वर्ष	7.50%	7801297.00	9.9.2015	9.9.2016	299919.00
11	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34303159385	1 वर्ष	7.25%	4324315.00	13.10.2015	13.10.2016	132888.00
12	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34303154343	1 वर्ष	7.25%	4324315.00	13.10.2015	13.10.2016	132888.00
13	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	31693038150	555	7.50%	6780524.00	20.10.2015	27.4.2017	206649.00
14	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	479003030092410	1 वर्ष	7.75%	6452291.00	19.10.2015	19.10.2016	226413.00
15	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	479003030092409	1 वर्ष	7.75%	6452290.00	19.10.2015	19.10.2016	226413.00
16	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	4790030088198	1 वर्ष	7.75%	6680422.00	19.10.2015	19.10.2016	555624.00
17	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34406052593	1 वर्ष	7.25%	4519984.00	11.11.2015	11.11.2016	36271.00
18	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34406016269	1 वर्ष	7.25%	5405645.00	11.11.2015	11.11.2016	43378.00
19	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34406050164	1 वर्ष	7.25%	5405645.00	11.11.2015	11.11.2016	43378.00
20	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34405992163	1 वर्ष	7.25%	5405645.00	11.11.2015	11.11.2016	43378.00
21	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35399979647	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	9.12.2015	9.12.2016	102322.00
22	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35399981001	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	9.12.2015	9.12.2016	100276.00
23	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412932696	1 वर्ष	7.25%	779989.00	10.12.2015	10.12.2016	15821.00
24	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35401177532	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	13.12.2015	13.12.2016	98711.00
25	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35401177893	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	13.12.2015	13.12.2016	96738.00
26	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412933316	1 वर्ष	7.25%	780054.00	14.12.2015	14.12.2016	15259.00
27	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34506666485	1 वर्ष	7.25%	2671509.00	14.12.2015	14.12.2016	52260.00
28	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35405683964	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	14.12.2015	14.12.2016	97809.00
29	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35405684991	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	14.12.2015	14.12.2016	95853.00
30	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412934229	1 वर्ष	7.25%	780071.00	15.12.2015	15.12.2016	15119.00
31	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32718970943	1 वर्ष	7.25%	9454812.00	19.12.2015	19.12.2016	176419.00
32	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32718971801	1 वर्ष	7.25%	9454812.00	19.12.2015	19.12.2016	176419.00
33	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32718970013	1 वर्ष	7.25%	6303208.00	19.12.2015	19.12.2016	117613.00
34	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35439359734	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	28.12.2015	28.12.2016	85173.00
35	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35439360422	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	28.12.2015	28.12.2016	83469.00
36	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442537566	1 वर्ष	7.25%	780327.00	29.12.2015	29.12.2016	13151.00
37	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35431254117	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	28.12.2015	28.12.2016	85173.00
38	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35431255031	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	28.12.2015	28.12.2016	83469.00
39	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442539290	1 वर्ष	7.25%	780327.00	29.12.2015	29.12.2016	13151.00
40	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35426667915	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	28.12.2015	28.12.2016	85173.00
41	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35426668635	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	28.12.2015	28.12.2016	83469.00
42	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442538854	1 वर्ष	7.25%	780327.00	29.12.2015	29.12.2016	13151.00
43	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35424672983	1 वर्ष	7.25%	5000000.00	28.12.2015	28.12.2016	85173.00
44	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35424673908	1 वर्ष	7.25%	4900000.00	28.12.2015	28.12.2016	83469.00
45	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442538297	1 वर्ष	7.25%	193266.00	29.12.2015	29.12.2016	3257.00
46	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34552534703	1 वर्ष	7.25%	2051955.00	28.12.2015	28.12.2016	34954.00
47	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34740891739	1 वर्ष	7.25%	2697249.00	26.2.2016	26.2.2017	17110.00
48	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	संयुक्त प्रमाणपत्र	1 वर्ष	8.25%	5859567.00	30.4.2015	30.4.2016	411867.00
कुल योग						224398905.00			6824323.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर									
दिनांक 31/03/2016 को राष्ट्रीकृत बैंक सहित सी.टी.पी. लेखा जमा का विवरण									
									(राशि रु. में)
क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	33049854690	1 वर्ष	8.00%	6444175.00	10.6.2015	10.6.2016	53906.00
2	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35116635806	1 वर्ष	7.75%	9900000.00	24.7.2015	24.7.2016	482653.00
3	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	33989292878	1 वर्ष	7.75%	3250092.00	24.7.2015	24.7.2016	26852.00
4	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	33989290676	1 वर्ष	7.75%	559412.00	24.7.2015	24.7.2016	4623.00
5	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35115108213	1 वर्ष	7.75%	3000000.00	31.7.2015	31.7.2016	15832.00
6	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35121870739	1 वर्ष	7.75%	825309.00	1.8.2015	1.8.2016	4337.00
7	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	31669956953	1 वर्ष	7.75%	6433118.00	4.10.2015	11.4.2017	53193.00
8	सीटीपी-जी	विजया बैंक	506703311001779	555 दिन	7.75%	4781662.00	10.1.2016	10.1.2017	83679.00
9	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35664284432	1 वर्ष	7.25%	4500000.00	30.3.2016	30.3.2017	178.00
10	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35664282843	1 वर्ष	7.25%	4000000.00	30.3.2016	30.3.2017	158.00
11	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	संयुक्त प्रमाणपत्र	1 वर्ष		11984232.00			842368.00
कुल योग						55678000.00			1567779.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर									
दिनांक 31/03/2016 को राष्ट्रीकृत बैंक सहित संयुक्त लेखा जमा का विवरण									
क्रं. सं.	निवेश के ब्योरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता	प्रोद्भूत ब्याज
1	संयुक्त	भा. स्टेट बैंक	34902986937	1 वर्ष	8.25%	9900000.00	30.4.2015	30.4.2016	695868.00
2	संयुक्त	भा. स्टेट बैंक	34902999991	1 वर्ष	8.25%	9900000.00	30.4.2015	30.4.2016	695868.00
3	संयुक्त	भा. स्टेट बैंक	34902999005	1 वर्ष	8.25%	9900000.00	30.4.2015	30.4.2016	695868.00
4	संयुक्त	भा. स्टेट बैंक	34903009427	1 वर्ष	8.25%	9900000.00	30.4.2015	30.4.2016	695868.00
5	संयुक्त	भा. स्टेट बैंक	34903010251	1 वर्ष	8.25%	9900000.00	30.4.2015	30.4.2016	695868.00
6	संयुक्त	भा. स्टेट बैंक	34903011006	1 वर्ष	8.25%	273416.00	30.4.2015	30.4.2016	19218.00
			कुल			49773416.00			3498558.00

खातेवार विवरण

क्रं.सं.	खाते का नाम	निवेशित राशि
1	गृ.नि.अं.	10547220.00
2	सा.भ.नि. खाता	5859567.00
3	स्व.को.नि. खाता	21382397.00
4	सीटीपी खाता	11984232.00
	कुल जमा	49773416.00

हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
प्रभारी लेखा अधिकारी
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(आर. के. रामटेके)
वित्तिय सलाहकार
के.श्र.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(जे. पी. फोगाट)
प्रभारी निदेशक
के.श्र.शि.बो., नागपुर

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2015-16 के लिए नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ			भुगतान		
राशि 2014-2015	विवरण	राशि 2015-2016	राशि 2014-2015	विवरण	राशि 2015-2016
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
535005.15	अथ शेष बचत खाता जमा	122542.15			
4132.00	पारगमन में प्रेषित धन	4132.00			
8185.00	प्राप्त ब्याज	8830.00	5844694.00	नई पेंशन योजना खाते से राशि स्थानांतरित	6423560.00
2712023.00	कर्मचारी अंशदान टियर-1 में	3211780.00	122542.15	शेष देय राशि बचत खाता जमा	131372.15
2712023.00	बोर्ड का अंशदान टियर-1 में	3211780.00	4132.00	पारगमन में प्रेषित धन	4132.00
		-			
5971368.15	कुल	6559064.15	5971368.15	कुल	6559064.15

हस्ता/-
 (आर. वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 के.श.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (एस. के. बेहरा)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 के.श.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (आर. के. रामटेके)
 वित्तीय सलाहकार
 के.श.शि.बो., नागपुर

हस्ता/-
 (जे. पी. फोगाट)
 प्रभारी निदेशक
 के.श.शि.बो., नागपुर